

खाता खोलने का फार्म (गैर-व्यक्तिगत ग्राहक)

कार्यालय उपयोग हेतु

आवेदन का प्रकार * : नया अद्यतन करना है तिथि:

ग्राहक सीआईएफ नंबर शाखा कोड

खाता नंबर स्कीम कोड

सीकेवाईसी नंबर (केवाईसी करने के लिए अनिवार्य)

खाता धारक का प्रकार: यूएस रिपोर्टेबल अन्य रिपोर्टेबल (कृपया सामान्य अनुदेशों के पृष्ठ 14 की मद 'क' देखें)

क) तारांकित (*) को भरना अनिवार्य है
 ख) जहाँ लागू हो लगाएं
 ग) तिथि को डीडी-एमएम-वाईवाईवाई फॉर्मेट में भरें
 घ) पठनीय स्पष्ट अक्षरों में भरें।
 ङ) खंडवार विस्तृत दिशानिर्देश/अनुदेश पढ़ें
 च) सामान्य अनुदेशों में दो अक्षरों का आइएसओ 3166 देश कोड भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार राज्य/यूटी कोड में उपलब्ध है।
 छ) किसी विशेष खंड को अद्यतन करने के लिए उस खंड के सामने दिए गए बॉक्स (✓) लगाएं और जो लागू न हों उन्हें काट दें।
 ज) अद्यतन करने के लिए केवाईसी नंबर अनिवार्य है
 झ) प्रमुख शब्दों की परिभाषा इस फार्म के अंत में दी गई है

मेरा/हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई खाता नहीं है या
 मेरा/हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता है जिसकी खाता संख्या है।

1. इकाई विवरण (कृपया सामान्य दिशानिर्देश की मद 'ग' देखें)

1. इकाई का नाम *
 (स्पष्ट अक्षरों में)

कारोबार शुरू करने की तिथि * : (सर्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के लिए लागू)
 निगमन/गठन की तिथि * :
 निगमन /गठन का स्थान * : निगमन गठन का देश *(कोड - आईएसओ 3166): (सामान्य अनुदेश देखें)

जीएसटीएन : पहचान का प्रकार* (कृपया सामान्य अनुदेश का मद ग'2 देखें) यदि अन्य आय है तो उल्लेख करें _____
 इकाई की संरचना * : (कृपया सामान्य अनुदेशों का अनुदेश 'ख' देखें) टैन्

सीआईएफ (केवल कंपनी के मामले में लागू) आई. ई. सी. सं.....

2. पहचान का प्रमाण* (कृपया सामान्य अनुदेशों का अनुदेश 'घ' देखें)

निगमन / गठन का प्रमाणपत्र पते का प्रमाण प्रबंधक / अधिकारी को दिया गया गतिविधि का प्रमाण 1 (केवल एकल स्वामित्व इकाई के लिए)
 खाता परिचालन के लिए प्राधिकृत व्यक्ति की पहचान का प्रमाणस्वरूप स्वीकार्य दस्तावेज पंजीकरण प्रमाणपत्र गतिविधि का प्रमाण 2 (केवल एकल स्वामित्व इकाई के लिए)
 संस्था के बहिर्नियम एवं अंतर्नियम/भागीदारी विलेख/न्यास विलेख बोर्ड/प्रबंध समिति का संकल्प अन्य _____

3. संबंधित व्यक्ति/ लाभार्थी मालिक का विवरण*

(हर संबंधित व्यक्ति के लिए अलग-अलग 'अनुलग्नक 2' भरना है, सामान्य अनुदेशों की मद 'छ' देखें)

संबंधित व्यक्तियों की संख्या*: (संबंधित व्यक्ति से आशय निदेशक, प्रमोटर, कर्ता, ट्रस्टी, भागीदार, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, लाभार्थी मालिक, लाभार्थी न्यायालय द्वारा नियुक्त अधिकारी से है)
 लाभार्थी मालिकों की संख्या * : (यद्यपि लाभार्थी मालिक संबंधित व्यक्ति है, संबंधित व्यक्तियों में से लाभार्थी मालिकों की संख्या संबंधित व्यक्तियों में से अलग रूप से तय की जाएगी लाभार्थी मालिक संबंधित व्यक्ति का अंश/उपअंश है) (परिभाषा के लिए पृष्ठ 17 देखें)

4. पते का प्रमाण* (आधिकारिक तौर पर मान्य दस्तावेज की प्रति, जहां भी लागू है, प्रस्तुत करें) (कृपया अंत में दिए गए अनुदेश ड देखें)

4.1 वर्तमान/स्थायी/विदेश पता विवरण*

भारत में पंजीकृत कार्यालय (यदि लागू है)/ कारोबार स्थान का पता*

पता का प्रकार*: आवासीय/ कारोबार आवासीय कारोबार पंजीकृत कार्यालय गैर-सूचित

पता का प्रमाण * : निगमन / गठन का प्रमाणपत्र पंजीकरण प्रमाणपत्र अन्य दस्तावेज (कृ. उल्लेख करें) _____

लाइन* 1:
 लाइन 2:
 लाइन 3: शहर / नगर / गांव * :
 जिला* : पिन / पोस्ट कोड* :
 राज्य/यूटी कोड* : देश कोड* :
 (आईएसओ 3166)

4.2 पत्र व्यवहार/स्थानीय पता का विवरण*

वर्तमान/स्थायी पते के अनुसार (एक से अधिक संपर्क/स्थानीय पते होने के मामले में, कृपया 'अनुलग्नक III' भरें)

पते का प्रकार* आवासीय/कारोबार आवासीय कारोबार पंजीकृत कार्यालय गैर -सूचित

पते का प्रमाण * : निगमन/गठन प्रमाणपत्र पंजीकरण का प्रमाणपत्र अन्य दस्तावेज (कृ. उल्लेख करें).....

लाइन* 1:
 लाइन 2:
 लाइन 3: शहर / नगर / गांव*
 जिला* पिन/पोस्ट कोड*
 राज्य/यूटी कोड* देश कोड (आईएसओ 3166)*

4.3 यदि इकाई भारत की बाहर का निवासी है और वहां पर ही कर देती है तो उस अधिकार क्षेत्र में उसका पता*

वर्तमान/स्थायी/विदेश पते के विवरण के अनुसार

पत्राचार/स्थानीय पते के विवरण के अनुसार

पते का प्रकार * आवासीय / कारोबार

आवासीय

कारोबार

पंजीकृत कार्यालय

गैर-सूचित

पते का प्रमाण (भारत के बाहर पंजीकृत इकाइयों के लिए)*:

पंजीकरण प्रमाणपत्र या ऐसा ही अन्य प्रमाणपत्र

निगमन / गठन का प्रमाणपत्र

लाईन* 1:

लाईन 2:

लाईन 3: शहर /नगर / गांव*

राज्य*: ज़िप/पोस्ट कोड* देश कोड*:
आईएसओ 3166)

5. संपर्क विवरण (सभी सूचनाएं मोबाइल नंबर/ई-मेल आईडी पर भेजी जाएंगी) (कृपया अंत में दिए गए अनुदेश 'च' देखें)

टेलिफोन (कार्यालय): टेलिफोन (निवास):

फैक्स:

मोबाइल:

ई-मेल आई डी:

6. कारोबार का प्रकार

निर्माता व्यापारी खुदरा विक्रेता सेवा प्रदाता निर्यात / आयात अन्य _____

उद्योग कोड*: (कृपया उद्योग कोड के लिए पृष्ठ 6 देखें) अन्य _____

एमएलएम वचनपत्र :

'मै/हम घोषित करता हूँ/करते हैं कि मेरी/हमारी कंपनी/फर्म एमएलएम (बहुस्तरीय मार्केटिंग) कंपनी/फर्म नहीं है' अथवा

'मै/हम घोषित करता हूँ/करते हैं कि मेरी/हमारी कंपनी/फर्म एमएलएम (बहुस्तरीय मार्केटिंग) कंपनी/फर्म है तथा कंपनी बहुस्तरीय मार्केटिंग का कारोबार करती है तथा कंपनी ने उपभोक्ता मामलों के विभाग को यह वचनपत्र दिया है कि कंपनी उपभोक्ता मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए प्रत्यक्ष विक्रय दिशानिर्देशों 2016 तथा जहाँ कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, उस राज्य के द्वारा प्रत्यक्ष विक्री हेतु किसी भी प्रकार के दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है. इसके अलावा कंपनी ने किसी भी प्रकार का उल्लंघन नहीं किया है तथा यह भी वचन देती है कि कंपनी इनामी चिट और धन परिचालन (पाबंदी) योजना 1978 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करेगी।' कृपया एमएलएम कंपनी/फर्म के औद्योगिकी कोड पर निशान (✓) लगाएँ।

वार्षिक कुल टर्नओवर

0-5 लाख 5-10 लाख 10-25 लाख 25 लाख-1करोड़ 1-5 करोड़ 5-50 करोड़ 50-100 करोड़ 100 करोड़ से अधिक

बैंक ऑफ़ बड़ौदा के साथ लेनदेन (वर्ष) _____ स्थान _____ शाखा
खाते का प्रकार _____ (ऋण सुविधाएं) (बैंक ऑफ़ बड़ौदा) (यदि कोई हों) _____

7. खाते का प्रकार

चालू खाता बचत बैंक खाता आवर्ती जमा खाता सावधि जमा विशेष सावधि जमा

अन्य कृपया उल्लेख करें _____

8. परिचालन विधि

अकेले संयुक्त रूप से अलग-अलग बोर्ड के संकल्प के अनुसार अन्य (कृपया उल्लेख करें) _____

9. अपेक्षित सेवाएं (अपेक्षित सेवा पर (✓) लगाएं (सेवा प्रभार लागू)

कॉरपोरेट इंटरनेट बैंकिंग : देखने का अधिकार लेन-देन करने का अधिकार चेक बुक

पीओएस की सुविधा (कार्ड स्वाइप करने की मशीन) एसएमएस अलर्ट केश पिक-अप सुविधा

बीसीएमएस डेबिट कार्ड अन्य _____

स्टेटमेंट की अवधि मासिक तिमाही अर्ध-वार्षिक वार्षिक

ई-स्टेटमेंट भेजने के लिए ई-मेल आईडी

एसएमएस भेजने के लिए मोबाइल

10. खाता प्रकार : (शाखा के द्वारा भरा जाएगा)

खाता प्रकार नाम : _____

(कृपया हमारी वेबसाइट देखें या हमारी निकट की शाखा में जाएँ)

अन्य संस्था का विवरण :

सुनिश्चित करें कि वह संस्था वित्तीय संस्था है या गैर वित्तीय संस्था है (संस्था या तो वित्तीय संस्था हो सकती है या गैर -वित्तीय संस्था, दोनों नहीं)

वित्तीय संस्था (एफआई) : (वित्तीय संस्था के सामने (✓) लगाने पर कृपया सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए **अनुलग्नक I** और **अनुलग्नक II** भरें)
(बैंकों, बीमा एजेंसियां, एनबीएफसी आदि) या

गैर वित्तीय संस्था (एनएफआई) : यदि संस्था एनएफआई है तो क्या वह सक्रिय एनएफआई या निष्क्रिय एनएफआई

(संस्था या तो सक्रिय एनएफआई या निष्क्रिय एनएफआई हो सकती है, दोनों नहीं, कृपया सक्रिय या निष्क्रिय एनएफआई के संबंध में सामान्य दिशानिर्देश 'ज' देखें)

नियंत्रक व्यक्तियों की संख्या (केवल निष्क्रिय एनएफआई के मामले में लागू, प्रत्येक नियंत्रक व्यक्ति के लिए **अनुलग्नक II** भरें)

प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग करनेवाली गैर-वित्तीय विदेशी संस्था : हाँ नहीं

यदि हाँ तो कृपया प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग करनेवाली एनएफआई का जीआईआईएन दर्शाएं :

विधिक इकाई पहचानकर्ता (एलआईआई कोड क्र.)

(जहां पर लागू है)

कर के नियमों के अनुसार आवास का देश *

केवल भारत में कर भरने वाली इकाई न कि भारत के बाहर किसी अन्य देश का निवासी हाँ नहीं

(हाँ पर (✓) निशान लगाने पर नीचे दिए गए बाक्स को न भरें)

फटका एवं सी.आर.एस. बॉक्स

यू एस का टैक्स रेसीडेंट हाँ नहीं (यदि हाँ है तो टीआईएन भरें) **यूएस टिन :**

यदि यूएस का टैक्स रेसीडेंट है तो, क्या वह व्यक्ति

यूएस व्यक्ति है नहीं (यू एस के टैक्स व्यक्ति के लिए अनुदेश ज देखें)

विनिर्दिष्ट यूएस व्यक्ति (अनुदेश 'त' देखें) हाँ नहीं (यदि विनिर्दिष्ट यूएस व्यक्ति का उत्तर हाँ है तो संस्था की यूएस रिपोर्टिंग की जाएगी)

यूएस के अलावा भारत के बाहर का कर निवासी हाँ नहीं

यदि हाँ तो, देश का कोड भरें और टीआईएन / वैसी ही सक्रिय संख्या समतुल्य पहचान नंबर भरें

यदि यूएस के अलावा भारत के बाहर का कर निवासी हाँ है तो क्या संस्था निम्नलिखित में से किसी एक श्रेणी के तहत आती है (निम्नलिखित श्रेणी में से यथा लागू श्रेणी पर टिक करें - यदि निम्नलिखित में से किसी भी श्रेणी पर हाँ टिक नहीं किया जाता है तो 'खाता एक अन्य रिपोर्ट योग्य खाता' है)

- कोई निगम जिसके स्टॉक की खरीद फरोख्त व्यापार एक या अधिक सुस्थापित सिक्क्यूरिटीज बाजार में होती है हाँ नहीं
 - कोई निगम जो उक्त (1) में उल्लिखित निगम से संबंधित इकाई है हाँ नहीं
 - सरकारी संस्था हाँ नहीं
 - कोई अंतरराष्ट्रीय संगठन हाँ नहीं
 - केंद्रीय बैंक हाँ नहीं
 - वित्तीय संस्था हाँ नहीं
- कर उद्देश्य के लिए कोई निवास नहीं. हाँ नहीं

मद (1) से (6) तक के संबंध में किसी 'हाँ' पर (✓) निशान लगाने पर पर यदि खाता को अन्य रिपोर्टेबल खाता नहीं माना जाएगा

यदि संस्था न तो भारत की कर निवासी है, या यूएस की या यूएस के अलावा भारत के बाहर की कर निवासी है, तो कर भरने के प्रयोजन हेतु कोई आवास नहीं श्रेणी में हाँ भरा जाएगा

यदि हाँ हो तो कृपया उस देश का कोड भरें जहां पर संस्था का प्रधान कार्यालय स्थित है देश कोड

बहुदेशीय कर आवास* हाँ नहीं (यदि हाँ तो नीचे का टेबल भरें)

- यदि संस्था विनिर्दिष्ट व्यक्ति है तथा यूएस के अलावा भारत के बाहर का कर निवासी भी है, तो उसे बहुदेशीय कर निवासी संस्था माना जाएगा ।
- यदि संस्था विनिर्दिष्ट यूएस व्यक्ति नहीं है पर भारत से बाहर एक से अधिक देशों की कर निवासी है, तो उसे बहुदेशीय कर निवासी संस्था माना जाएगा ।

यूएस के अलावा भारत के बाहर की कर निवासी	टीआईएन या वैसा कोई नंबर (प्राधिकारी द्वारा जारी)	पहचान का प्रकार (टीआईएन, कंपनी पहचान नंबर (सीआईएन), ईआईएन या अन्य कोई, कृपया उल्लेख करें)
पता*		
लाइन 1: <input type="text"/>		शहर : <input type="text"/>
लाइन 2: <input type="text"/>		राज्य : <input type="text"/>
लाइन 3: <input type="text"/>		पिन : <input type="text"/>
यूएस के अलावा भारत के बाहर की कर निवासी	टीआईएन सं. या इसके समान कोई नंबर (क्षेत्राधिकारी द्वारा जारी)	पहचान का प्रकार (टीआईएन कंपनी पहचान नंबर (सीआईएन), ईआईएन या अन्य कोई, कृपया उल्लेख करें)
पता*		
लाइन 1: <input type="text"/>		शहर : <input type="text"/>
लाइन 2: <input type="text"/>		राज्य : <input type="text"/>
लाइन 3: <input type="text"/>		पिन : <input type="text"/>

नाम
(पहचान प्रमाण के अनुसार)

यदि पैस के लिए आवेदन किया हुआ है और जारी नहीं किया गया है तो आवेदन की तिथि तथा पावती नंबर
यदि पैस के लिए आवेदन नहीं किया है तो उस वित्त वर्ष जिसमें उपर्युक्त लेन-देन किया गया है, की अनुमानित कुल आय भरें (पति/पत्नी, अवयस्क बच्चे आदि की आय सहित) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 64 के अनुसार)

कृषि आय कृषि के अलावा अन्य आय

सत्यापन

मैं _____ एतद्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर जो भी लिखा गया है, वह मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि जिस वित्तीय वर्ष में यह लेन-देन किया गया है, उसमें मेरी/हमारी अनुमानित कुल आय (पति/पत्नी, अवयस्क बच्चे आदि को शामिल करके) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 64 के अनुसार परिकलित कर योग्य अधिकतम राशि से कम ही होगी।

सत्यापित: दिन..... दिनांक 20.....

स्थान :

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

नामांकन : केवल एकल स्वामी खाता हेतु

मैं अपने/हमारे खाते में नामांकन करना चाहता/चाहती हूँ

मैं अपने/हमारे खाते में नामांकन नहीं करना चाहता/चाहती हूँ

व्यक्तिगत के अलावा अन्य के पक्ष में किया गया नामांकन अमान्य है

नामांकन फार्म (डीए1)

बैंक जमाराशियों के संबंध में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 45 जेड और बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियमावली 1985 के नियम 2(1) के अंतर्गत नामांकन मैं/हम _____ व्यक्ति को नामित करता/करती हूँ / करते हैं, जिसे मेरी/हमारी/अवयस्क की मृत्यु होने पर जमाराशि जिसके विवरण नीचे प्रस्तुत किए गए हैं, बैंक ऑफ़ बड़ौदा द्वारा वापस कर दी जाए।

(उस शाखा/कार्यालय का नाम व पता जहां जमाराशि रखी गई है)

नामांकन क्रम संख्या

जमाराशि का विवरण :

जमाराशि का प्रकार _____ खाता नंबर :

नामिनी का विवरण

नाम

जमाकर्ता के साथ रिश्ता _____ आयु नामिनी की जन्मतिथि

पता

शहर: पिन राज्य

देश : नामिनी का सीआईएफ नंबर

चूंकि इस तिथि को नामिनी अवयस्क, है इसलिए मैं/हम श्री/श्रीमती/सुश्री _____ आयु. _____ वर्ष पता _____

को नामिनी की अवयस्कता के दौरान मेरी/हमारी/अवयस्क की मृत्यु होने पर नामिनी की ओर से जमा की राशि प्राप्त करने के लिए नियुक्त करता/करती हूँ/करते हैं।

नामांकित व्यक्ति का मोबाइल नंबर:

आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

साक्षी का निजी विवरण (यदि आवेदक निरक्षर है और अंगूठे का निशान लगा रहा है, तो साक्षी की आवश्यकता है)

साक्षी 1 नाम : _____

साक्षी 2 नाम : _____

पता : _____

पता : _____

हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

स्थान: _____ दिनांक : _____

स्थान: _____ दिनांक : _____

आवेदक की घोषणा :

1. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि ऊपर दिए गए विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं और इसमें परिवर्तन होने पर मैं आपको सूचित करने का वचन देता/देती हूँ। यदि कोई जानकारी गलत या झूठी या भ्रामक या अयथार्थ प्रस्तुत की जाती है तो मैं/हम उसके लिए जिम्मेदार रहूँगा/रहेंगे।
2. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नियमों/भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम इकाई की ओर से हस्ताक्षर करने की क्षमता रखता हूँ/रखते हैं।
3. मैं/हम प्रमाणित करता/करती हूँ/करते हैं कि कंपनी नियम 2017 के उप-नियम (2) में उल्लिखित कंपनियों की श्रेणी में श्रेणियों की संख्या पर प्रतिबंध शामिल है और इसकी (कंपनी की) दो श्रेणियों से अधिक अनुश्रुतियाँ नहीं हैं। (कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 21 सितंबर 2017 के राजपत्र की अधिसूचना क्र. 793 में दिए गए विवरणों के अनुसार)।
4. मैं/हम घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने बैंक ऑफ़ बड़ौदा के तथा बैंक द्वारा दी जानेवाली सेवाओं, जिसमें डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/एसएमएस बैंकिंग/टेली बैंकिंग/मोबाइल बैंकिंग/वर्चुअल बैंकिंग तथा अन्य सुविधाएँ शामिल हैं, से संबंधित नियमों एवं विनियमों को पढ़ लिया है। मैं/हम उनका अनुपालन करने के लिए सहमत होता हूँ/देते हैं, जो बैंक/विनियामक/सरकार द्वारा परिपत्र, अधिसूचनाओं, सूचना फलक/वेबसाइट/समाचार-पत्र प्रकाशन के जरिए समय-समय पर संशोधित की जाएगी। ऐसे संशोधनों के संबंध में व्यक्तिगत सूचना देने के अधिकार को मैं/हम परित्याग करता हूँ/करते हैं। मेरे/हमारे खाते में मेरे/प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा इंटरनेट, मोबाइल, टेली बैंकिंग या वर्चुअल बैंकिंग के माध्यम से मेरे/हमारे यूजर आइडी तथा पासवर्ड/पिन/ओटीपी द्वारा किए गए लेन-देन या अनुरोध मुझे/हम पर विधिक रूप से बाध्य होंगे और ऐसे मामलों में प्राधिकृत करने के विवरण तथा किसी अन्य जानकारी/विवरण/ओटीपी/पिन आदि की गोपनीयता तथा विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए मैं/हम जिम्मेदार हूँ/हैं। मैं/हम सहमत हूँ/हैं कि कोई सेवा शुल्क, व्यय या अन्य देव राशि जिस पर बैंक का हक है/या जिसकी वसूली मुझे/हम की जानी है, के लिए मेरे/हमारे खाते को नामे करने का अधिकार बैंक को है। किसी नियम/विनियम या खाते के परिचालन संबंधी शर्तों के विचलन/पालन न करने पर, बिना सूचना के मेरे खाते को समाप्त करने/उसे जारी न रखने के लिए मैं/हम बैंक को प्राधिकृत करता हूँ/करते हैं। मेरे पत्राचार के पते या संगठन में कोई परिवर्तन/संशोधन होने पर, मैं/हम बैंक को उसकी सूचना देने के लिए वचन देता हूँ/देते हैं और एक शाखा से दूसरी शाखा में खाते का अंतरण करने पर मैं/हम पते का प्रमाण दूँगा/देंगे।
5. आधार विवरण के अनुसार खोले गए खातों के संबंध में, मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि पीएमएलए 2002 के तहत केवाईसी मानदंडों के अनुपालन मैंने पहचान तथा/या पते के प्रमाण के तौर पर यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार कार्ड प्रस्तुत किया है। बैंक द्वारा यूआईडीएआई से उसका सत्यापन करने तथा बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन द्वारा मेरी पहचान और पते की सूचना बैंक को देने के लिए मैं यूआईडीएआई को प्राधिकृत करता/करती हूँ।
6. मैं/हम पुष्टि एवं घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि किसी भी प्रचलित विधि का/विनियामक/संवैधानिक या अन्य से खाता खोलने तथा/या उसके परिचालन बैंक के साथ लेन-देन करने के लिए मुझे/हमें रोका/प्रतिबंधित नहीं किया गया है।
7. मेरे/हमारे व्यक्तिगत केवाईसी विवरण को केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के साथ साझा करने हेतु मैं/हम सहमत होता/देती हूँ/देते हैं। मेरे/हमारे पंजीकृत मोबाइल नंबर-ई-मेल पते पर एसएमएस/ई-मेल से बैंक/केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री/भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य प्राधिकारी से सूचना प्राप्त करने के लिए मैं/हम सहमत होता हूँ/देते हैं। मैं/हम इसके लिए भी सहमत हूँ/हैं कि किसी ऐसे एसएमएस/ई-मेल के न मिलने के कारण बैंक किसी भी प्रकार की हानि या नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
8. मैं/हम प्रमाणित करता/करती हूँ/करते हैं कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की 7 अगस्त 2015 की अधिसूचना क्र. एसओ.2155(8) द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 285 बीए तथा इस मामले में भारतीय रिजर्व बैंक के 28 अगस्त 2015 के परिपत्र क्रमांक डी.बी.आर.एसएम.बी.सी. क्र. 36/14.01.001/2015-16 के अनुसार मैंने/हमने परवर्ती संशोधन सहित लागू नियमों के अनुसार मैंने/हमने अपनी स्थिति की घोषणा कर दी है।
9. मैं/हम यह समझता/समझती हूँ/समझते हैं, स्वीकार करता/करती हूँ/करते हैं कि आयकर अधिनियम उसके तहत बनाए गए नियमों एवं सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस विषय में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निवासीय स्थिति और/या दर्शाए गए अन्य मानदंडों के आधार पर, बैंक द्वारा मेरे/हमारे खाते (खातों) से संबंधित विवरण निर्धारित प्रारूप में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), या अन्य सरकारी एजेंसी को अंतर-सरकारी करार (आईजीए) विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (फटका) तथा कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स (सीआरएस) तथा/या किसी समान व्यवस्था की बाध्यता के अनुपालन के तहत रिपोर्ट किए जा सकते हैं।
10. मैं/हम प्रमाणित तथा घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि खाता खोलने तथा उसके अंतर्गत अथवा वेबसाइट/इलेक्ट्रॉनिक रूप से अन्य सेवाएँ प्राप्त करने के लिए मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षर/प्रमाण तथा खाता खोलने के लिए एवं अन्य सेवा प्राप्त करने के लिए मेरे/हमारे द्वारा दिया गया दस्तावेजी प्रमाण, मेरी जानकारी के अनुसार सही और संपूर्ण है तथा मैंने/हमने ऐसी कोई महत्वपूर्ण सूचना नहीं छपाई, जिससे कि मेरे/हमारे खाते को यू एस रिपोर्टबल खाता या अन्य रिपोर्टबल खाता या अन्य के रूप में निर्धारित करने/वर्गीकरण करने में बाधा बन सके। यदि मेरे/हमारे द्वारा दी गई जानकारी/निवारण गलत या झूठा या भ्रामक या गलत प्रस्तुत पाए जाने पर, मैं/हम उसके लिए जिम्मेदार रहूँगा/रहेंगे।
11. मैं/हम वचन देता हूँ/देती हूँ/देते हैं कि मेरे द्वारा यहाँ/अथवा अन्य स्थान पर दी गई जानकारी, प्रस्तुत दस्तावेजी प्रमाण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने अथवा कोई प्रमाणीकरण गलत होने अथवा बदले जाने पर, ऐसे परिवर्तन की तारीख से 30 दिनों के अंदर इसकी घोषणा एवं सूचना देने की जिम्मेदारी मेरी/हमारी होगी। जब कभी अपेक्षित होने पर दस्तावेजी प्रमाण के साथ नया एवं वैध स्व-प्रमाणन प्रस्तुत करने का भी मैं वचन देता/देती हूँ। जब तक उपर्युक्तानुसार बैंक को संशोधित स्व-प्रमाणीकरण प्रस्तुत किया नहीं जाता, तब तक मेरे द्वारा दिए गए ऐसे सभी संशोधित दस्तावेज/जानकारी के मामले में भी यहाँ दिया गया वचन लागू होगा।
12. मैं/हम इस बात से भी सहमत हूँ/हैं कि अब या भविष्य में मुझे/हमें ज्ञात कोई महत्वपूर्ण तथ्य/सूचना प्रकट करने या निर्धारित समय के भीतर किसी दस्तावेज/सूचना की किसी विसंगति का समाधान नहीं करने पर मैं/हम खाते से लेनदेन कर नहीं पाऊँगा/पाऊँगी/पाएँगे। अन्य विवरण तथा मेरे खाते में परिचालन पर रोक लगाने या उसे बंद करने या किसी भी विनियामक या भारत सरकार (पीओआई) / भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस कार्य के लिए तैनात किसी प्राधिकरण या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड/भारतीय रिजर्व बैंक / भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई शुरू करने का अधिकार बैंक को होगा।
13. भारत या विदेश में खाते के परिचालन या रख-रखाव से संबंधित किसी भी नियम के बदलने के कारण मुझे/हमसे मांगी जानेवाली किसी भी प्रकार की जानकारी प्रस्तुत करने/सूचित करने के लिए मैं/हम सहमत हूँ/हैं।
14. मेरे/हमारे द्वारा दिए गए विवरण में चूक/गलती या गलत या अधूरी जानकारी देने के कारण बैंक को कोई हानि/नुकसान होने पर, मैं/हम उसकी क्षतिपूर्ति करूँगा/करूँगी/करेंगे।
15. बैंक की अपेक्षानुसार आवधिक अंतरालों पर केवाईसी अद्यतन करने के लिए नए केवाईसी दस्तावेज सहित डाटा/जानकारी देने के लिए मैं/हम वचन देता /देती हूँ/देते हैं।
16. मैं/हम समझता/समझती हूँ/समझते हैं कि बैंक द्वारा केवाईसी संबंधी ग्राहक की समुचित जांच किए जाने पर ही खाता सक्रिय किया जाएगा और नाम अनुमत किए जा सकेंगे।
17. खाता खोलने के लिए अपेक्षित तिमाही औसत न्यूनतम शेष के बारे में मुझे/हमें सूचित किया गया है यह संशोधन/परिवर्तन के अधीन होगा तथा ऐसे संशोधन/परिवर्तन को बैंक की वेबसाइट में रखा जाएगा, जो मुझे सूचना के रूप में स्वीकार्य होगा।
18. खाता खोलने के छः महीने के भीतर आधार तथा/या पैन प्रस्तुत करने का मैं/हम वचन देता/देती हूँ/देते हैं। ऐसा न करने पर भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार धन शोधन निवारण अधिनियम 2005 (अधिलेखों का रखरखाव) नियमों में संशोधन करके (यदि खाता आधार/पैन के बिना खोला गया है तो) खाता बंद किया जा सकता है।
19. यदि खाता खोलते समय वर्तमान पते के लिए आधिकारिक वैध दस्तावेज माने जाने वाले दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं तो खाता खोलने के 3 माह के भीतर आधार या वर्तमान पते वाले आधिकारिक वैध दस्तावेज माने जाने वाले दस्तावेज प्रस्तुत करने का मैं / हम वचन देता/देती हूँ / देते हैं। ऐसा न करने पर भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार मेरे खाते में परिचालन को रोका जा सकता है।
20. मैं पुष्टि करता/करती हूँ और वचन देता/देती हूँ कि मैं वर्चुअल करेंसी का व्यापार नहीं करूँगा/करूँगी तथा वर्चुअल करेंसी की किसी सेवा से संबंधित कार्य के लिए अपने खाते का प्रयोग नहीं करूँगा/करूँगी।
21. मैं संबंधित खाता योजना में निर्धारित औसत तिमाही शेष (क्यूएबी) रखने का वचन देती हूँ तथा औसतन तिमाही शेष न रखने पर दंडात्मक शुल्क भरने के लिए सहमत हूँ।

कृपया
यहाँ फोटो
चिपकाएँ

कृपया
यहाँ फोटो
चिपकाएँ

कृपया
यहाँ फोटो
चिपकाएँ

परिचालनगत निर्देश

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता 1 के हस्ताक्षर (क्रम का ध्यान रखें)

नाम :
पद :
दिनांक :
नाम, हस्ताक्षर, मुहर और सत्यापन करने वाले अधिकारी का एस.एस. क्र.

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता 2 के हस्ताक्षर (क्रम का ध्यान रखें)

नाम :
पद :
दिनांक :
नाम, हस्ताक्षर, मुहर और सत्यापन करने वाले अधिकारी का एस.एस. क्र.

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता 3 के हस्ताक्षर (क्रम का ध्यान रखें)

नाम :
पद :
दिनांक :
नाम, हस्ताक्षर, मुहर और सत्यापन करने वाले अधिकारी का एस.एस. क्र.

कार्यालय उपयोग हेतु

- आवेदक से बातचीत की और प्रयोजन अभिनिश्चित किया गया (प्रयोजन का उल्लेख करें): _____
- क्या ग्राहक द्वारा प्रस्तुत किए गए स्व-प्रमाणपत्र तथा दस्तावेजों को सत्यापित किया जा चुका है और उन्हें सही एवं विश्वसनीय पाया गया है ? हाँ नहीं
(ध्यान रहे : प्रमाणपत्र के सामने हॉ होने पर ही खाता खोला जाए)
- प्रारंभिक सीमा _____
- दस्तावेज प्राप्त : प्रमाणित प्रतियाँ ई-दस्तावेज के समकक्ष 5. जोखिम संवर्ग/श्रेणी उच्च मध्यम निम्न
- व्यक्तिगत सत्यापन किया गया और आवेदक के हस्ताक्षरों की जाँच पहचान पत्र से की गई की गई
- प्राधिकृत अधिकारी ने खाता आवेदन पत्र पर दिए गए स्वामीत्वकी इकाई की गतिविधि का सत्यापन किया हाँ नहीं

अधिकारी का नाम : _____ इसी नंबर : _____ पदनाम : _____

दिनांक : एसएस नंबर : _____ हस्ताक्षर : _____

सीआईईफ खोला जाए

संक्षिप्त हस्ताक्षर

दिनांक : (प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

सी आई एफ :

खाता खोलें

शाखा प्रबंधक/प्राधिकृत अधिकारी (हस्ताक्षर)

खाता खोलने की तारीख :

खाता नंबर :

यदि कोई टिप्पणी करनी है तो : _____

(हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)
कर्मचारी/अधिकारी का नाम : _____	कर्मचारी/अधिकारी का नाम _____
एसएस नंबर/इसी संख्या : _____	एसएस नंबर/इसी संख्या _____
कर्मचारी/अधिकारी का पदनाम : _____	कर्मचारी/अधिकारी का पदनाम _____
कर्मचारी/अधिकारी की शाखा : _____	कर्मचारी/अधिकारी की शाखा _____

खाता बंद करने की तिथि _____ खाता दिनांक _____ को शाखा _____ को ट्रांसफर किया गया

प्राधिकृत अधिकारी (हस्ताक्षर)

चालू खाता के नियम

- यदि ग्राहक द्वारा बैकल्पिक चैनलों से चालू खाता नहीं खोला जाता है तो खाते में राशि जमा करने के लिए ग्राहक द्वारा हस्ताक्षरित जमा पर्ची का उपयोग किया जाना चाहिए। जमा पर्ची का काउंटरफॉइल के साथ बुक ग्राहक को उपलब्ध करायी जाएगी और किए गए लेन-देन का अधिप्रमाणन बैंक के प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा किया जाएगा।
- चेक बैंक के मुद्रित फार्म में ही आहरित किया जाए। इससे भिन्न रूप से आहरित किसी भी चेक का भुगतान बैंक द्वारा रोका जा सकता है। चेक पर किसी भी प्रकार के संशोधन की स्थिति में बैंक उसका भुगतान रोक सकता है बशर्ते कि वह आहरणकर्ता के पूरे हस्ताक्षर से अधिप्रमाणन किया गया है। चेक के आहरण के समय ध्यान दिया जाए कि उसमें संशोधन के लिए कोई गुंजाइश न हो तथा उस पर किए गए हस्ताक्षर बैंक के पास रखे हुए नमूना हस्ताक्षर के अनुरूप होना चाहिए।
- बिना पूर्व व्यवस्था के ग्राहक को अपने खाते में अधि आहरण नहीं करना चाहिए, भले ही कितनी कम राशि की क्यों न हो। चालू खाते में ओवरड्राफ्ट की सुविधा वर्तमान अनुदेशों के अनुसार दी जाती है। दैनिक शेष पर बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर ब्याज लगाया जाएगा।
- ग्राहक से सूचना मिलने पर बैंक किसी गुप्तशुदा, खोए हुए चेक की अदायगी रोकने के अनुदेश नोट करेगा परंतु यदि चेक का इस दौरान भुगतान न हो इसकी गारंटी नहीं दे सकेगा।
- बैंक ग्राहक के बिल, ड्राफ्ट, चेक, पेंशन बिल आदि का वसूली करता है। व्यक्तिगत खातों में बैंक बाहरी केंद्र के चेक, ड्राफ्ट डिविडेंड वारंट आदि का पूर्व निर्धारित सीमा तक तुरंत जमा भी देता है।
- स्थानीय चेक आदि की वसूली सीटीएस समाशोधन के माध्यम से की जाएगी।
- समाशोधन के लिए भेजे गए चेकों, बिलों की राशि खाते में जमा होने तक उनके पेटे आहरण नहीं किया जाना चाहिए।
- जो चेक, बिल आदि मांग पर संदेय नहीं है उनको उनकी देय तिथि से कम से कम एक कार्य दिवस पहले बैंक के पास उगाही के लिए प्रस्तुत करना चाहिए।
- आवधिक अंतरालों पर धन-प्रेषण आदि के लिए बैंक स्थायी आदेशों का स्वीकार करता है।
- आवधिक अंतरालों पर ग्राहकों को खाते की विवरणी भेजी जाएगी और किसी भी समय आवेदन करने पर प्राप्त हो सकती है। ग्राहक को विवरणी की हर एक मद को ध्यान से जांच करनी चाहिए और यदि कोई भूल-चूक या त्रुटि पाई गई है तो उसे तुरंत बैंक को सूचित करना चाहिए। इस सावधानी के बरतने न जाने के कारण होनेवाली हानि के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।
- ग्राहक के पते में कोई परिवर्तन हो तो उसे बैंक के साथ किए जानेवाले पत्राचार तथा जमा पर्चियों में ग्राहक को साफ-साफ अक्षरों में खाता खोलते समय दिए गए खाता नंबर का उल्लेख करना चाहिए।
- ग्राहक के आवेदन पर बैंक के किसी अन्य शाखा में खाते को अंतरित किया जा सकेगा।
- बैंक, सिव्युरिटीज़ एवं शेरों को सुरक्षित अभिरक्षा एवं ब्याज एवं लाभांश की वसूली आदि के लिए स्वीकार करता है जिसकी जानकारी आवेदन पर प्राप्त हो सकती है।
- इन नियमों में संशोधन / जोड़ने / कम करने का अधिकार बैंक के पास है
- यदि एक वित्तीय वर्ष में रु. 1 करोड़ और उससे अधिक के आहरित चेक 4 बार और रु.1 करोड़ से कम के आहरित चेक 6 बार खाते में पर्याप्त निधि न होने के कारण बिना भुगतान के वापस हो जाते हैं तो बैंक चेकबुक जारी करना बंद कर सकता है और विवेकानुसार खातों को बंद करने पर भी विचार कर सकता है।
- यदि खाते को 2 वर्ष या इससे अधिक की अवधि तक परिचालित नहीं किया जाता है तो यह असक्रिय हो जाएगा तथा डेबिट लेनदेन के लिए नवीनतम केवाईसी दस्तावेजों को जमा करना होगा।

उद्योग कोड

1. एयरलाईंस/एवियेशन	15. कसीनो	29. आयात/निर्यात	43. स्टील / हार्डवेयर
2. विज्ञापन एजेंसी	16. सीमेंट / पेंट	30. मैन्युफैक्चरिंग	44. स्टॉक एवं शेयर
3. कृषि/कृषीतर उद्योग	17. चिट फंड	31. महाजन	45. टैंक स्टार्टअप
4. आटोमोबाइल	18. उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	32. मीडिया/मनोरंजन	46. टेलीकॉम्युनिकेशन
5. आटोपार्ट्स	19. कुरियर / माल कार्गो	33. मेडिकल / स्वास्थ्य	47. कपडें / वस्त्र
6. आटो फिनांस	20. निर्माण / रियल एस्टेट	34. मार्बल एवं ग्रेनाइट	48. यात्रा एवं पर्यटन
7. हथियारों के व्यापारी	21. कंसेलटैंसी (सलाहकार सेवाएं)	35. तेल एवं गैस	49. यातायात/मालवहन
8. बैंकिंग/वित्तीय सेवाएं	22. इलेक्ट्रॉनिक्स	36. पेट्रोल पंप	50. विदेशी मुद्रा के व्यापारी/सराफा
9. इंजीनियरिंग एवं कैपिटल गुड्स	23. फर्नीचर / लकड़ी	37. औषध बनानेवाली कंपनियां	51. प्रोफेशनल (डॉक्टर/वकील/इंजीनियर सलाहकार आदि)
10. खाद्य / रसायन / बीज	24. सरकारी निकाय	38. पावर/बिजली	52. रिटेल चैन / एफएमसीजी
11. कीटनाशक	25. होटल / रेस्टोरेंट	39. मुद्रण/प्रकाशन	53. टेलिकाम
12. मत्स्यपालन / मुर्गीपालन	26. अस्पताल / क्लिनिक / नर्सिंग होम	40. धार्मिक संस्थाएं	54. टेक्स्टाइल
13. जवाहरात / आभूषण	27. इंफ्रास्ट्रक्चर	41. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	55. ट्रांसपोर्टेशन
14. काल सेंटर / बीपीओ	28. बीमा	42. स्कूल / कॉलेज / संस्थाएं	56. आईटी सेवाएं
			57. मल्टी लेवल मार्केटिंग

हम, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की 7 अगस्त 2015 की अधिसूचना क्र. एस ओ. 2155 (ई) तथा भारतीय रिजर्व बैंक के 28 अगस्त 2015 के परिपत्र डी बी आर. ए एम एल. बी.सी क्र. 36/14.01.001/2015-16 द्वारा सूचित आयकर नियम 1962 के नियम 114 च से 114 ज के अंतर्गत अपनी संस्था की स्थिति नियमानुसार घोषित और प्रमाणित करते हैं :-

वित्तीय संस्था की स्थिति को टिक करें		हाँ	नहीं
इकाई का नाम			
1. क)	डिपोजिटरी संस्था		
	ख) संरक्षक संस्थान		
	ग) निवेश इकाई जो निष्क्रिय एनईएफ नहीं है		
	घ) निर्दिष्ट बीमा कंपनी		
2.	मालिक-आधारभूत यूएस मालिक के साथ प्रलेखित वित्तीय संस्था (अनुलग्नक - II के अनुसार आधारभूत यूएस मालिक का विवरण लेना है)		
3.	वित्तीय रिपोर्टिंग संस्था		
4.	यदि उपरोक्त 2 और 3 हाँ है तो कृपया वैश्विक मध्यस्थ पहचान नंबर (जीआईआईएन)		
5.	गैर प्रतिभागिता वित्तीय संस्था		
6.	गैर रिपोर्टिंग वित्तीय इकाई (यदि हाँ, तो नीचे तालिका में किसी एक श्रेणी में टिक करें)		
क्र.सं	एनआरएफआई की श्रेणी		क्र.स एनआरएफआई की श्रेणी
1.	सरकारी इकाई :	13	भविष्य निधि
2.	अंतरराष्ट्रीय संगठन :	14	एक भारतीय निवेश इकाई जो पूरी तरह से एनआरएफआई द्वारा उपर्युक्त (i) से (xiii) में उल्लिखित है और जो किसी भी ऋण ब्याज को किसी एक डिपोजिटरी संस्था या उपर्युक्त एनआरएफआई द्वारा उपर्युक्त (i) से (xiii) में उल्लिखित है
3.	केंद्रीय बैंक :	15	योग्य क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता :
4.	ट्रीटी क्वालिफाइड रिटायरमेंट फंड :	16	सीटीबीटी नियमों के अनुसार निर्दिष्ट निवेश इकाई (नियम 11 4 एफ (5) (एफ):
5.	नैरो पार्टिसिपेशन रिटायरमेंट फंड :	17	छूटप्राप्त सामूहिक निवेश वाहन
6.	ब्रॉड पार्टिसिपेशन रिटायरमेंट फंड :	18	ट्रस्टी - डाकुमेंटेड इंडियन ट्रस्ट
7.	किसी सरकारी इकाई की पेन्शन निधि :	19	स्थानीय ग्राहक आधारित वित्तीय संस्थान
8.	अंतरराष्ट्रीय संगठन की पेन्शन निधि :	20	स्थानीय बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शहरी सहकारी बैंक, (राज्यसहकारी बैंक/जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, स्थानीय क्षेत्र के बैंक सहित) बशर्ते कि संपत्ति नियम 114 एफ (5) के स्पष्टीकरण (ओ) के दायरे में आती हों
9.	किसी सेंट्रल बैंक की पेन्शन निधि :	21	केवल कम मूल्य खाते वाली वित्तीय संस्था
10.	सशस्त्र बलों की गैर सार्वजनिक निधि :	22	प्रायोजित निवेश इकाई और नियंत्रित विदेशी कारपोरेशन (रिपोर्टिंग योग्य यूएस खाते के संबंध में)
11.	कर्मचारी राज्य बीमा निधि :	23	प्रायोजित सीमित धारिता वाली निवेश वाहन (रिपोर्टिंग योग्य यूएस खाते के संबंध में)
12.	प्रेच्युटी निधि :	24	एक भारतीय निवेश इकाई जो पूरी तरह से एनआरएफआई द्वारा उपर्युक्त (i) से (xiii) में उल्लिखित है और जो किसी भी ऋण ब्याज को एक डिपोजिटरी संस्था या एनआरएफआई द्वारा उपर्युक्त (i) से (xiii) में उल्लिखित है ।

7.	प्रायोजित निवेश इकाई	
ए)	प्रायोजित इकाई का जीआईआईएन	
बी)	इकाई का नाम	

हम प्रमाणित करते हैं कि सीबीडीटी नियमों/आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार हम वित्तीय संस्था की ओर से हस्ताक्षर करने के पात्र हैं ।

दिनांक :

स्थान : _____

हस्ताक्षर
इकाई के प्राधिकृत व्यक्ति का नाम

(प्रत्येक नियंत्रक व्यक्ति/संबंधित व्यक्ति/लाभार्थी मालिक के लिए अलग अलग फार्म भरा जाए)

<p style="text-align: center;">केवल कार्यालयीन उपयोग के लिए</p> <p>आवेदन का प्रकार* <input type="checkbox"/> नया <input type="checkbox"/> अद्यतन करना है</p> <p>आवेदक (सीपी/आरपी) का सीआईएफ नंबर <input style="width: 100px;" type="text"/></p> <p>सीपी/आरपी/खाता सं. <input style="width: 100px;" type="text"/></p>	<p>नाम एवं कोड नंबर वाला रबड़ स्टॉप शाखा द्वारा लगाया जाना चाहिए</p>	<p>नियंत्रक व्यक्ति/ संबंधित व्यक्ति/ लाभार्थी मालिक का फोटो</p>
<p>संस्था का नाम <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/></p> <p><input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/></p>		

1. नियंत्रक व्यक्ति/संबंधित व्यक्ति/लाभार्थी मालिक का विवरण
(कृपया सामान्य अनुदेश देखें):

1.क नियंत्रक व्यक्ति के विवरण (निष्क्रिय एनएफई के लिए):

नियंत्रक व्यक्ति को जोड़ना नियंत्रक व्यक्ति को हटाना नियंत्रक व्यक्ति के विवरण अद्यतन करना

सीकेवाईसी क्रमांक (यदि उपलब्ध हो तो*) (सीकेवाईसी क्रमांक उपलब्ध होने पर केवल 'नियंत्रक प्रकार' एवं 'नाम' अनिवार्य)

नियंत्रण का प्रकार* :

विधिक व्यक्ति के मामले में स्वामित्व अन्य प्रकार वरिष्ठ पदधारी

न्यास के मामले में व्यवस्थापनकर्ता न्यासी संरक्षक लाभार्थी अन्य

अन्य कानूनी व्यवस्था के मामले में : सेटलर के समान न्यासी के समान संरक्षक के समान लाभार्थी के समान अन्य के समान

अपरिचित के मामले में

1. ख संबंधित व्यक्ति के विवरण

नियंत्रक व्यक्ति को जोड़ना नियंत्रक व्यक्ति को हटाना नियंत्रक व्यक्ति के विवरण अद्यतन करना

संबंधित व्यक्ति का सीकेवाईसी क्रमांक (यदि उपलब्ध हो*) (सीकेवाईसी क्रमांक उपलब्ध होने पर केवल 'संबंधित व्यक्ति का प्रकार' एवं 'नाम' अनिवार्य)

संबंधित व्यक्ति का प्रकार* निदेशक प्रवर्तक कर्ता न्यासी भागीदार प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता प्रोपराइटर

(लागू होने पर एक से अधिक बॉक्स पर टिक किया जा सकता है) न्यायालय द्वारा नियुक्त अधिकारी लाभार्थी लाभार्थी मालिक अन्य मुख्तारनामा धारक

(पृष्ठ क्र 17 की परिभाषा देखें)

2. वैयक्तिक विवरण* (कृपया अंत में अनुदेश छ. II देखें)

	प्रिफिक्स	पहला नाम	बीच का नाम	अंतिम नाम
नाम (पहचान पत्र प्रमाण के समान)*	<input style="width: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text"/>
आरंभिक नाम (यदि कोई हो तो*)	<input style="width: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text"/>
पिता का नाम	<input style="width: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text"/>
माँ/पति-पत्नी का नाम	<input style="width: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text"/>
माता/पिता/पति-पत्नी के नाम में से कोई एक अनिवार्य है,	<input style="width: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text"/>
यूआईडी/आधार संख्या	<input style="width: 30px;" type="text"/>	अथवा आधार नामांकन संख्या		<input style="width: 100px;" type="text"/>
डीआई एन (डाइरेक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर) :	<input style="width: 30px;" type="text"/>	(संबंधित व्यक्ति के निदेशक होने पर अनिवार्य)		
जन्म तिथि *:	<input style="width: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 30px;" type="text"/>
लिंग *:	<input type="checkbox"/> एम-पुरुष <input type="checkbox"/> एफ-महिला <input type="checkbox"/> टी-ट्रांसजेंडर	राष्ट्रीयता: <input type="checkbox"/> आईएन भारतीय <input type="checkbox"/> अन्य (कृपया उल्लेख करें) _____	देश कोड <input style="width: 30px;" type="text"/>	
वैवाहिक स्थिति *:	<input type="checkbox"/> विवाहित <input type="checkbox"/> अविवाहित <input type="checkbox"/> सिंगल <input type="checkbox"/> तलाक़शुदा <input type="checkbox"/> अलग रहने वाले <input type="checkbox"/> डिफैक्टो	(आईएसओ 3166)		
निवास स्थिति *:	<input type="checkbox"/> निवासी व्यक्ति <input type="checkbox"/> अनिवासी भारतीय <input type="checkbox"/> विदेशी नागरिक <input type="checkbox"/> भारतीय मूल के व्यक्ति			
नागरिकता *:	<input type="checkbox"/> भारतीय <input type="checkbox"/> अन्य			
व्यवसाय प्रकार	<input type="checkbox"/> सेवा <input type="checkbox"/> राज्य सरकार <input type="checkbox"/> केन्द्र सरकार <input type="checkbox"/> सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम <input type="checkbox"/> रक्षा <input type="checkbox"/> निजी क्षेत्र			
	<input type="checkbox"/> कारोबार <input type="checkbox"/> उद्यमी <input type="checkbox"/> व्यापार क्षेत्र <input type="checkbox"/> सेवा क्षेत्र <input type="checkbox"/> प्रवासी श्रमिक <input type="checkbox"/> ठेकेदार <input type="checkbox"/> ज्वैलर्स/सराफ़ा व्यापारी <input type="checkbox"/> गिरवी की दुकान			
	<input type="checkbox"/> अन्य <input type="checkbox"/> चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े कर्मी <input type="checkbox"/> विधि क्षेत्र से जुड़े कर्मी/सीए/आईसीडब्ल्यू/कर निर्धारण/वित्तीय विभाग <input type="checkbox"/> अभियंता/वास्तुशास्त्री/तकनीकी सलाहकार			
	<input type="checkbox"/> सेवानिवृत्त <input type="checkbox"/> पत्रकार <input type="checkbox"/> गृहणी <input type="checkbox"/> छात्र <input type="checkbox"/> शेयर एवं स्टॉक ब्रोकर <input type="checkbox"/> अन्य पेशेवर व्यक्ति <input type="checkbox"/> कृषि <input type="checkbox"/> राजनीतिक/सामाजिक कार्यकर्ता			
राजनीतिक रूप से सक्रिय व्यक्ति :	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	राजनीतिक रूप से सक्रिय व्यक्ति वह होता है, जिसे किसी विदेश में प्रमुख सार्वजनिक कार्यक्रम की जिम्मेदारी दी गई हो। उदाहरण के लिए राज्यों अथवा सरकार के प्रमुख, वरिष्ठ सरकारी/न्यायिक/सेना अधिकारी, राज्य सरकार के स्वामित्व के निगमों के वरिष्ठ कार्यपालक, महत्वपूर्ण राजनैतिक दल के अधिकारी आदि ।		
कर निवास देश का कोड *:	<input style="width: 30px;" type="text"/> (भारत का कोड 'आईएन' है)			
भारत के कर निवास का ही देश कोड एवं भारत के बाहर का किसी अन्य देश अथवा क्षेत्र का नहीं* हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> (जवाब नहीं होने पर कृपया पृष्ठ 9 के कॉलम 6 एवं 7 में विवरण भरें)				

पैन/कर पहचान संख्या या अन्य *: यदि कर के उद्देश्य से निवास स्थान भारत है तो पैन नंबर यहाँ भरें।

जन्म स्थान/शहर : जन्म के देश का कोड *:
(आईएसओ 3166)

3. पहचान और पते का प्रमाण

I (वर्तमान पता युक्त निम्नलिखित में से किसी एक आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जानी चाहिए)

ए-पासपोर्ट बी-मतदाता पहचान पत्र सी-ड्राइविंग लाइसेन्स डी-नरेगा जॉब कार्ड पहचान क्रमांक :
 ई-राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी किया गया पत्र जिसमें ये शामिल हो एफ-आधार के होने का प्रमाण जारी करने की तिथि :
या II. ई-केवाईसी प्रमाणीकरण III. आधार का ऑफलाइन सत्यापन वैधता समाप्त होने की तिथि :

विंदु क्रमांक 3 में आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों में अद्यतन पता न होने पर पते का प्रमाण

आधिकारिक रूप से वैध माने जाने वाले किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जानी चाहिए

पते का प्रकार *: आवासीय पता आवास व्यवसाय पंजीकृत कार्यालय गैर-सूचित

पते का प्रमाण *: यूपिलिटी बिल नगरपालिका कर रसीद पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) राज्य/केंद्र/सरकारी/सांविधिक अथवा विनियामक निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र निकाय/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक /वित्तीय संस्था/सूचीबद्ध कंपनियों के नियोजकों द्वारा जारी आवास आबंटन पत्र

4. आवास विवरण:

स्थायी पता जो वर्तमान पता के समान हो

दस्तावेज क्रमांक /पहचान क्रमांक *

जारी कर्ता* जारी करने की तारीख

जारी करने का स्थान * वैधता समाप्त होने की तिथि (यदि लागू हो तो)*

लाइन 1* :

लाइन 2 :

लाइन 3 : शहर/नगर/गाँव *:

जिला *: पिन/डाक कोड *:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र देश का कोड *:

नाम का कोड *: (आईएसओ 3166)

5. संपर्क विवरण (सभी पत्र, दिए गए मोबाइल नंबर-ई-मेल आईडी पर ही भेजे जाएंगे) (कृपया अंत में दिए गए अनुदेश 'च' को देखें)

टेलीफोन (कार्यालयीन) टेलीफोन (आवासीय) :

फैक्स :

मोबाइल

ई-मेल आईडी

6. बहुविध कर रेसिडेंसी : संयुक्त राज्य अमेरिका तथा/अथवा भारत के बाहर के किसी देश अथवा क्षेत्र के बाहर के कर रेसिडेंस देश के विवरण (भारत के अलावा) :

कर रेसिडेंस देश #	कर पहचान क्रमांक अथवा ऐसा कोई, यदि क्षेत्राधिकार के तहत जारी किया गया हो	पहचान का प्रकार (टिन अथवा अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें)

यदि कर रेसिडेंस भारत में हो तो पैन को टिन माना जाए।

1. संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्म लेने वाले व्यक्ति सहित संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक, जो अन्य देश का निवासी हो (जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता नहीं छोड़ी है)

2. संयुक्त राज्य अमेरिका ग्रीन कार्ड धारक सहित संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति

3. कुछ ऐसे व्यक्ति जो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्येक वर्ष 180 से अधिक दिन रहते हैं।

7. क्षेत्राधिकार/देश के बाहर का पता-जहां आवेदक कर प्रयोजन के लिए अनिवासी भारतीय है

पते का प्रकार *: आवासीय / व्यवसाय आवासीय व्यवसाय पंजीकृत कार्यालय गैर-सूचित

लाइन 1* :

लाइन 2 :

लाइन 3 : शहर/नगर/गाँव *:

जिला *: पिन/डाक कोड *:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के देश का कोड :

नाम का कोड *: (आईएसओ 3166)

नाम :

(पहचान पत्र के प्रमाण के अनुरूप हो)

यदि पैन के लिए आवेदन किया गया है और अभी तक नहीं मिला है तो कृपया आवेदन करने की तारीख और पावती क्रमांक

यदि पैन के लिए आवेदन नहीं किया गया है, तो उस वित्त वर्ष, जिसमें उपर्युक्त लेनदेन किया गया है, के लिए आय कर अधिनियम 1961 की धारा 64 के अनुसार (पति/पत्नी, अवयस्क बच्चे आदि की आय सहित) अनुमानित कुल आय भरें।

कृषि आय (₹) कृषि के अलावा अन्य आय

सत्यापन

मैंएतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी समझ एवं विश्वास के अनुसार सही है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मेरे पास स्थायी खाता क्रमांक (पैन) नहीं है और आय कर अधिनियम 1861 की धारा 64, उसके प्रावधानों के अनुसार उस वित्त वर्ष, जिसमें यह लेनदेन किया गया, के दौरान परिगणित मेरी/हमारी आय (पति/पत्नी, अवयस्क बच्चे आदि की आय सहित) अधिकतम राशि, जिस पर कर नहीं लगाया जाता, से कम है। आज दिनांक 20 को सत्यापित किया गया।

स्थान :

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

9. आवेदनकर्ता की घोषणा

- मैं/हम एतद्वारा घोषित करता/करती हूँ/करते हैं कि ऊपर दिए गए विवरण मेरे/हमारी पूर्ण जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही हैं और मैं/हम उसमें कोई बदलाव होने पर आपको उसकी सूचना तुरंत दूँगा/दूँगी/देंगे कोई भी सूचना गलत अथवा भ्रामक अथवा गलत प्रस्तुत किए जाने पर मुझे/हमे पता है कि मैं/हम इसके लिए जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी/रहेंगे।
- मेरे/हमारे केवाईसी विवरण केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री के साथ साझा किए जा सकते हैं।
- उपर्युक्त पंजीकृत मोबाइल नंबर/ई-मेल पते पर एसएमएस/ई-मेल से केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री से सूचना प्राप्त करने के लिए मैं/हम सहमत देता/देती हूँ/देते हैं।
- मैं/हम प्रमाणित करता/करती हूँ/करते हैं कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की 7 अगस्त 2015 की अधिसूचना क्र. एस.ओ. 2155 (ई) द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 285 बीए के अंतर्गत लागू नियमों तथा इस मामले में भारतीय रिजर्व बैंक के 28 अगस्त 2015 के परिपत्र क्रमांक डीबीआर.एएमएल.बीसी.क्र. 36/14.01.001/2015-16 के अनुसार मैंने/हमने परवर्ती संशोधन सहित अपनी स्थिति की घोषणा कर दी है।
- मैं/हम समझता/समझती हूँ/समझते हैं, स्वीकार करता/करती हूँ/करते हैं तथा प्राधिकृत करता/करती हूँ/करते हैं कि आवास की स्थिति तथा/या उसमें निर्धारित अन्य मानदंडों के आधार पर आयकर अधिनियम के प्रावधानों, उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार और इस मामले पर भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के आधार पर, बैंक को मेरे/हमारे खाते (खातों) से संबंधित विवरण निर्धारित प्रारूप में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), या अन्य सरकारी एजेंसी को अंतर-सरकारी करार (आईजीए) की बाध्यता के अनुपालन के तहत विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (फटका) तथा कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स (सीआरएस) तथा/या किसी समान व्यवस्था के तहत रिपोर्ट किए जा सकते हैं।
- मैं/हम प्रमाणित तथा घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि खाता खोलने तथा अन्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए अथवा वेबसाइट/इलेक्ट्रॉनिक रूप से मेरे/हमारे द्वारा हस्ताक्षरित/प्रमाणित तथा खाता खोलने के लिए एवं अन्य सेवा प्राप्त करने के लिए मेरे/हमारे द्वारा किया गया दस्तावेजी प्रमाण, मेरी जानकारी के अनुसार सही और संपूर्ण है तथा मैंने/हमने ऐसी कोई महत्वपूर्ण सूचना नहीं छिपाई, जिससे कि मेरे/हमारे खाते को यू एस रिपोर्टेबल खाता या अन्य रिपोर्टेबल खाता या अन्य के रूप में निर्धारित करने/वर्गीकरण करने में बाधा उत्पन्न हो सके। मेरे/हमारे द्वारा दी गई जानकारी/विवरण गलत या झूठा या भ्रामक या गलत प्रस्तुत किए जाने पर, मैं/हम उसके लिए जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी।
- मैं/हम वचन देता हूँ/देती हूँ/देते हैं कि मेरे द्वारा यहाँ/अथवा अन्य स्थान पर दी गई जानकारी, प्रस्तुत दस्तावेजी प्रमाण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने अथवा कोई प्रमाणीकरण गलत होने अथवा बदल जाने पर, ऐसे परिवर्तन की तारीख से 30 दिनों के अंदर इसकी घोषणा एवं सूचना देने की जिम्मेदारी मेरी/हमारी होगी। जब कभी अपेक्षित होने पर दस्तावेजी प्रमाण के साथ नया एवं वैध स्व-प्रमाण प्रस्तुत करने का भी मैं वचन देता/देती हूँ। जब तक उपर्युक्तानुसार बैंक को संशोधित स्व-प्रमाणीकरण प्रस्तुत किया नहीं जाता, तब तक मेरे द्वारा दी गई ऐसे सभी संशोधित दस्तावेज/जानकारी के मामले में भी यहाँ दिया गया वचन लागू होगा।
- मैं/हम इस बात से भी सहमत हूँ/हैं कि अब या भविष्य में मुझे/हमें ज्ञात कोई महत्वपूर्ण तथ्य/सूचना प्रकट करने या निर्धारित समय के भीतर दस्तावेजों/सूचना/अन्य विवरणों में किसी विसंगति का समाधान नहीं करने पर मैं खाते से लेनदेन कर नहीं पाऊँगा तथा मेरे खाते में परिचालन पर रोक लगाने या उसे बंद करने या किसी भी विनियामक या भारत सरकार (जीओआई)/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस कार्य के लिए तैनात प्राधिकरण को रिपोर्ट करने या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड/भारतीय रिजर्व बैंक/भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देश के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई शुरू करने का अधिकार बैंक को है।
- भारत या विदेश में खाता के परिचालन या रख-रखाव से संबंधित किसी भी नियम के बदलने के कारण मुझसे/हम से मांगी जानेवाली किसी भी प्रकार की जानकारी प्रस्तुत करने या सूचित करने के लिए मैं/हम सहमत हूँ/हैं।
- मैं/हम प्रमाणित करता/करती हूँ/करते हैं कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड नियम/भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मुझे/हमें संस्था की ओर से हस्ताक्षर करने की पात्रता है।
- मेरे/हमारे द्वारा दिए गए विवरण में चूक/गलती या गलत या अधूरी जानकारी देने के कारण बैंक को यदि कोई हानि/नुकसान होने पर, मैं/हम उसकी क्षतिपूर्ति करूँगा/करूँगी/करेंगे।

दिनांक

स्थान : _____

हस्ताक्षर
आवेदक का नाम

सत्यापन / केवल कार्यालयीन उपयोग के लिए

प्राप्त दस्तावेज़ प्रमाणित प्रतियाँ ई-दस्तावेज़ के समकक्ष जोखिम श्रेणी: उच्च मध्यम कम

पहचान के सत्यापन द्वारा व्यक्तिशः सत्यापन किया गया किया गया दिनांक:

कर्मचारी/पदधारी के हस्ताक्षर _____ कर्मचारी/पदधारी का नाम _____

नमूना हस्ताक्षर क्रमांक/इसी क्रमांक _____ कर्मचारी/पदधारी का पदनाम : _____ कर्मचारी/पदधारी की शाखा : _____

अनुदेश :

- जहाँ * चिह्न हैं उसे भरना अनिवार्य है
- फार्म को स्पष्ट अक्षरों में भरें

आवेदन का प्रकार* नया अद्यतन करना है

केवाईसी नंबर (वित्तीय संस्था द्वारा भरा जाए)

(अद्यतन करने के अनुरोध के समय संस्था की केवाईसी संख्या देना अनिवार्य है)

पते का प्रमाण (पीओए)

पत्राचार/स्थानीय पता विवरण*

वर्तमान/स्थायी पते का विवरण के समान

पते का प्रकार*

आवासीय या व्यवसाय आवासीय व्यवसाय पंजीकृत कार्यालय गैर-सूचित

लाइन 1*:

लाइन 2 :

लाइन 3 :

 शहर/नगर का नाम:

जिला :

 देश का नाम :

राज्य/युटी
का नाम

 पिन/पोस्ट कोड

संपर्क विवरण (यदि मोबाइल/ईमेल से संपर्क करना है तो निम्नलिखित मोबाइल/ईमेल पर संपर्क करें)

टेलीफोन (कार्यालय):

टेलीफोन (आवास)

मोबाइल नं.:

फैक्स :

ईमेलआईडी :

आवेदक द्वारा घोषणा

- । मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि ऊपर दिया गया विवरण मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है और यदि इसमें कोई परिवर्तन होता है तो मैं/हम तत्काल आपको सूचित करूंगा/करूंगी/करेंगे ।
यदि कोई भी सूचना भ्रामक या गलत ढंग से प्रस्तुत पाई जाती है तो मुझे/हमे पता है कि मैं/हम इसके लिए जिम्मेदार हूँ/होंगे।
। मेरा/हमारा वैयक्तिक केवाईसी विवरण केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री के साथ शेयर किया जा सकता है।
। मैं/हम इससे सहमत हूँ/हैं कि केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री द्वारा उपर पंजीकृत नंबर/ईमेल पते पर मुझे/हमें एसएमएस/ई-मेल द्वारा सूचित किया जा सकता है ।

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर

संस्था के प्राधिकृत व्यक्ति का नाम

सत्यापन / केवल कार्यालयीन उपयोग के लिए

प्राप्त दस्तावेज़ प्रमाणित प्रतियाँ ई-दस्तावेज़ के समकक्ष जोखिम श्रेणी उच्च मध्यम कम

पहचान के सत्यापन द्वारा व्यक्तिशः सत्यापन किया गया किया गया दिनांक

कर्मचारी/पदधारी हस्ताक्षर _____ कर्मचारी/पदधारी का नाम _____

नमूना हस्ताक्षर कर्मांक/इसी क्रमांक _____ कर्मचारी/पदधारी का पदनाम : _____ कर्मचारी/पदधारी का शाखा : _____

(कंपनी (स्टॉक एक्सचेंज पर अधिसूचित कंपनी या ऐसी कंपनी की अनुषंगी को छोड़कर), भागीदारी फर्म, अनिगमित एसोसिएशन या व्यक्ति निकाय तथा न्यास के लिए लागू)

1. ग्राहक का नाम : _____
(कंपनी, भागीदारी फर्म, अनिगमित एसोसिएशन या व्यक्ति निकाय तथा न्यास)
2. पंजीकृत नंबर : _____
(यदि उपलब्ध है तो)
3. पंजीकृत पता : _____

उपर्युक्त ग्राहक द्वारा पुष्टि और घोषणा करने की तारीख

--	--	--	--	--	--

निम्नलिखित वास्तविक व्यक्ति (व्यक्तियों) (निम्नलिखित टेबल पर दिए गए) नियंत्रण करते हैं या अंशतः नियंत्रणकर्ता स्वामित्व हित है अर्थात् पूंजी/लाभ/संपत्ति या वोटिंग अधिकार द्वारा नियंत्रण, करार, व्यवस्था आदि में 25% (कंपनी)/15% से अधिक (भागीदारी फर्म, व्यक्तियों का अनिगमित संघ) / 15% या उससे अधिक (न्यास)

(लाभार्थी मालिक की परिभाषा के लिए पृष्ठ 17 देखें)

क्र. सं.	लाभार्थी मालिक/नियंत्रणकर्ता वास्तविक व्यक्ति (व्यक्तियों) का पूरा नाम	जन्म तिथि	राष्ट्रीयता	पता	केवाईसी दस्तावेजों का प्रकार	नियंत्रक स्वामित्व हित %

हम प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त कथन सही है तथा हम वचन देते हैं कि जब भी उपर्युक्त टेबल में दी गई कंपनी, भागीदारी फर्म, अनिगमित एसोसिएशन या व्यक्तियों का निकाय तथा न्यास के नियंत्रणकर्ता व्यक्ति या नियंत्रणकर्ता स्वामित्व हित रखनेवाले व्यक्तियों में परिवर्तन होगा तो हम बिना किसी विलंब के बैंक ऑफ़ बड़ौदा को सूचित करेंगे।

कृते एवं की तरफ से (कंपनी, भागीदारी फर्म, अनिगमित एसोसिएशन या व्यक्ति निकाय तथा न्यास के नाम) :

प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर* : _____

प्राधिकृत अधिकारी का पूरा नाम : _____

पदनाम/स्थिति : _____

दिनांक :

स्थान :

*(घोषणा पत्र पर भागीदारी फर्म के मामले में सक्रिय/पदनामित भागीदारी द्वारा, न्यास के प्रकरण में ट्रस्टी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए)

केवल शाखा के उपयोग के लिए

हम प्रमाणित करते हैं कि उक्त फर्म के लाभार्थी मालिक का अभिनिश्चय उपर्युक्त कंपनी/फर्म/न्यास द्वारा की गई घोषणा के आधार पर किया गया है तथा उपर्युक्त विवरणों को जहां कहीं उपलब्ध है, पब्लिक डोमेन से सत्यापित किया गया है।

(शाखा प्रमुख/शाखा परिचालन प्रमुख का हस्ताक्षर)

नाम : _____

नमूना हस्ताक्षर नंबर/क.कू.सं. : _____

दिनांक : _____

चालू खाता खोलने/जारी रखने के लिए घोषणा सह वचन पत्र
(चालू खाता खोलने के प्रारूप हेतु अनुलग्नक)

चालू खाता खोलने/ जारी रखने हेतु पात्रता																	
1.	क्या आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा सहित किसी अन्य बैंक में सीसी/ओडी (कैश क्रेडिट/ओवरड्राफ्ट) सुविधा (सुविधाएं) हैं ?	<input type="checkbox"/> हां या <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार चालू खाता खोलने/जारी रखने की अनुमति नहीं है. यदि नहीं, तो कृपया क्रम संख्या 2 पर जाएं.															
2.	क्या आपने बैंक ऑफ बड़ौदा सहित किसी अन्य बैंक से ऋण सुविधा (सुविधाएं) (सीसी/ओडी को छोड़कर) प्राप्त की है ?	<input type="checkbox"/> हां या <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो कृपया क्रम संख्या 3 पर जाएं. यदि नहीं, तो आप चालू खाता खोल सकते हैं / जारी रख सकते हैं															
3.	यदि प्रश्न संख्या 2 का उत्तर हां है, तो प्राप्त की गई ऋण सुविधा (सुविधाएं) (सीसी/ओडी को छोड़कर) राशि की श्रेणियों को चयनित करें, उदाहरण के लिए	<input type="checkbox"/> आप निम्न घोषणा के साथ चालू खाता खोल सकते हैं / जारी रख सकते हैं <input type="checkbox"/> मैं/हम आपको वचन देता/ते हूँ / है कि जैसे ही और जब भी मेरे/हमारे द्वारा प्राप्त की गई ऋण सुविधा(सुविधाओं) की राशि, 5 करोड़ या उससे अधिक होती है तो मेरे/हमारे द्वारा आपको इसकी सूचना तुरंत दी जाएगी. <input type="checkbox"/> मैं/हम यह समझता हूँ / ते है कि जैसे ही और जब भी मेरे/हमारे द्वारा प्राप्त की गई ऋण सुविधा (सुविधाओं) की राशि, 5 करोड़ या उससे अधिक होती है तो मेरा/हमारा चालू खाता, इस घोषणा सह वचन पत्र के अनुच्छेद 3 (बी) या 3 (सी) के प्रावधानों, जो भी लागू हो, के अंतर्गत शासित होगा															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>बैंक</th> <th>निधि आधारित जैसे टीएल/डीएल</th> <th>गैर निधि आधारित जैसे एलसी/बीजी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>बैंक ऑफ बड़ौदा</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>बैंक 1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>बैंक 2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>कुल</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	बैंक	निधि आधारित जैसे टीएल/डीएल	गैर निधि आधारित जैसे एलसी/बीजी	बैंक ऑफ बड़ौदा			बैंक 1			बैंक 2			कुल			
बैंक	निधि आधारित जैसे टीएल/डीएल	गैर निधि आधारित जैसे एलसी/बीजी															
बैंक ऑफ बड़ौदा																	
बैंक 1																	
बैंक 2																	
कुल																	
	यदि आवश्यकता हो तो अतिरिक्त पंक्तियां जोड़ें	<input type="checkbox"/> क. बैंक ऑफ बड़ौदा सहित किसी अन्य बैंक में ऋण सुविधा (सुविधाएं) जो रुपए 5 करोड़ से कम हो <input type="checkbox"/> ख. बैंक ऑफ बड़ौदा सहित किसी अन्य बैंक से रुपए 5 करोड़ या अधिक लेकिन 50 करोड़ से कम राशि की ली गई ऋण सुविधा (सुविधाएं) <input type="checkbox"/> ग. बैंक ऑफ बड़ौदा सहित किसी अन्य बैंक में रु. 50 करोड़ या उससे अधिक ऋण सुविधा (एं)															
		क्या बैंक ऑफ बड़ौदा से इनमें से किसी ऋण सुविधा (सुविधाओं) का लाभ लिया गया है ? <input type="checkbox"/> हां या <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में चालू खाता खोला/जारी रखा जा सकता है. यदि नहीं, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में केवल एक उगाही खाता खोला/जारी* रखा जा सकता है. आप बैंक ऑफ बड़ौदा में केवल एक उगाही खाता खोल/जारी* रख सकते हैं. इस प्रकार के संग्रह खाते में - इस संग्रह खाते में केवल जमा करने की अनुमति होगी तथा इन खातों में नामे की सुविधा (सुविधाएं) तय अंतरालों में केवल ऋण दाता बैंक के चालू खाते में धन प्राप्तियों के प्रेषण के उद्देश्य से सीमित रहेगी. \$\$ इसलिए, इन खातों में संख्या या राशि के आधार पर जमा करने की कोई शर्त नहीं रहेगी किन्तु नामे की सुविधा केवल उक्त चालू खाता में धन प्राप्तियों के प्रेषण के उद्देश्य से सीमित रहेगी. जमा शेष का उपयोग, किसी गैर निधि आधारित ऋण सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए मार्जिन के रूप में नहीं किया जा सकेगा.															
		क्या इनमें से कोई ऋण सुविधा (एं) बैंक ऑफ बड़ौदा से प्राप्त की है. <input type="checkbox"/> हां या <input type="checkbox"/> नहीं यदि नहीं, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में चालू खाता नहीं खोला/जारी रखा जा सकता है. यदि हां, तो क्या बैंक ऑफ बड़ौदा या तो आपका एस्क्रो मैनेजिंग बैंक है या ऋण सुविधा(ओं) के लिए एकल ऋणदाता है? <input type="checkbox"/> हां या <input type="checkbox"/> नहीं यदि प्रश्न (बी) का उत्तर हां है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में चालू खाता खोला/जारीरखा जा सकता है. यदि प्रश्न बी का उत्तर (नहीं) है, तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा में एक उगाही खाता खोल/जारी रख सकते हैं. इस उगाही खाते में केवल जमा करने की अनुमति होगी तथा नामे की सुविधा केवल तय अंतरालों में ऋण सुविधा (एं) दाता एस्क्रो मैनेजिंग बैंक के एस्क्रो खाते में धन प्राप्तियों के प्रेषण के उद्देश्य से सीमित रहेगी. ∞ इसलिए इस खाते में संख्या या राशि के आधार पर जमा करने की कोई शर्त नहीं रहेगी किन्तु नामे की सुविधा केवल उक्त एस्क्रो खाते में धन प्राप्तियों के प्रेषण के उद्देश्य से सीमित रहेगी. जमा शेष का उपयोग, किसी गैर निधि आधारित ऋण सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए मार्जिन के रूप में नहीं किया जा सकेगा.															

(ऋण सुविधा स्वीकृत है/ऋण सुविधा/सीमाएं)

मैं/हम यह वचन देता / ते हूँ / है कि यदि मेरे/हमारे सीसी/ओडी अन्य ऋण सुविधा के संबंध में उपर्युक्त घोषणा सह वचनपत्र में कोई भी परिवर्तन होता है तो मेरे/हमारे द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा को इसकी सूचना तुरंत दी जाएगी. मैं/हम यह भी समझता/ते हूँ / है कि उपर्युक्त घोषणा सह वचनपत्र के माध्यम से मेरे/ हमारे द्वारा दिए गए उपर्युक्त तथ्यों/पक्षों में कोई भी परिवर्तन होने के संबंध में इसकी सूचना बैंक ऑफ बड़ौदा को देने की एकमात्र जिम्मेदारी मेरी/हमारी होगी. मैं/हम इस पर भी सहमत हूँ/हैं कि उपर्युक्त घोषणा सह वचनपत्र में मेरे/हमारे द्वारा दिए गए उपर्युक्त तथ्यों/पक्षों में कोई भी परिवर्तन होने और/या लागू विधि/विनियमन के आधार पर नए घोषणा सह वचनपत्र की आवश्यकता पड़ने पर, मेरे / हमारे द्वारा नया घोषणा सह वचनपत्र प्रस्तुत कर दिया जाएगा. मैं/हम इस पर भी सहमत हूँ/ है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के अनुरोध पर मेरे / हमारे द्वारा चालू खाता बंद कर दिया जाएगा .

ग्राहक(कों)/प्राधिकृत प्रतिनिधि (यों) के हस्ताक्षर

*कृपया जो लागू न हों उसे काट दें .

\$\$ प्राधिकृत हस्ताक्षरी (रियों) के हस्ताक्षरित पत्र के द्वारा ग्राहक को आवधिक (दैनिक/साप्ताहिक/ मासिक आदि) रूप से सूचित करना है.

सामान्य अनुदेश :

ए. "केवल कार्यालय के प्रयोग के लिए" खण्ड को भरने के लिए स्पष्टीकरण/दिशानिर्देश
खाते का प्रकार: सरलीकृत केवल एफपीआई श्रेणी I तथा II के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए.
खातेधारक का प्रकार:

यूएस रिपोर्ट करने योग्य (एफएटीसीए) एफ1- स्वामी -निर्दिष्ट यूएस स्वामी / स्वामियों सहित प्रलेखित एफआई एफ2-वास्तविक यूएस स्वामी /स्वामियों सहित निष्क्रिय गैर वित्तीय इकाई एफ3- भाग न लेने वाले एफएफआई एफ4-निर्दिष्ट यूएस व्यक्ति एफ5-एनएफएफआई को प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग XX- लागू नहीं	अन्य रिपोर्ट करने योग्य एफएटीसीए सी1 - निष्क्रिय गैर वित्तीय इकाई जिसमें एक या एक से अधिक नियंत्रणकारी व्यक्ति, रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति, हो सी2- अन्य रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति सी3- सीआरएस रिपोर्ट करने योग्य निष्क्रिय गैर वित्तीय इकाई XX- लागू नहीं
---	---

कंपनी तथा भागीदारी के मामले में, निकाय का पैना अनिवार्य है। अन्य निकायों के मामले में, फॉर्म 60 प्राप्त किया जा सकता है। (कंपनी अधिनियम, 2013)

सी. "निकाय विवरण" खण्ड को भरने के लिए स्पष्टीकरण / दिशानिर्देश

- एकल स्वामित्व वाली कंपनियों के लिए, यदि पैना उपलब्ध नहीं है, फॉर्म 60 प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- पहचान का प्रकार: टी - टीआईएन , सी - कंपनी पहचान संख्या, जी-यूएस जीआईआईएन, ई-गोबल निकाय पहचान संख्या (ईआईएन) ओ -अन्य
- कम्पनियों के लिए 'व्यवसाय शुरू करने की तारीख' अनिवार्य है तथा अन्य निकाय, यदि लागू हो तो उपलब्ध करा सकते हैं।

डी. "पहचान के प्रमाण" (पीओआई) खण्ड को भरने के लिए स्पष्टीकरण / दिशानिर्देश

- एकल स्वामित्व वाली फर्म के मामले में खातों के लिए गतिविधि प्रमाण -1 तथा गतिविधि प्रमाण -2 लागू है। कृपया इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी संबंधित निर्देशों का संदर्भ लें।
- कृपया विधिक निकाय के लिए लागू दस्तावेजों के संबंध में नियामक द्वारा जारी लागू निर्देशों का संदर्भ लें।
- डिजिटल केवाईसी प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज या समकक्ष ई-दस्तावेज या ओबीडी की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- ई-दस्तावेज के समतुल्य का अर्थ है किसी दस्तावेज के इलेक्ट्रॉनिक समतुल्य होगा, जो इस तरह के दस्तावेज को जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा उसके वैध डिजिटल हस्ताक्षर के साथ जारी किया जाता है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी, नियम, 2016 (डिजिटल लॉकर सुविधाएं प्रदान करने वाले मध्यस्थों द्वारा संरक्षण और प्रतिभारण) के नियम 9 के अनुसार ग्राहक के डिजिटल लॉकर खाते में जारी किए गए दस्तावेज शामिल हैं।
- डिजिटल केवाईसी प्रक्रिया को पीएमएन नियमों, 2005 में निर्धारित किया गया है।
- सभी संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां, जो भी लागू हों, प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।
- विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए केवाईसी आवश्यकताएं समय-समय पर संबंधित नियामक द्वारा निर्दिष्ट की जाएंगी।
- विभिन्न निकाय के गठन का प्रकार के लिए आवश्यक दस्तावेजों का विवरण पृष्ठ संख्या 17 (आवश्यक केवाईसी दस्तावेज) पृष्ठ सं. 17 में उल्लिखित है।

ई. 'पते के प्रमाण डपीओए' खण्ड को भरने के लिए स्पष्टीकरण / दिशानिर्देश

- राज्य / केंद्र शासित प्रदेश और पिन / पोस्ट कोड, विदेशी पते के लिए अनिवार्य नहीं होगा।
- दस्तावेज या समतुल्य ई-दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जाए।
- एकाधिक पत्र व्यवहार / स्थानीय पते के मामले में, कृपया अनुबंध-च्छ भरे।

एफ. "संपर्क विवरण" खण्ड भरने के लिए स्पष्टीकरण / दिशानिर्देश

- कृपया दो अंकों वाले देश कूट और 10 अंकों के मोबाइल नंबर का उल्लेख करें (अर्थात भारतीय मोबाइल नंबर के लिए 91-9999999999 लिखें)
- मोबाइल नंबर की शुरुआत में 0 न लिखें।

बी. "निकाय के गठन का प्रकार" खण्ड को भरने के लिए स्पष्टीकरण / दिशानिर्देश
"निकाय के गठन का प्रकार"

क. एकल स्वामित्व ख. भागीदारी फर्म घ. अतिमक हिन्दू परिवार ग. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ड. सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी च. सोसाइटी छ. व्यक्तियों का संघ (एओपी)/ व्यक्तियों का निकाय (बीओआई)	ज. न्यास झ. परिस्मापक ञ. सीमित देयता भागीदारी ट. कृत्रिम देयता भागीदारी ठ. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ड. केंद्र / राज्य सरकार के विभाग अथवा संस्था	ड. धारा 8 कंपनी (कंपनी अधिनियम, 2013) ण. कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति त. अंतर्राष्ट्रीय संस्था अथवा एजेंसी / विदेशी दूतावास अथवा वाणिज्य दूतावास कार्यालय आदि. थ. गैर वर्गीकृत द. अन्य /
---	--	---

जी. 'संबंधित व्यक्ति के विवरण' अनुभाग को भरने के लिए स्पष्टीकरण / दिशानिर्देश

- व्यक्तिगत विवरण
नाम : कृपया उपपद (श्री / श्रीमती/ सुश्री / डॉ. आदि) सहित नाम लिखें. प्रस्तुत पहचान पत्र में उल्लिखित नाम के अनुरूप ही नाम होना चाहिए. अन्यथा आवेदन को अस्वीकृत किया जा सकता है.
 - पते का प्रमाण (पीओए)
पीओए को केवल तभी प्रस्तुत किया जाना है, जब प्रस्तुत पीओए में कोई पता उल्लिखित न हो अथवा पीओए के अनुसार पता अमान्य हो या लागू न हो.
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश और पिन / पोस्ट कोड, विदेशी पते के लिए अनिवार्य नहीं होगा.
समकक्ष पीओए, जैसे यूटीलिटी बिल, के मामले में, दस्तावेज को सीकेवाईसीआर पर अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है आरई स्व घोषणा पत्र चेक बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं जहां ग्राहक के लिए आधार प्रमाणीकरण सफलतापूर्वक पूरा किया गया है और ग्राहक अपना वर्तमान पता प्रदान करना चाहता है जो केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी में उपलब्ध पहचान जानकारी के अनुसार उनके पते से भिन्न है.
 - यदि संबंधित व्यक्ति का केवाईसी नंबर उपलब्ध है तो संबंधित व्यक्ति के नाम और प्रकार के अलावा किसी अन्य विवरण की आवश्यकता नहीं है.
 - विनियमित निकाय (आरई), आधार संबंधी डेटा और दस्तावेजों जैसे आधार के कच्चे का प्रमाण, को सीकेवाईसीआर पर अपलोड करते समय आधार संख्या (पहले 8 अंक) को पुनः प्राप्त करेंगी.
 - प्रत्येक नियंत्रणकारी / संबंधित व्यक्ति / हितकारी स्वामी के लिए अलग अनुबंध (ए छ) प्रस्तुत करें :
6. कर उद्देश्यों के लिए भारत के बाहर के निवासी :
i. एकाधिक कर निवास विवरणों को केंद्र करने का प्रावधान उपलब्ध कराया गया है (अनुबंध III)
ii. कर पहचान संख्या (टीआईएन) (TIN): यदि टीआईएन, प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया है तो इसे रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है. हालांकि, यदि उक्त प्राधिकारी ने पहचान के समान स्तर (कार्यात्मक समकक्ष) का एक उच्च इंटीग्रेटी नंबर जारी किया है तो इसे रिपोर्ट किया जा सकता है.
 - पहचान का प्रमाण :
i. यदि ड्राइविंग लाइसेंस नंबर या पासपोर्ट, पीओआई के रूप में प्रदान किया जाता है तो समाप्ति की तारीख अनिवार्य रूप से उल्लिखित करनी है.
ii. यदि ज़ेड - अन्य है तो पहचान / संदर्भ संख्या का उल्लेख करें (केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई भी दस्तावेज टिक करें).
 - नियंत्रणकारी व्यक्ति के लिए अनुभाग 1 ए प्रस्तुत किया जाना है और संबंधित व्यक्ति के लिए अनुभाग 1 बी प्रस्तुत किया जाना है.
 - नियंत्रक व्यक्तियों का विवरण केवल तभी आवश्यक है जब आयकर नियमों के अनुसार विधिक निकाय निष्क्रिय एनएफआई है. 'नियंत्रक व्यक्ति' से तात्पर्य एक प्राकृतिक व्यक्ति है जो एक निकाय पर नियंत्रण रखता है और जो धन-सोपान निवारण के नियम 9 के उप-नियम (3) (अभिलेखों का रखरखाव नियम, 2005) के अंतर्गत एक हितकारी स्वामी निर्धारित होता है.
- स्पष्टीकरण 1 - हितकारी स्वामी के निर्धारण में, निम्नलिखित परिपत्रों, यथासमय संशोधित, में निर्दिष्ट उद्देश्य लागू होंगे :-**
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी डीबीओडी.एमएन.सी.नं.71/14.01.001/2012-13, दिनांक 18.01.2013.
 - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा जारी सीआईआर/एमआईआरएसडी/2/2013, दिनांक 24.01.2013 अथवा
 - बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी आईआरडीए/एसडीडी/जीडीएल/सीआईआर/019/02/2013, दिनांक 04.02.2013.
- स्पष्टीकरण 2-** किसी न्यास के मामले में, नियंत्रक व्यक्ति का अर्थ है व्यवस्थापक, न्यासी, रक्षक (यदि कोई हो), हितधारक अथवा हितधारियों का वर्ग और कोई भी अन्य प्राकृतिक व्यक्ति जो न्यास पर परम प्रभावी नियंत्रण रखता हो तथा न्यास के अतिरिक्त विधिक व्यवस्था के मामले में, उक्त अभिव्यक्ति से तात्पर्य समकक्ष या समान स्थिति वाले व्यक्ति से होता है.

विधिक इकाई का प्रकार	नियंत्रणकर्ता व्यक्ति (सीपी) का प्रकार	लागू मद्द
एकल स्वामित्व	एकल स्वामी	नियंत्रणकर्ता व्यक्ति आवश्यक नहीं
हिंदू अविभाजित परिवार	• कर्ता • प्रत्येक सहदायिक (को पारसंर)	सी09-विधिक व्यवस्था के अनुसार नियंत्रणकर्ता व्यक्ति अन्य सेटलर/या सी-10 विधिक व्यवस्था के अनुसार नियंत्रणकर्ता व्यक्ति अन्य न्यासी समान सी12-विधिक व्यवस्था के अनुसार नियंत्रणकर्ता व्यक्ति-अन्य-लाभार्थी समान
भागीदारी	• स्वामित्व • अन्य साधन • वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी	सी01-विधिक व्यक्ति का सीपी-स्वामित्व सी-01-विधिक व्यक्ति का सीपी-अन्य साधन सी-03 विधिक व्यक्ति का सीपी-वरिष्ठ प्रबंधन/अधिकारी
कंपनी	• स्वामित्व • अन्य साधन • वरिष्ठ प्रबंध अधिकारी	सी01-विधिक व्यक्ति का सीपी-स्वामित्व सी02-विधिक व्यक्ति का सीपी-अन्य साधन सी03-विधिक व्यक्ति का सीपी-वरिष्ठ प्रबंधन/अधिकारी
सोसाइटी	• स्वामित्व • अन्य साधन • वरिष्ठ प्रबंध अधिकारी	सी01-विधिक व्यक्ति का सीपी-स्वामित्व सी02-विधिक व्यक्ति का सीपी-अन्य साधन सी03-विधिक व्यक्ति का सीपी-वरिष्ठ प्रबंधन/अधिकारी
एओपी/बीओआई	• सदस्य (स्वामी) • सेटलर के समान • ट्रस्टी के समान • प्रोटेक्टर के समान • लाभार्थी के समान • अन्य	सी01-विधिक व्यक्ति का सीपी-स्वामित्व सी09-विधिक व्यवस्था के अनुसार सीपी-अन्य-सेटलर के समान सी10-विधिक व्यवस्था के अनुसार सीपी-अन्य ट्रस्टी के समान सी11-विधिक व्यवस्था के अनुसार सीपी-अन्य संरक्षक के समान सी12-विधिक व्यवस्था के अनुसार सीपी-अन्य-लाभार्थी के समान सी13-विधिक व्यवस्था के अनुसार सीपी-अन्य-अन्य के समान
न्यास	• सेटलर • न्यासी • संरक्षक • लाभार्थी • अन्य	सी04-विधिक व्यवस्था के अनुसार सीपी-न्यास-सेटलर सी05-विधिक व्यवस्था के अनुसार सीपी-न्यास-न्यासी सी-06-विधिक व्यवस्था के अनुसार सीपी-न्यास-संरक्षक सी-07-विधिक व्यवस्था के अनुसार सीपी-न्यास-लाभार्थी सी-08-विधिक व्यवस्था के अनुसार सीपी-न्यास-अन्य
परिस्मापक		नियंत्रणकर्ता व्यक्ति आवश्यक नहीं
सीमित देयता भागीदारी	• भागीदार (स्वामित्व) • अन्य साधन • वरिष्ठ प्रबंध अधिकारी	सी-01-विधिक व्यक्ति का सीपी-स्वामित्व सी-02-विधिक व्यक्ति का सीपी-अन्य साधन सी03-विधिक व्यवस्था के अनुसार सीपी वरिष्ठ प्रबंध अधिकारी
कृत्रिम विधिक व्यक्ति	• सेटलर के समान	सी09-विधिक व्यवस्था के अनुसार सीपी-अन्य सेटलर के समान
	• न्यासी • संरक्षक • लाभार्थी • अन्य	सी10-विधिक व्यवस्था के अनुसार सीपी-ट्रस्टी के समान सी11-विधिक व्यवस्था के अनुसार सीपी-अन्य-संरक्षक के समान सी12-विधिक व्यवस्था के अनुसार सीपी-अन्य - लाभार्थी के समान सी13-विधिक व्यवस्था के अनुसार सीपी-अन्य-अन्य के समान

ज.	<p>निष्क्रिय गैर-वित्तीय संस्था : इसका आशय इनसे है-</p> <ol style="list-style-type: none"> कोई भी ऐसी गैर-वित्तीय संस्था जो सक्रिय गैर-वित्तीय संस्था नहीं है, या. कोई भी ऐसी निवेश संस्था जिसकी कुल आय मुख्य रूप से वित्तीय आस्तियों में निवेश, पुनर्निवेश अथवा व्यापार से आती हो, यदि इस संस्था का प्रबंध किसी अन्य संस्था यथा डिपॉजिटरी संस्था, अभिरक्षा संस्था, विनिर्दिष्ट बीमा कंपनी अथवा नीचे के नोट में उल्लिखित निवेश संस्था द्वारा किया जाता है. फॉरिन पार्टनरशिप अथवा फॉरिन ट्रस्ट में धारिता न होना ('फॉरिन पार्टनरशिप में धारिता' का आशय ऐसी विदेशी भागीदारी से है, जिसने संयुक्त राज्य अमरीका के साथ धारिता करार किया है, जिसमें अपने भागीदारों, लाभार्थियों अथवा मालिकों को सभी भुगतान करने हेतु प्राथमिक धारिता जिम्मेदारी लेने के लिए वह सहमत हो।) <p>नोट :</p> <ol style="list-style-type: none"> कोई भी ऐसी संस्था जो ग्राहक के लिए अथवा उसकी ओर से व्यवसाय के तौर पर मुख्य रूप से निम्नलिखित गतिविधियों अथवा परिचालनों में से कोई एक गतिविधि अथवा परिचालन करती है, यथा: <ol style="list-style-type: none"> मुद्रा बाजार लिखतों (चेक, बिल, जमा प्रमाणपत्र, डेरिवेटिव्स आदि); विदेशी मुद्रा, विनिमय, ब्याज दर एवं इंडेक्स लिखतों अंतरणीय प्रतिभूतियों अथवा पण्य भावी सौदों का व्यापार करती है; वैयक्तिक एवं सामूहिक संविभाग प्रबंधन; अथवा अन्य व्यक्तियों की ओर से निवेश, प्रशासन अथवा वित्तीय आस्तियों अथवा मुद्रा का प्रबंधन । <p>स्पष्टीकरण 1 : ऊपर 1 में बताई गई गतिविधियों में से एक अथवा एक से अधिक गतिविधियां करने अथवा निवेश संस्था अर्थात् निष्क्रिय संस्था के प्रयोजनों से किसी संस्था की कुल आय मूलतया वित्तीय आस्तियों में निवेश, पुनर्निवेश अथवा व्यापार से आने, यदि संस्था की कुल आय (i) संकल्प किए जाने के पूर्व वर्ष के 31 मार्च को समाप्त तीन वर्ष की अवधि अथवा (ii) संस्था के अस्तित्व में होने की अवधि के दौरान की कुल आय के 50% के बराबर अथवा उससे अधिक होने पर किसी संस्था को व्यवसाय करने वाली संस्था माना जाएगा ।</p> <p>स्पष्टीकरण 2 : "निवेश संस्था" शब्द में सक्रिय गैर-वित्तीय संस्था शामिल नहीं है, क्योंकि वह नियम 114 च के खंड (6) के स्पष्टीकरण के खंड (क) के उप-खंड (iv), (v), (vi) अथवा (vii) के किसी मानदंड को पूरा करती है । पैसिव आय में (1) लाभांश; (2) ब्याज; (3) ब्याज के बराबर की आय; (4) किराया एवं रॉयल्टी (गैर-वित्तीय संस्था के कर्मचारियों द्वारा सक्रिय रूप से किए गए व्यवसाय से आंशिक रूप से प्राप्त किराया एवं रॉयल्टी से भिन्न); (5) वार्षिकी (6) वित्तीय आस्तियों की बिक्री अथवा विनिमय की हानियों की तुलना में अतिरिक्त लाभ जिससे पैसिव आय बढ़ती है (7) किसी वित्तीय आस्तिक के लेन-देन (पयूचर्स, वायदा, ऑपशंस एवं इस प्रकार के लेनदेन सहित) में हानियों पर अतिरिक्त लाभ (8) विदेशी मुद्रा हानियों की तुलना में हुए विदेश मुद्रा के अतिरिक्त लाभ (9) अवल-बदली से प्राप्त निवल आय अथवा (10) नकद मूल्य के बीमा टेकों से प्राप्त राशियाँ शामिल हैं ।</p> <p>बशर्ते कि व्यापारी के रूप में नियमित रूप से कार्य करने वाली गैर-वित्तीय संस्था के मामले में डीलर के रूप में ऐसे व्यापार की सामान्य अवधि में किए गए किसी भी लेनदेन से प्राप्त आय पैसिव आय में शामिल नहीं होगी ।</p> <p>संबद्ध संस्था-अन्य किसी संस्था की संबद्ध संस्था होती है, यदि वह अन्य संस्था का नियंत्रण करती है अथवा दोनों संस्थाएं एक ही नियंत्रण में आती हैं ।</p> <p>स्पष्टीकरण-इस खंड के प्रयोजन से नियंत्रण में किसी संस्था के 50 प्रतिशत से भी अधिक मत और मूल्य का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वामित्व का नियंत्रण भी शामिल है ।</p>
झ.	<p>एक्टिव एनएफई निम्नलिखित में से कोई एक है</p> <ol style="list-style-type: none"> पिछले वित्तीय वर्ष में इकाई की सकल आय पचास प्रतिशत से कम होने पर वह पैसिव आय है और इकाई के द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में पचास प्रतिशत से कम आस्तियों के धारिता की स्थिति में इकाई को पैसिव आय उत्पन्न करने वाला माना जाएगा;या इकाई के स्टॉक नियमित रूप से स्थापित सिक्नोरिटी मार्केट में खरीद-बिक्री किए जाते हैं या गैर-वित्तीय इकाई इस इकाई से संबंधित हो जिसके स्टॉक नियमित रूप से स्थापित सिक्नोरिटी मार्केट में खरीद बिक्री किए जाते हैं । स्पष्टीकरण - इस उप-धारा के उद्देश्य से स्थापित सिक्नोरिटी मार्केट का आशय ऐसे एक्चेंज से है जिसकी सरकारी प्राधिकारियों द्वारा देखरेख की जाती है जहां यह स्थित है और जहां अर्धपूर्ण वार्षिक मूल्य की ट्रेडिंग होती हो वह इकाई सरकारी इकाई है या अंतरराष्ट्रीय संस्था है या केंद्रीय बैंक या पूर्ववर्ती के द्वारा एक या एक से अधिक पूर्णतः स्वामित्व वाली इकाई है काफी हद तक इकाई की गतिविधियां बकाया स्टॉक रखना (पूर्णतः या अंशतः) या वित्तीय सेवा प्रदान करने के व्यवसाय के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय में संलग्न सहयोगी कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है बशर्ते कि इकाई के विषय में यह प्रमाणित नहीं होना चाहिए कि वह निवेश निधि जैसे प्राइवेट इक्विटी फंड, वेंचर कैपिटल फंड, लेवरेज बाय आउट फंड या अन्य कोई निवेश संस्था नहीं है जिसका उद्देश्य कंपनी का अधिग्रहण या फंड करना और फिर पूंजी निवेश के उद्देश्य से उसका अधिग्रहण करना न हो; या इकाई अभी परिचालन नहीं कर रही है और इसके परिचालन का कोई इतिहास भी नहीं है किंतु आस्तियों में इस उद्देश्य से पूंजी निवेश कर रही है कि वित्तीय कंपनी के अतिरिक्त अन्य कंपनी का परिचालन कर सके बशर्ते कि कंपनी गठन के चौबीस महीनों के बाद इस अपवाद के अंतर्गत न हो या इकाई पिछले पांच वर्षों में वित्तीय इकाई न हो और अपनी आस्तियों को लिक्विडेट करने की प्रक्रिया में हो या पुनर्गठन कर रही हो ताकि वित्तीय इकाई से इतर व्यवसाय जारी रख सके या इकाई प्रामाणिक रूप से ऐसे संस्थान के लिए वित्तीय या हेजिंग ट्रांजेक्शन या संबंधित इकाइयों के लिए जो वित्तीय इकाइयों नहीं हैं और किसी भी इकाई के लिए वित्तीय या हेजिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं कराती हैं बशर्ते कि इकाई प्राथमिक रूप से वित्तीय सेवाओं से इतर व्यवसाय से संबंधित हो इकाई निम्नलिखित सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, जिनके नाम हैं <ol style="list-style-type: none"> यह धार्मिक, चैरिटेबल, वैज्ञानिक, कलात्मक, सांस्कृतिक, खेल-कूद या शिक्षण से संबंधित उद्देश्यों से भारत में स्थापित और परिचालित इकाई हो या यह प्रोफेशनल संस्थान, बिजनेस लीग, चेंबर ऑफ कॉमर्स, श्रम संगठन, कृषि या वाण्यवानी संस्थान, सिविक लीग या केवल सामाजिक कल्याण के कार्यों में विशेष रूप से संलग्न भारत में स्थापित और परिचालित संस्था हो; यह भारत में आयकर से छूट प्राप्त हो इसमें कोई ऐसा शोयरधारक या सदस्य न हो जिसका इसमें प्रोपराइटी या आस्तियों की आय में रुचि हो इकाई के देश में लागू कानून या निवास का क्षेत्र या गठन दस्तावेज इकाई की किसी आय या आस्तिको वितरण या किसी निजी व्यक्ति या गैर-चैरिटी संस्था को लाभ, जो संस्था के चैरिटी के कार्यों से इतर हो या सेवाओं के बदले बाजार कीमतों पर भुगतान की अनुमति न देता हो जिसे इकाई ने खरीदा हो इकाई के देश में लागू कानून या निवास का क्षेत्र या गठन दस्तावेज यह घोषित करता हो कि संस्था लिक्विडेशन या डिमोल्यूशन के बाद इसकी समस्त आस्तियां सरकारी संस्था या अलाभकारी संस्था या सरकार के स्वामित्व वाली इकाई के क्षेत्राधिकार या किसी राजनीतिक इकाई को दी जाएगी <p>स्पष्टीकरण - उप-धारा के लिए निम्नलिखित को संबंधित उप-धारा के मानदंडों को पूरा करने वाला माना जाए ।</p> <ol style="list-style-type: none"> धारा (23 ईए) में उल्लिखित निवेशक संरक्षक फंड लघु उद्योगों के क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के लिए उल्लिखित धारा 23 ईबी और अधिनियम की धारा 10 की उप धारा (23 ईसी) के अंतर्गत निवेशक संरक्षक फंड
ञ	<p>संयुक्त राज्य अमेरिका का व्यक्ति इनमें से कोई भी हो सकता है ।</p> <ol style="list-style-type: none"> संयुक्त राज्य का नागरिक अथवा संयुक्त राज्य अमेरिका का कर निवासी; अथवा साझेदारी या व्यापारित संघ जो संयुक्त राज्य अमेरिका में संयोजित है या संयुक्त राज्य या उसके किसी भी राज्य के कानून के तहत संयोजित किया जाता है; या ट्रस्ट (1) जहां संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर एक अदालत को लागू कानून के तहत अधिकार होगा कि वह ट्रस्ट के प्रशासन से संबंधित सभी मुद्दों या आदेशों के बारे में पर्याप्त निर्णय दे या (ii) एक या अधिक संयुक्त राज्य के व्यक्ति के पास सभी पर्याप्त निर्णयों को नियंत्रित करने का ट्रस्ट के अधिकार है, या मृतक की संपत्ति जो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक नागरिक या निवासी है
ट	<p>संयुक्त राज्य का निर्दिष्ट व्यक्ति - संयुक्त राज्य अमेरिका का व्यक्ति जो निम्न के अतिरिक्त है</p> <ol style="list-style-type: none"> ऐसे व्यापार संघ का स्टॉक जिसका कारोबार नियमित रूप से एक या अधिक स्थापित प्रतिभूति बाजारों में किया जाता है कोई भी व्यापार संघ जो एक ही विस्तारित संबद्ध समूह का सदस्य है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका आंतरिक राजस्व संहिता की धारा 1471 (ई) (2) में परिभाषित है, जैसा खंड (क) में व्यापार संघ वर्णित है । संयुक्त राज्य अमेरिका या किसी भी पूर्ण स्वामित्व वाली एजेंसी या उसके साधन संयुक्त राज्य अमेरिका का कोई भी राज्य कोई भी संयुक्त राज्य क्षेत्र, किसी भी पूर्वगामी के किसी भी राजनीतिक उपविभाजन, या किसी पूर्ण स्वामित्व वाली एजेंसी या पूर्वगामी के किसी एक या अधिक साधन कोई भी संयुक्त राज्य अमेरिका आंतरिक राजस्व संहिता की धारा 501 (ए) या व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति योजना के तहत छूट देता है, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका आंतरिक राजस्व कोड की धारा 7701 (ए) (37) में परिभाषित किया गया है । कोई बैंक जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका आंतरिक राजस्व संहिता की धारा 581 में परिभाषित किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका आंतरिक राजस्व संहिता की धारा 856 में परिभाषित कोई भी रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट संयुक्त राज्य अमेरिका आंतरिक राजस्व संहिता की धारा 851 में उल्लिखित अनुसार कोई निगमित निवेश कम्पनी अथवा निवेश कम्पनी अधिनियम 1940 (यू. एस. सी. 80 ए. - 64) के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका प्रतिभूति एवं विनिमय कमीशन के साथ पंजीकृत कोए भी संस्था संयुक्त राज्य अमेरिका आंतरिक राजस्व संहिता की धारा 584 (ए) में परिभाषित अनुसार कोई भी समान्य न्यास निधि कोई भी ट्रस्ट जो संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक राजस्व कोड की धारा 664 (सी) के तहत कर से मुक्त है या जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका आंतरिक राजस्व कोड की धारा 4947 (क) (1) में वर्णित है । प्रतिभूतियों, कमोडिटी या डेरिवेटिव वित्तीय साधनों (जिसमें प्रमुख प्रिंसिपल अनुबंध, वायदा, आगे और विकल्प शामिल हैं) का डीलर जो संयुक्त राज्य या किसी राज्य के कानूनों के तहत पंजीकृत है; एक दलाल जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका आंतरिक राजस्व कोड की धारा 6045 (सी) में परिभाषित किया गया है किसी भी कर - मुक्त ट्रस्ट को जिसे योजना के तहत छूट दी गई है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक राजस्व कोड को धारा 403(बी) या धारा 457(जी) में वर्णित है ।
ठ	<p>प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग एनएफएफई</p> <p>प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग एनएफएफई का अर्थ ऐसे एनएफएफई से होगा जो प्रत्यक्ष राज्य को प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के मालिक के बारे में निश्चित जानकारी आईआरएस को रिपोर्ट करने का चुनाव करता है, इसके बदले में वित्तीय संस्था को ऐसी जानकारी प्रदान करता है जिसके पास एनएफएफई वित्तीय खाता रखता है । प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग एनएफएफई जीआईआईएन प्राप्त करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका आईआरएस के साथ पंजीकृत करता है। इस तरह की प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग एनएफएफई को नियम 114 एफ से 114 एच के तहत सूचित किया जाना आवश्यक है</p>

क्र.	संस्था का प्रकार	केवाईसी दस्तावेज
1.	स्वामित्व	<ol style="list-style-type: none"> निम्नलिखित दस्तावेजों की सूची में से स्वामित्व संस्था के नाम से जारी कम से कम 2 दस्तावेज तथा हिताधिकारी स्वामी के रूप में स्वत्वधारी का पैन अथवा फार्म 60 (अनुलग्नक-2) प्राप्त किया जाना चाहिए अथवा यदि स्थायी खाता संख्या प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तब आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए। प्रतिष्ठान का नाम, पता एवं गतिविधि का प्रमाण, जैसे - पंजीकरण प्रमाणपत्र (पंजीकृत संस्था होने की स्थिति में) दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत नगरपालिका द्वारा जारी प्रमाणपत्र / लाइसेंस विक्रय एवं आय कर विवरणी जीएसटी/सीएसटी प्रमाणपत्र, विक्रय कर/सेवा कर/व्यावसायिक कर प्राधिकारियों के द्वारा जारी प्रमाणपत्र/पंजीकरण दस्तावेज संविधि के अंतर्गत स्थापित किसी व्यावसायिक निकाय के द्वारा स्वामित्व प्रतिष्ठान के नाम से जारी लाइसेंस/गतिविधि प्रमाणपत्र (अर्थात्-भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान आदि द्वारा जारी कार्यकलाप प्रमाणपत्र) महानिदेशक, विदेश व्यापार कार्यालय (डीजीएफटी) के द्वारा स्वामित्व प्रतिष्ठान के नाम से जारी आईईसी (आयातक/निर्यातक कूट) प्रतिष्ठान के एकल स्वामी के नाम से तथा आय कर प्राधिकारियों के द्वारा विधिवत प्रमाणित / अभिस्वीकृत, संपूर्ण आय कर विवरणी (केवल पावती नहीं) जिसमें प्रतिष्ठान की आय भी प्रदर्शित हो। स्वामित्व प्रतिष्ठान के नाम से युटिलिटी बिल जैसे- बिजली, पानी, लैंडलाइन टेलिफोन बिल
2.	भागीदारी फर्म	<ol style="list-style-type: none"> पंजीकरण प्रमाणपत्र (यदि फर्म पंजीकृत है)। साझेदारी विलेख दिनांकित.....। साझेदारी फर्म/भागीदारी फर्म का पैन कार्ड। (क) फर्म के निमित्त जिसके नाम पीओए (मुखतारनामा) जारी किया गया है ऐसे व्यक्ति की स्थायी खाता संख्या (PAN) या फार्म क्र. 60 या अगर उसके नाम का स्थायी खाता संख्या (PAN) उपलब्ध नहीं है ऐसी स्थिति में आधिकारिक तौर पर मान्य कोई भी एक दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अन्य दस्तावेज : अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित घोषणापत्र जिसमें सभी लाभकारी स्वामित्व वाले व्यक्तियों का नाम, उनकी शेयर धारिता / नियंत्रक हित / दावेदारी का ब्यौरा शामिल हो। (अनुलग्नक IV)। खाता खोलने के प्रारंभ में साझेदारी खाते के संचालन के बारे में स्पष्ट रूपसे उल्लेख। (जैसे कि सभी भागीदार संयुक्त रूप से/अलग-अलग (अकेले) / भागीदार 1 और 2 संयुक्त रूपसे / अलग-अलग (अकेले), इत्यादि। सभी भागीदारों द्वारा हस्ताक्षरित भागीदारी प्रपत्र (LDOC 39) क्र. ...दिनांकित....(सभी भागीदारी फर्म हेतु अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाना चाहिए) मुखतारनामा धारकों के पते। फर्म को व्यवसाय संचालन हेतु, फर्म की ओर से उसके भागीदार या कर्मचारी को दिया गया मुखतारनामा। सभी भागीदारों एवं लाभान्वित स्वामित्व धारकों की पैन संख्या अनुलग्नक II पर अलग-अलग प्राप्ति सुनिश्चित करें।
3.	लिमिटेड कंपनियां	<ol style="list-style-type: none"> दिनांक का निगमन प्रमाणपत्र (निरिक्षण एवं वापस करने हेतु)। उसकी एक प्रति रख ली गई है; दिनांक को पंजीकृत संस्था के वर्हिर्नियम तथा दिनांक को पंजीकृत संस्था के अंतर्नियम प्राप्त किए जाए। निदेशक मंडल से संकल्प तथा उसके प्रबंधकों, अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को उसकी ओर से लेनदेन करने हेतु मुखतारनामा; तथा (क) पैन अथवा कंपनी की ओर से लेनदेन करने हेतु अटर्नी प्राप्त प्रबंधकों, अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को जारी किया गया फार्म 60 अथवा स्थायी खाता क्रमांक प्रस्तुत न किए जाने पर आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज प्रस्तुत किया जाएगा। अन्य दस्तावेज घोषणा जिसमें सभी लाभार्थी मालिकों की शेयरधारिता/नियंत्रक हित तथा दावेदारी के बयारों सहित उनके नाम हों, जो प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हो। (अनुलग्नक IV) व्यवसाय शुरू होने का प्रमाणपत्र (पब्लिक लिमिटेड कंपनी के मामले में) सीआईएन क्रमांक कंपनी के पैन की प्रति वर्तमान पते का प्रमाण कोई भी आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज/उन लोगों की पहचान, जिन्हें मुखतारनामा के अनुसार खाते का परिचालन करने का प्राधिकार है (जैसा कि वैयक्तिक खातों पर लागू है) तथा खाते का परिचालन करने वाले ऐसे सभी व्यक्तियों एवं लाभार्थी मालिकों के केवाईसी विवरण। संयुक्त पूंजी कंपनियों के रजिस्ट्रार से इस आशय का, दिनांक का प्रमाणपत्र कि कंपनी व्यवसाय करने के लिए पात्र है (निरिक्षण, मुखतारनामा रजिस्ट्रार में दर्ज करने और वापस करने के लिए)। इसकी एक प्रति रख ली जाए। (यह प्रमाणपत्र तब आवश्यक नहीं होगा, जब) क. कंपनी निजी कंपनी हो, ख. कंपनी का पंजीकरण वर्ष 1913 से पहले किया गया हो और वह शेयरों के अधिदान हेतु जनता को आमंत्रित नहीं करता हो। ग. कंपनी गारंटी से सीमित है और उसके पास शेयर पूंजी नहीं है। निम्नलिखित तर्ज पर खाते का परिचालन करने वाले दिनांक के संकल्प की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर ली गई:- हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं किकंपनी के निदेशक मंडल का निम्नलिखित संकल्प दिनांकको आयोजित बोर्ड की बैठक में पारित किया गया। तथा इसे उक्त कंपनी की कार्यवृत्त पुस्तिका में विधिवत दर्ज किया गया- "यह संकल्प लिया गया कि कंपनी का बैंक खाता बैंक ऑफ़ बड़ौदा में खोला जाए और द्वारा कंपनी के ओर से आहरित/स्वीकृत/तैयार किए गए चेक, विनिमय बिल एवं वचन पत्र स्वीकार करने और खाते के संबंध में दिए गए किसी भी अनुरोध पर कार्रवाई करने चाहे वह कंपनी के लेनदेनों से संबद्ध, या आहरित हो या नहीं, के लिए इस बैंक को एतद्वारा प्राधिकृत करता हूँ." ह./- ह./- ह./- अध्यक्ष निदेशक सचिव सभी संबद्ध व्यक्तियों अथवा लाभार्थी मालिकों के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य प्रवर्तक/ सचिव आदि, या प्रत्येक लाभार्थी हेतु अलग अनुलग्नक II प्राप्त किया जाना चाहिए।
4.	सोसाइटी/ एसोसिएशन/क्लब	<p>जो केवाईसी दस्तावेज अनिगमित एसोसिएशन अथवा वैयक्तिक निकायों हेतु लागू केवाईसी दस्तावेज संस्था का पैन कार्ड की कॉपी या फार्म 60।</p> <ol style="list-style-type: none"> दिनांक..... को पंजीकृत मेमोरेडम ऑफ़ एसोसिएशन की कॉपी और दिनांक का आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन प्राप्त किया जाना चाहिए खाता संचालन हेतु निदेशक मंडल का संकल्प खाता संचालन हेतु सोसाइटी की नियम एवं शर्तें दिनांकतथा संकल्प दिनांक प्राप्त किया जाना चाहिए सरकारी/सैन्य आदेश दिनांक प्राप्त किया जाना चाहिए (नहीं लागू हो) सभी संबंधित व्यक्तियों अथवा सभी लाभप्रद स्वामियों के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य प्रवर्तक/ सचिव आदि, या प्रत्येक लाभार्थी हेतु अलग अनुलग्नक II प्राप्त किया जाना चाहिए
5.	हिन्दू अविभाजित परिवार (एचयूएफ)	<ol style="list-style-type: none"> परिवार के सभी वयस्क हमवारियों द्वारा हस्ताक्षरित हिन्दू परिवार पत्र दिनांक और क्र कर्ता के द्वारा उद्घोषणा कर्ता का पैन नंबर सभी वयस्क हमवारियों के पैन नंबर संयुक्त हिन्दू परिवार का पैन कार्ड किसी हमवारिस की मृत्यु पर, नए हमवारिस के जन्म पर अथवा किसी हमवारिस के वयस्क होने पर (18 वर्ष) जमाकर्ता संयुक्त परिवार का कर्ता है। ख) जयाराशि हिन्दू अविभाजित परिवार से संबंधित है की घोषणा हो ऐसा नया संयुक्त हिन्दू परिवार पत्र निष्पादित किया जाना चाहिए
6.	ट्रस्ट	<p>केवाईसी दस्तावेज</p> <ol style="list-style-type: none"> पंजीकरण प्रमाणपत्र न्यास विलेख और पैन कार्ड या ट्रस्ट का फॉर्म - 60 (क) अपने स्थान पर मुखतारनामा धारित व्यक्ति का पैन नंबर अथवा फॉर्म - 60 अथवा यदि पैन नंबर नहीं प्रस्तुत किया गया है तो अन्य वैध दस्तावेज प्राप्त किया जाना चाहिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा पत्र, जिसमें सभी लाभप्रद स्वामियों के नाम तथा उनकी शेयरधारिता/नियंत्रक हित/दावेदारियों के ब्यौरा शामिल हों। चेक हस्ताक्षर करने, प्राधिकार सौंपने, पैसा उधार लेने आदि के लिए न्यासियों की शक्तियों पर विशेष जोर देने के साथ-साथ न्यास विलेख दिनांक के संबंधित अवतरण की प्रति प्राप्त की गई और उसका अवलोकन किया गया है. संबंधित भाग को मुखतारनामा रजिस्ट्रार में प्रविष्ट किया गया है संकल्प की एक प्रति कम्पनी की ओर से व्यवसाय करने हेतु दिया गया मुखतारनामा (यथाप्रयोज्य) संबंधित व्यक्तियों अथवा सभी लाभार्थी स्वामियों के ट्रस्टियों, निष्पादकों, प्रशासकों आदि के पैन कार्ड, या प्रत्येक लाभार्थी हेतु अलग अनुलग्नक II प्राप्त किया जाना चाहिए वर्तमान पते का प्रमाण सभी ट्रस्ट खातों को अपरिहार्य रूप से "उच्च जोखिम" वाले खातों के रूप में दर्ज किया जाए

क्रम संख्या	संस्था के प्रकार	केवाईसी दस्तावेज
7	अनिगमित संघ अथवा व्यक्तियों का निकाय	<ol style="list-style-type: none"> इस प्रकार के संघ अथवा व्यक्तियों के निकाय के प्रबंधन निकाय द्वारा संकल्प उनकी तरफ से कार्य करने के लिए स्वीकृत मुख्तारनामा कंपनी का पैन अथवा फॉर्म 60 (क) उनकी तरफ से पीओए धारक व्यक्ति को जारी स्थायी खाता संख्या अथवा फॉर्म 60, यदि स्थायी खाता संख्या प्रस्तुत नहीं की जाती है, तब आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेज प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसी कोई सूचना जिसके माध्यम से बैंक यह सुनिश्चित कर सके कि विधिक रूप से इस प्रकार के संघ अथवा व्यक्तियों के निकायों की मौजूदगी है। सभी संबंधित व्यक्तियों या लाभार्थी स्वामी का पैन नं., प्रत्येक लाभार्थी स्वामी के संबंध में एक अनुलग्नक-2 की जानकारी अलग से ली जाए प्राधिकृत हस्ताक्षरित घोषणा पत्र जिसमें सभी लाभार्थी/कारियों के नाम, उनकी श्रेयधारिता/नियंत्रण अधिकार/हितधारिता आदि उल्लेखित हों (संलग्नक - IV) राजनैतिक दलों की स्थिति में ऊपर उल्लेखित दस्तावेजों के अलावा, यह 4 और दस्तावेज संलग्न करने होंगे - <ol style="list-style-type: none"> निर्वाचन आयोग द्वारा यह पुष्टि करते हुए प्रमाण पत्र कि "उक्त राजनैतिक दल जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 29 (क) के अंतर्गत पंजीकृत है तथा उक्त दल को लोक सभा अथवा विधान सभा हेतु आयोजित विगत साधारण निर्वाचन, स्थिति जो भी हो, में कम से कम एक प्रतिशत मत प्राप्त हुए है। राजनैतिक दल के ज्ञापन अथवा नियम एवं विनियम खाता लेनदेन हेतु प्राधिकृत व्यक्ति का फोटोग्राफ, अर्थात् जिनके पक्ष में मुख्तारनामा स्वीकृत हो। राजनैतिक दल का पता प्रमाणित करने हेतु दस्तावेज निष्पादकों, प्रशासकों और परिसमापकों हेतु पहचान का प्रमाण
8.	निष्पादक, प्रशासक और परिसमापक	<ol style="list-style-type: none"> प्रोबेट अथवा प्रशासन पत्र अथवा कंपनी अधिनियम, दिनांक.....के अंतर्गत प्राधिकार पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए (निरीक्षण के लिए, विविध दस्तावेज रजिस्टर में प्रविष्टि एवं वापसी)। उसकी एक प्रति का प्रतिधारण किया जाना चाहिए। <ol style="list-style-type: none"> यदि एकाधिक निष्पादक /प्रशासक / परिसमापक नियुक्त हों, खाता संचालन को नियंत्रित करते हुए उन सभी के द्वारा हस्ताक्षरित प्राधिकार-पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए। निष्पादक, प्रशासक एवं परिसमापक समान्यतः अपने अधिकारों का प्रत्यायोजन किसी तीसरे पक्ष को नहीं कर सकेंगे। कर संबंधी प्रयोजन के लिए आवास का प्रमाण सभी संबंधित व्यक्तियों अथवा हिताधिकारी स्वामियों का पैन, प्रत्येक हिताधिकारी स्वामियों से स्वतंत्र रूप से अनुलग्नक - II प्राप्त किया जाना चाहिए। सरकारी एजेंसी अथवा नगरपालिका समेत किसी प्राधिकृत सरकारी निकाय द्वारा कंपनी के संबंध में जारी सरकारी दस्तावेज, जिसमें कंपनी का नाम, देश में अथवा प्रदेश में (उनके दावे के अनुसार किसी भी प्रदेश में, जहां के वे निवासी हों, अथवा जहां कहीं भी कंपनी निर्गमित अथवा गठित हुई हो) उनके प्रधान कार्यालय का पता भी शामिल हो। यदि कंपनी भारत के बाहर किसी देश अथवा प्रदेश के निवासी हों, संबंधित सरकारी निकाय / एजेंसी द्वारा जारी टीआईएन पत्र।
9.	सरकारी प्राधिकारियों और न्यायिक व्यक्तियों	<ol style="list-style-type: none"> संस्था की ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत व्यक्ति के नाम को दर्शानेवाला दस्तावेज उसकी ओर से लेन-देन के लिए प्रतिनिधित्व रखनेवाले व्यक्ति के दस्तावेज, जो धारा 16 में निर्दिष्ट है ऐसे एक संस्था/न्यायिक व्यक्ति के कानूनी अस्तित्व स्थापित करने के लिए आर ई द्वारा आवश्यक माने जानेवाले ऐसे दस्तावेज

आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज :

आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेजों की सूची में सिर्फ निम्न पॉइंट हैं :

- पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- आधार संख्या होने का प्रमाण : जहाँ ग्राहक आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज के रूप में आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, वह ऐसे स्वरूप में उसे प्रस्तुत करें जैसा कि भारत की विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया हो
- भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र
- एन आर ई जी ए द्वारा जारी जॉब कार्ड जो राज्य सरकार की किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो
- राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम, पते का विवरण हो (आधार और पैन अनिवार्य हैं और आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेजों के भाग नहीं हैं)

आधिकारिक तौर पर मान्य दस्तावेज:

पते के प्रमाण के सीमित उद्देश्य के लिए निम्न दस्तावेज आधिकारिक तौर पर मान्य दस्तावेज होंगे :

- कोई भी सेवा प्रदाता के उपभोक्ता बिल, जो दो महीने से ज्यादा पुराने न हो (बिजली, टेलीफोन, पोस्ट पेड मोबाइल फोन, पाइप गैस, पानी बिल)
- संपत्ति या म्युनिसिपल कर रसीद (नवीनतम)
- यदि उनमें पता है, तो पेंशन या परिवार पेंशन भुगतान आदेशों (पी पी ओ) जो सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जारी किया गया हो
- नियोक्ता से आवास आबंटन का पत्र जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार विभागों, वैधानिक या न्यायिक निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों, सूचीबद्ध कंपनियों और आधिकारिक आवास आबंटन करनेवाले ऐसे नियोक्ताओं के साथ अवकाश एवं लाइसेंस समझौते।

लाभार्थी मालिक कौन है

धन शोधन निवारण संशोधित अधिनियम 2013 के नियम 9 (3) के अनुसार लाभार्थी स्वामी का निर्धारण निम्नानुसार किया गया हो

(क) जहां पर ग्राहक कोई कंपनी है, लाभार्थी स्वामी वह वास्तविक व्यक्ति है, जो अकेला या मिलकर, या एक या एक से अधिक विधिक व्यक्ति है, जो अकेला या मिलकर, या एक या एक से अधिक विधिक व्यक्तियों द्वारा जिसका नियंत्रक स्वामित्व हित निहित है या जो अन्य माध्यमों के जरिए नियंत्रण करता है.

स्पष्टीकरण-इस उप खंड के लिए -

- "नियंत्रक स्वामित्व हित" का मतलब कंपनी के पच्चीस प्रतिशत से अधिक शेयर या पूंजी या लाभ के स्वामी या हकदार से है।
- "नियंत्रण" में अधिकांश निदेशकों की नियुक्ति करने का या प्रबंधन पर नियंत्रण करने का या नीतिगत निर्णयों के नियंत्रण का अधिकार शामिल है जो उनके श्रेयधारिता या प्रबंधन अधिकार या श्रेयधारक करार या वॉटिंग करार के बल पर प्राप्त है।

(ख.) यदि ग्राहक भागीदारी संस्था है, लाभार्थी मालिक वह वास्तविक व्यक्ति है (हैं) जो अकेले या मिले-जुले रूप में या एक या एक से अधिक विधिक व्यक्ति है जो अकेले या मिले - जुले रूप में या एक या एक से अधिक विधिक व्यक्ति के जरिए, भागीदारी की पूंजी या लाभ के 15 प्रतिशत के मालिक या हकदार है।

(ग.) यदि ग्राहक अनिगमित एसोसियेशन या व्यक्तियों का निकाय है, लाभार्थी मालिक वह वास्तविक व्यक्ति है, जो अकेले या मिली - जुली रूप में या एक या एक से अधिक विधिक व्यक्ति के जरिए, एसोसियेशन या व्यक्तियों की निकाय की संपत्ति या पूंजी या लाभ के 15 प्रतिशत के मालिक या हकदार है।

स्पष्टीकरण

व्यक्ति निकाय में सोसाइटियां भी शामिल हैं। जहां उपर्युक्त क,ख और ग के अनुसार वास्तविक व्यक्ति का पहचान नहीं किया जा सकता है वहां लाभार्थी मालिक का आशय उस संबंधित वास्तविक व्यक्ति से है जो कि वरिष्ठ प्रबंधन की भूमिका पर कार्यरत है।
(घ.) अगर कोई न्यास ग्राहक है तो लाभार्थी मालिक की पहचान के अंतर्गत न्यासी प्रमुख, न्यासी, लाभार्थियों की पहचान ली जाएगी - तो ऐसे ट्रस्टी प्रमुख जिसकी 15 प्रतिशत से उससे अधिक का सहभागिता है, इसके अंतर्गत वास्तविक व्यक्ति होंगे नियंत्रण अथवा स्वामित्व के जरिए न्यास पर प्रभावी नियंत्रण रखते हैं।
(ङ.) जहां नियंत्रण हेतु ग्राहक या मालिक स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध कंपनी या उसकी सहयोगी कंपनी है वैसे में ऐसी कम्पनियों के किसी श्रेयधारक या लाभार्थी मालिक की पहचान की आवश्यकता नहीं होगी।

..... यहाँ से काट दें... (कृपया सुनिश्चित करें कि काटते समय उपर्युक्त मशीन द्वारा पढ़े जाने वाले कोड को क्षति न पहुँचे)

पावती

1. नाम : _____ दिनांक : _____

2. जमा किए गए दस्तावेज _____

(1) _____

(2) _____ (3) _____

(4) _____ (5) _____

शाखा प्रबंधक

देश (कंट्री) कोड (आईएसओ 3166)

देश	देश कोड	देश	देश कोड	देश	देश कोड	देश	देश कोड
अफगानिस्तान	एएफ	इक्वाडोर	ईसी	लिचटेन्स्टिन	एलआई	सैंट मार्टिन (फ्रेंच पार्ट)	एमएफ
अल्बानिया	एएल	इजिप्ट	ईजी	लियुआनिया	एलटी	सैंट पियरे एंड मिकलन	पीएम
अल्जीरिया	डीजेड	ईआई साल्वाडोर	एसवी	लक्जमबर्ग	एल्यू	सैंट विन्सेंट एंड द ग्रनेडाइंस	वीसी
अमेरिकन समोआ	एसएस	इक्वेटोरियल गयाना	जीक्यू	मकाऊ	एमओ	सामोआ	डब्ल्यूएस
अंडोरा	एडी	एरट्रिया	ईआर	मेसेडोनिया, द फॉर्मर युगोस्लाव		सैन मैरीनो	एसएम
अंगोला	एओ	एस्टोनिया	ईई	रिपब्लिक ऑफ	एमके	साओ टॉम एंड प्रिंसिप	एसटी
अंगुला	एआई	इथोपिया	ईटी	मेडागास्कर	एमजी	सउदी अरब	एसए
अंटार्कटिका	एक्यू	फॉकलैंड्स आइलैंड्स (मालविनास)	एफके	मालावी	एमडब्ल्यू	सेनेगल	एसएन
एंटीगुआ एंड बरबुदा	एजी	फेरो आइलैंड्स	एफओ	मलेशिया	एमवाई	सर्बिया	आरएस
अर्जेंटीना	एआर	फिजी	एफजे	मालदीव्स	एमवी	सेशेल्स	एससी
अर्मेनिया	एमएम	फिनलैंड	एफआई	माली	एमएल	सियरा लियोन	एसएल
अरुबा	एडब्ल्यू	फ्रांस	एफआर	माल्टा	एमटी	सिंगापुर	एसजी
ऑस्ट्रेलिया	एयू	फ्रेंच गुयाना	जीएफ	मार्शल आइलैंड्स	एमएच	सिंट मार्टिन (डच पार्ट)	एसएक्स
आस्ट्रिया	एटी	फ्रेंच पोलिनेशिया	पीएफ	मार्टिनिक	एमक्यू	स्लोवाकिया	एसके
अज़रबैजान	एजेड	फ्रेंच सदर्न टेरीटोरिज	टीएफ	मॉरीटानिया	एमआर	स्लोवेनिया	एसआई
बहामास	बीएस	गैबॉन	जीए	मॉरीशस	एमयू	सोलोमन आइलैंड्स	एसबी
बहरीन	बीएच	गाम्बिया	जीएम	मेयोटा	वाईटी	सोमालिया	एसओ
बंगलादेश	बीडी	जॉर्जिया	जीई	मेक्सिको	एमएक्स	साउथ अफ्रीका	जेडए
बरबादोस	बीबी	जर्मनी	डीई	माइक्रोनेशिया फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ	एफ एम	साउथ जॉर्जिया एंड द साउथ	
बेलारूस	बीवाई	घाना	जीएच	मौलडोवा, रिपब्लिक ऑफ	एमडी	सैंडविच आइलैंड्स	जीएस
बेल्जियम	बीई	जिब्राल्टार	जीआई	मोनेको	एमसी	साउथ सुडान	एसएस
बेलीज	बीजेड	ग्रीस	जीआर	मंगोलिया	एमएन	स्पेन	ईएस
बेनिन	बीजे	ग्रीनलैंड	जीएल	मोन्टेनेग्रो	एमई	श्रीलंका	एलके
बरमुडा	बीएम	ग्रेनेडा	जीडी	मोन्टेसेरट	एमएस	सुडान	एसडी
भूटान	बीटी	गुआडेलोप	जीपी	मोरक्को	एमए	सुरिनाम	एसआर
बोलीविया, प्लूरीनेशनल स्टेट ऑफ	बीओ	ग्वाटेमाला	जीटी	मोजम्बिक	एमजेड	स्वतंत्रता एंड जन मेयन	एसजे
बोनायर सिंट इस्टेट्स एंड साबा	बीक्यू	गर्नसे	जीजी	म्यानमार	एमएम	स्वाजीलैंड	एसजेड
बोस्निया एंड हर्जोगोविना	बीए	गुएनिआ	जीएन	नामीबिया	एनए	स्वीडेन	एसई
बोत्सवाना	बीडब्ल्यू	गुयाना-बिसाऊ	जीडब्ल्यू	नारु	एनआर	स्विट्जरलैंड	सीएच
बौवेट आइलैंड्स	बीवी	गुयाना	जीवाई	नेपाल	एनपी	सीरियन अरब रिपब्लिक	एसवाई
ब्राजील	बीआर	हैती	एचटी	नीदरलैंड्स	एनएल	ताइवान, प्रॉविन्स आफ चाइना	टीडब्ल्यू
ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरीटरी	आईओ	हाईआइलैंड्स एंड मैकडोनेल्ड आइलैंड	एचएम	न्यू कैलीडोनिया	एनसी	तजाकिस्तान	टीजे
ब्रुनेल दारुसलाम	बीएन	होलि सी (बेटिकन सिटी स्टेट)	वीए	न्यूजीलैंड	एनजेड	तंजानिया, युनाइटेड रिपब्लिक ऑफ	टीजेड
बुल्गारिया	बीजी	होन्डुरस	एचएन	निकारागुआ	एन आई	थाइलैंड	टीएच
बुरुकिना फासो	बीएफ	हॉंग कांग	एचके	निगेर	एनई	टीमोर-लेस्ते	टीएल
बुरुंडी	बीआई	हंगरी	एचयू	नाइजीरिया	एनजी	टोंगो	टीजी
काबो वर्डे	सीवी	आइसलैंड	आईएस	नियुइ	एनयू	टोकलाऊ	टीके
कम्बोडिया	केएच	इंडिया	आईएन	नॉरफोल्क	एनएफ	टोंगा	टीओ
कैमरून	सीएम	इंडोनेशिया	आईडी	नॉर्दन मैरियाना आइलैंड्स	एमपी	त्रिनिदाद एंड टोबैगो	टीटी
कनाडा	सीए	ईरान, इस्मालिक रिपब्लिक ऑफ	आईआर	नॉर्वे	एनओ	ट्युनीशिया	टीएन
कैमन आइलैंड्स	केवाई	इराक	आईक्यू	ओमान	ओएम	टर्की	टीआर
सैंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक	सीएफ	आयरलैंड	आईई	पाकिस्तान	पीके	तुर्कमिनिस्तान	टीएम
चाड	टीडी	आइल ऑफ मैन	आईएम	पलाऊ	पीडब्ल्यू	तुर्कस एंड कालकोसा आइलैंड्स	टीसी
चिली	सीएल	आइल ऑफ मैन	आईएम	फिलिस्तीन, स्टेट ऑफ	पीएस	टुवालू	टीवी
चीन	सीएन	इजराइल	आईएल	पनामा	पीए	युगांडा	यूजी
क्रिसमस आइलैंड्स	सीएक्स	इटली	आईटी	पपुआ न्यू गुयाना	पीजी	युक्रेन	यूए
कोकोस(कीलिंग) आइलैंड्स	सीसी	जमाइका	जेएम	प्राग्वे	पीवाई	युनाइटेड अरब अमीरात	एई
कोलम्बिया	सीओ	जापान	जेपी	पेरू	पीई	युनाइटेड किंगडम	जीबी
कोमोरोस	केएम	जर्सी	जेई	फिलीपींस	पीएच	युनाइटेड स्टेट्स	यूएस
कांगो	सीजी	जॉर्डन	जेओ	पिटकैयर्न	पीएन	युनाइटेड स्टेट्स माइनर	यूएम
कांगो, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द	सीडी	कजाकिस्तान	केजेड	पोलैंड	पीएल	उरुग्वे	यूवाई
कुक आइलैंड्स	सीके	केन्या	केई	पुर्तगाल	पीटी	उजबेकिस्तान	यूजेड
कोस्टा रिका	सीआर	किरिबाटी	केआई	पियोरटो रिको	पीआर	वनुआतू	वीयू
कोटडिव्वायर/कोटडिव्वायर	सीआई	कोरिया, डेमोक्रेटिक पीपल्स		करार	क्यूए	वेनेजुएला, बोलीवैरियन	वीई
क्रोएशिया	एचआर	कोरिया, रिपब्लिक ऑफ	केपी	रीयूनियन ! रीयूनियन	आईई	रिपब्लिक ऑफ	
क्यूबा	सीयू	कोरिया, रिपब्लिक ऑफ	केआर	रोमानिया	आरओ	विएत नाम	वीएन
कुराकाओ/कुराकाओ	सीडब्ल्यू	कुवैत	केडब्ल्यू	रशियन फेडरेशन	आरयू	विरजिन आइलैंड्स, ब्रिटिश	वीजी
साइप्रस	सीवाई	किरगिस्तान	केजी	रवान्डा	आरडब्ल्यू	विरजिन आइलैंड्स, यू.एस.	वीआई
चेक रिपब्लिक	सीजेड	लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक	एलए	सैंट बारथेलेमी सैंट बारथेलेमी	बीएल	वालिस एंड फुटुना	डब्ल्यूएफ
डेनमार्क	डीके	लाताविया	एलवी	सैंट हेलेना, एसीनेशन		वेस्टर्न सहारा	ईएच
जिबूती	डीजे	लेबनान	एलबी	एंड ट्रिस्टान डा कुनहा	एसएच	यमन	वाईई
डोमिनिका	डीएम	लेसोथो	एलएस	सैंट किट्स एंड नेविस	केएन	जाम्बिया	जेडएम
डॉमिनिकेन रिपब्लिक	डीओ	लिबेरिया	एलआर	सैंट लूसिया	एलसी	जिम्बाबवे	जेडडब्ल्यू
		लीबिया	एलवाई	सैंट मार्टिन (फ्रेंच पार्ट)	एमएफ		

राज्य कोड

भारतीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार दो अक्षरों वाले राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की सूची

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	कोड	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	कोड	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	कोड
अंडमान व निकोबार	एएन	हिमाचल प्रदेश	एचपी	पाण्डिचेरी	पीवाई
आंध्रप्रदेश	एपी	जम्मू व कश्मीर	जेके	पंजाब	पीबी
अरुणाचल प्रदेश	एआर	झारखंड	जेएच	राजस्थान	आरजे
असम	एसएस	कर्नाटक	केए	सिक्किम	एसके
बिहार	बीआर	केरल	केएल	तमिलनाडु	टीएन
चंडीगढ़	सीएच	लक्षद्वीप	एलडी	तेलंगाना	टीएस
छत्तीसगढ़	सीजी	मध्य प्रदेश	एमपी	त्रिपुरा	टीआर
दादर व नगर हवेली	डीएन	महाराष्ट्र	एमएच	उत्तर प्रदेश	यूपी
दमन व दीव	डीडी	मणिपुर	एमएम	उत्तराखंड	यूए
दिल्ली	डीएल	मेघालय	एमएल	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबी
गोवा	जीए	मिजोरम	एमजेड	अन्य	XX
गुजरात	जीजे	नागालैंड	एनएल		
हरियाणा	एचआर	उड़ीसा	ओआर		

OTHER ENTITY DETAILS:

DETERMINE* WHETHER THE ENTITY IS 'FI' OR 'NFE' [AN ENTITY CAN BE EITHER AN 'FI' OR 'NFE', IT CAN NOT BE BOTH]

FINANCIAL INSTITUTION (FI): (IF FINANCIAL INSTITUTION (FI) IS TICKED, PLEASE ALSO FILL **ANNEXURE I & ANNEXURE II** FOR ALL THE RELATED PERSON) (BANKS, INSURANCE AGENCIES, NBFCs ETC.) **OR**

NON FINANCIAL ENTITY (NFE): IF ENTITY IS NFE, WHETHER IT IS*: **ACTIVE NFE** OR **PASSIVE NFE**

(AN ENTITY CAN BE EITHER AN 'ACTIVE NFE' OR A 'PASSIVE NFE', IT CAN NOT BE BOTH - SEE INSTRUCTIONS 'H' IN GENERAL GUIDELINES FOR ACTIVE & PASSIVE NFE)

NUMBER OF CONTROLLING PERSON(S): (APPLICABLE ONLY IN CASE OF PASSIVE NFE, FILL **ANNEXURE II** FOR EACH CONTROLLING PERSON)

DIRECT REPORTING NON FINANCIAL FOREIGN ENTITY (NFFE): YES NO

IF YES PLEASE PROVIDE GIIN OF DIRECT REPORTING NFFE:

LEGAL ENTITY IDENTIFIER (L.E.I CODE. NO.):
(AS & WHEN APPLICABLE)

COUNTRY OF RESIDENCE AS PER TAX LAWS *

TAX RESIDENT OF INDIA ONLY AND NOT OF ANY OTHER COUNTRY OUTSIDE INDIA YES NO
(IF TICKED "YES" THEN THERE IS **NO NEED** TO FILL IN THE BOX BELOW)

FATCA & CRS BOX

TAX RESIDENT OF US: YES NO (IF 'YES', PLEASE PROVIDE US TIN) **US TIN:**

IF TAX RESIDENT OF US, WHETHER THE PERSON IS

A US PERSON YES NO (A TAX RESIDENT OF US IS US PERSON, SEE INSTRUCTION 'J')

A SPECIFIED US PERSON (SEE INSTRUCTIONS 'K') YES NO (IF SPECIFIED US PERSON IS YES, THEN THE ENTITY IS US REPORTABLE)

TAX RESIDENT OUTSIDE INDIA OTHER THAN US: YES NO

IF 'YES', PLEASE PROVIDE COUNTRY CODE & TIN / FUNCTIONAL EQUIVALENT:

IF TAX RESIDENT OUTSIDE INDIA OTHER THAN US IS "YES", WHETHER ENTITY FALLS IN ANY OF THE FOLLOWING CATEGORY (TICK FROM THE FOLLOWING CATEGORY AS APPLICABLE - IF NONE OF THE FOLLOWING CATEGORY IS MARKED "YES" THEN THE ACCOUNT IS AN "OTHER REPORTABLE ACCOUNT")

- I. ANY CORPORATION THE STOCK OF WHICH IS REGULARLY TRADED ON ONE OR MORE ESTABLISHED SECURITIES MARKET YES NO
- II. ANY CORPORATION THAT IS A RELATED ENTITY OF A CORPORATION DESCRIBED IN (I) ABOVE YES NO
- III. A GOVERNMENTAL ENTITY YES NO
- IV. AN INTERNATIONAL ORGANIZATION YES NO
- V. A CENTRAL BANK YES NO
- VI. A FINANCIAL INSTITUTION YES NO
- NO RESIDENCE FOR TAX PURPOSE** YES NO

IF ANY OF THE ITEM (I) TO (VI) IS TICKED 'YES' THE ACCOUNT IS NOT AN "OTHER REPORTABLE ACCOUNT"

IF ENTITY IS NEITHER A TAX RESIDENT OF INDIA OR US NOR A TAX RESIDENT OUTSIDE INDIA OTHER THAN US, THEN THE FIELD **NO RESIDENCE FOR TAX PURPOSE** WILL BE 'YES'

IF 'YES' PLEASE PROVIDE, COUNTRY CODE WHERE THE PRINCIPAL OFFICE OF THE ENTITY LOCATED COUNTRY CODE

MULTIPLE TAX RESIDENCY*: YES NO (IF 'YES', PLEASE FILL THE TABLE BELOW)

- 1. IF AN ENTITY IS A SPECIFIED US PERSON AND ALSO HAS A TAX RESIDENCY OUTSIDE INDIA OTHER THAN US, THE ENTITY HAS MULTIPLE TAX RESIDENCY.
- 2. IF IT IS NOT A SPECIFIED US PERSON BUT HAS TAX RESIDENCIES OUTSIDE INDIA OTHER THAN US IN MORE THAN ONE COUNTRY THE ENTITY, HAS MULTIPLE TAX RESIDENCY.

COUNTRY OF TAX RESIDENCE OUTSIDE INDIA OTHER THAN US	TAX IDENTIFICATION NUMBER OR EQUIVALENT, IF ISSUED BY JURISDICTION	IDENTIFICATION TYPE (TIN, COMPANY IDENTIFICATION NUMBER (CIN), EIN OR OTHER, PLEASE SPECIFY)

ADDRESS*

LINE 1:
LINE 2:
LINE 3:

CITY:
STATE:
PIN:

COUNTRY OF TAX RESIDENCE OUTSIDE INDIA OTHER THAN US	TAX IDENTIFICATION NUMBER OR EQUIVALENT, IF ISSUED BY JURISDICTION	IDENTIFICATION TYPE (TIN, COMPANY IDENTIFICATION NUMBER (CIN), EIN OR OTHER, PLEASE SPECIFY)

ADDRESS*

LINE 1:
LINE 2:
LINE 3:

CITY:
STATE:
PIN:

NAME:
 (SAME AS ID PROOF)

IF APPLIED FOR PAN AND IT IS NOT YET GENERATED, ENTER DATE OF APPLICATION & THE ACKNOWLEDGEMENT NUMBER

IF PAN IS NOT APPLIED, FILL ESTIMATED TOTAL INCOME (INCLUDING INCOME OF SPOUSE, MINOR CHILD, ETC) AS PER SECTION 64 OF INCOME TAX ACT 1961 FOR THE FINANCIAL YEAR IN WHICH THE ABOVE TRANSACTION IS HELD

AGRICULTURE INCOME (RS) OTHER THAN AGRICULTURAL INCOME

VERIFICATION

I..... do hereby declare that what is stated above is true to the best of my knowledge and belief. I further declare I do not have a permanent account number and my/our estimated total income (including income of spouse, minor child, etc.) as per section 64 of Income Tax Act 1961 computed in accordance with the provisions of Income Tax Act 1961 for the financial year in which the above transaction is held will be less than maximum amount not chargeable to tax.

Verified today, the day of 20.....

Place:

Signature of the Declarant

NOMINATION : Applicable Only For Sole Proprietorship

- I/WE WANT TO MAKE A NOMINATION IN MY/OUR ACCOUNT **OR**
 I/WE DO NOT WANT TO MAKE A NOMINATION IN MY/OUR ACCOUNT

Nomination in favour of other than individual is invalid

NOMINATION FORM (DA1)

Nomination under Section 45Z of the Banking Regulation Act, 1949 and Rule 2(1) of Banking Companies (Nomination) Rules 1985 in the respect of Bank Deposits.

I/We nominate the following person to whom in the event of my /our /minor's death the amount of Deposit, particulars whereof are given below, may be returned by Bank of Baroda (Name and address of branch/ office in which the deposit held).

NOMINATION
SERIAL NO.

DETAILS OF DEPOSIT :

Type of Deposit : ACCOUNT NO:

DETAILS OF THE NOMINEE

NAME:

RELATIONSHIP WITH THE DEPOSITOR : AGE: DATE OF BIRTH OF NOMINEE:

ADDRESS:

CITY: PIN: STATE:

COUNTRY: CIF NO. OF NOMINEE:

As the nominee is a minor on this date, I/We appoint Shri/Smt. age years

Address

to receive the amount of the deposit on behalf of the nominee in the event of my / our / minor's death during the minority of the nominee.

Mobile Number of Nominee:

Signature / Thumb impression of the Applicant(s)

Personal Details of Witnesses : (Witnesses are required only in case if applicant is illiterate and is affixing thumb impression)

Witness 1 Name :

Witness 2 Name :

Address :

Address :

Signature / Thumb Impression

Signature / Thumb Impression

Place : Date :

Place : Date :

APPLICANT DECLARATION

- I/We hereby declare that the details furnished above are true and correct to the best of my/our knowledge and belief and I/We undertake to inform you of any changes therein, immediately. In case any of the information is found to be false or untrue or misleading or misrepresenting, I/we am/are aware that I/we may be held liable for it.
- I/We certify that I/we have the capacity to sign for the entity as per the CBDT rules/RBI guidelines.
- I/We certify and declare that The Company does belong to the class of companies specified in sub-rule (2) of the Companies Rules 2017 (Restrictions on number of Layers) and it (Company) does not have more than two layers of subsidiaries. (As per the details given in Ministry of Corporate Affairs, Gazette notification No. 793 dated 21st Sept 2017.
- I/We affirm and declare that I/We have read over and understood the rules and regulations of the Bank of Baroda ("Bank") and those relating to various services offered by the Bank including but not limiting to debit card/internet banking/SMS banking/Tele-banking/Mobile Banking/Virtual Banking and any other facilities. I/We agree to abide by the same as amended/modified from time to time by the Bank/ Regulator/ Government published through circulars, notifications, notice board/ websites/ newspaper publications, etc. I/We waive the rights, if any, to have personal notice in respect of such amendments/ modifications. I/We agree that the transactions and requests executed in my/our account(s) by me/authorized person through internet, mobile, tele-banking or virtual banking under my/our User ID and password/PIN/OTP will be legally binding on me/us & I/We am/are responsible for the maintenance of secrecy and confidentiality of the authentication credentials and any other information/ details/OTP/PIN, etc., in such matters. I/We agree that Bank has got all the rights to debit my/our account for any service charge, expenses or other dues which the Bank is entitled/ liable to recover from me. I/We also authorise the Bank and agree to close/ discontinue my account without any notice to me in case of any violation of laws/rules/regulations or terms and conditions of maintaining the account . I/We hereby undertake to inform the Bank on any change in my communication address or constitution, and I/We shall submit the address proof in case of transfer of my account from one branch to another branch.
- In respect of accounts opened on the basis of Aadhaar details, I hereby declare that I have submitted the Aadhaar Card issued by UIDAI for identification and / or address proof towards the compliance of KYC norms under the PMLA , 2002 and I hereby agree that the Bank may verify the same with UIDAI and authorise the UIDAI expressly to release the identity and address through biometric authentication to the Bank.
- I/We confirm and declare that I/We am/are not prevented/prohibited/restricted by any applicable legal/regulatory/contractual or other provisions from opening and/or maintaining the accounts or to transact with the Bank in any other way.
- I/We agree that my/our personal KYC details may be shared with Central KYC registry or any other competent authority. I/We hereby consent to receive information from the Bank/Central KYC Registry/Gol/RBI or any other authority through SMS/e-mail on my registered mobile number/ e-mail address. I/We also agree that the non-receipt of any such SMS/e-mail shall not make the Bank liable for any loss or damage whatsoever in nature.
- I/We hereby certify that I/We have declared my status as per the rules applicable under section 285BA of the Income Tax Act, 1961 as notified by Central Board of Direct Taxes (CBDT) vide Notification No. S.O. 2155(E) dated 7 August 2015 and RBI Circular Ref No. DBR.AML.BC.No.36/ 14.01.001/2015-16 dated 28 August 2015 in the matter including any subsequent modification/amendment thereof.
- I/We understand, acknowledge and authorize that as per the provisions of Income Tax Act, Rules made thereunder and the guidelines issued by the Government/RBI in the matter, depending upon the residential status and/or other criteria stipulated therein, the Bank may have to report the details in respect of my/our account(s) as per the prescribed format to the Central Board of Direct Taxes (CBDT) or other Government Agencies to comply with the obligations as per the Inter- Governmental Agreements (IGA) in respect of Foreign Accounts Tax Compliance Act (FATCA) and Common Reporting Standards (CRS) and / or any other similar arrangements.
- I/We certify & declare that the information provided by me/us for opening account and availing other services herein or through website/electronically as applicable to me/us and signed/authenticated by me/us as well as in the documentary evidence provided by me/us for opening account and availing other services are, to the best of my/our knowledge and belief, true, correct and complete and that I/We have not withheld any material information that may affect the assessment/categorization of my/our account as a U.S. Reportable Account or Other Reportable Account or otherwise. In case any of the information or details provided by me/us is found to be false or untrue or misleading or misrepresenting, I/We am/are aware that I/We may be held liable for it.
- I/We undertake the responsibility to declare and disclose immediately and in no case beyond 30 days from the date of change, any changes that may take place in the information provided herein/or otherwise, as well as in the documentary evidence provided by me or if any certification becomes incorrect or undergoes a change. I further undertake to provide fresh and valid self-certification along with documentary evidence as and when so required; nevertheless all declaration and undertaking given herein will also be applicable to all such modified/amended documents/information provided by me unless revised self-certification as above is provided to the Bank.
- I/We also agree that my/our failure to disclose any material fact/information known to me/us now or in future or my/our failure to remedy any deficiency in documents/ information/other details within the stipulated period, may invalidate me/us from transacting in the account and the Bank would be within its right to put restrictions in the operations of my account or to close it or to report to any regulator and/or any authority designated by the Government of India (GoI)/RBI for the said purpose or take any other action as may be deemed appropriate by the Bank under the guidelines issued by CBDT/RBI/Gol from time to time.
- I/We also agree to furnish and intimate to the Bank any other particulars that are called upon me/us to provide on account of any change in law either in India or abroad in relating to the operation or maintenance of the account.
- I/We shall indemnify the Bank from any loss/damage that may be caused to the Bank on account of any defect/mistake in the details provided herein or on account of providing incorrect or incomplete information by me/us.
- I/We undertake to submit data/information together with fresh KYC documents for updation of KYC details at periodical intervals as may be required by the Bank.
- I/We understand that the account will be activated and debits will be allowed only after completion of Customer Due Diligence relating to KYC by the Bank.
- I/We have been advised of Quarterly average/minimum balance requirement for the account to be opened and given to understand that these requirements are subject to revision/change and such revision/changes will be uploaded in the Bank's site which will be acceptable to me as a notice to that effect.
- I/We Undertake to submit Aadhaar and / or PAN within 6 months from the date of opening of account , failing to which I understand my account will cease to be operational as per GOI guidelines, amending Prevention of Money laundering (Maintenance of Records) Rules 2005. (In case the account is opened without Aadhaar / PAN)
- In case, deemed OVDs are submitted for current address at the time of Account opening, I undertake to submit Aadhaar or any of the OVD having Current Address within 3 months from the date of account opening , failing to which I understand that my account may cease to be operational as per GOI guidelines at the material time.
- I confirm and undertake that I will not deal in Virtual Currencies and will not use my account for any services related Virtual Currencies or facilitate any person or entity, in dealing with or settling virtual currencies.
- I / We undertake to keep QAB (Quarterly Average Balance) in the account as prescribed under the respective account scheme and agree to pay the penalty if QAB is not maintained.

Please paste
photograph
here

Please paste
photograph
here

Please paste
photograph
here

Signature of Authorized Signatory 1 (Do not overlap)

Signature of Authorized Signatory 2 (Do not overlap)

Signature of Authorized Signatory 3 (Do not overlap)

Operating Instructions

Name:
Designation:
Date:
Name, Signature, Seal and S.S No. of the Verifying Official

Name:
Designation:
Date:
Name, Signature, Seal and S.S No. of the Verifying Official

Name:
Designation:
Date:
Name, Signature, Seal and S.S No. of the Verifying Official

FOR OFFICE USE ONLY

1. APPLICANT(S) INTERVIEWED AND PURPOSE ASCERTAINED (SPECIFY THE PURPOSE): _____
2. WHETHER SELF - CERTIFICATION & DOCUMENTS SUBMITTED BY THE CUSTOMERS HAVE BEEN VERIFIED AND FOUND CORRECT AND RELIABLE: YES NO
(CARE : BRANCH TO PROCEED WITH OPENING OF ACCOUNT ONLY WHEN THIS CERTIFICATION IS "YES")
3. THRESHHOLD LIMIT IS RS: _____
4. DOCUMENTS RECEIVED: CERTIFIED COPIES EQUIVALENT E-DOCUMENT
5. RISK CATEGORY: HIGH MEDIUM LOW
6. IN PERSON VERIFICATION CARRIED OUT AND SIGNATURE OF THE APPLICANT VERIFIED BY : IDENTITY VERIFICATION: DONE
7. AUTHORISED OFFICIAL HAS VERIFIED THE ACTIVITY OF PROPRIETARY CONCERN AT THE ADDRESS MENTION IN ACCOUNT OPENING FORM: YES NO

OFFICIAL NAME: _____ E.C. NO.: _____ DESIGNATION: _____

DATE: SS NO.: _____ SIGNATURE: _____

OPEN CIF

INITIALS

DATE: (AUTHORISED SIGNATORY) CIF:

OPEN THE ACCOUNT

BRANCH MANAGER / AUTHORISED OFFICIAL (SIGNATURE)

ACCOUNT OPENED ON: ACCOUNT NUMBER:

REMARKS (IF ANY): _____

ASSISTANT (SIGNATURE)	OFFICER (SIGNATURE)
EMP./OFFICIAL NAME: _____	EMP./OFFICIAL NAME: _____
S.S No. / E.C. No.: _____	S.S No. / E.C. No.: _____
EMP./OFF. DESIGNATION: _____	EMP./OFF. DESIGNATION: _____
EMP./OFF. BRANCH: _____	EMP./OFF. BRANCH: _____

ACCOUNT CLOSED ON: _____ ACCOUNT TRANSFERRED TO _____ BRANCH ON _____

AUTHORISED OFFICIAL (SIGNATURE)

CURRENT ACCOUNT RULES

- Whenever the customer does not use alternate channels for opening the Current Account, payments to credit of an account with the Bank should ordinarily be accompanied by a pay-in slip duly signed by the constituent. Slips with counterfoils will be supplied in book form and the entry of the transactions made in the counterfoil will be authenticated by the initials of an authorised employee of the Bank. The depositor should satisfy himself that the transaction is so certified.
- Cheques must be drawn on the Bank's printed forms. The Bank reserves its right to refuse payment of any cheque drawn otherwise. The bank reserves the right to refuse payment of cheques that have been altered in any way unless the alteration is authenticated by the drawer under full signature. Cheques should be drawn in such a way as to prevent alteration after issue, and the signature should be uniform with that on record at the Bank.
- Constituents should not overdraw their accounts, even for small amounts without having made previous arrangements. Overdraft are granted in current accounts on terms as per extant instructions. Interest will be charged at the rates stipulated by the Bank and calculated upon the daily balances.
- The Bank will register instructions from the drawer regarding cheques lost, stolen, etc. but cannot guarantee depositors against loss in such cases in the event of such a cheque being paid.
- The bank collects bills, drafts, cheques, pay and pension bills, etc. on behalf of constituents. In personal accounts, the Bank offers up to a specified limit immediate credit in respect of cheques, drafts, dividend warrants, etc., payable at outstation branches.
- Local cheques, etc. will be cleared under CTS Clearing
- Cheques, bills, etc. sent in for collection and credit of an account must not be drawn against until they have been realised.
- Bills, notes, etc. not payable on demand, intended for realisation by the Bank, should be sent at least one clear day before due date.
- The Bank accepts standing instructions on accounts for making periodic remittances, etc.
- Statements of accounts will be sent to constituents periodically and can be obtained at any time on application. The entries of accounts should be carefully examined by the constituent, and, if any errors or omissions are discovered, the attention of the Bank must be drawn to them immediately. The Bank will not be responsible for any loss arising from neglect of this precaution.
- Any change in the address of the constituent must be promptly advised to the Bank. In all their correspondence with the Bank and on pay-in slips etc. constituents should clearly mention the account number allotted at the time of opening of the account.
- Accounts may be transferred at the request of the constituents to any other office of the Bank.
- The Bank accepts securities and shares for safe custody and realisation of interest, dividends, etc. on terms which may be had on application.
- The Bank reserves the right to alter/add to/delete any of these rules at any time.
- If cheque drawn for ₹ 1 crore and above are returned unpaid in account on 4 occasion and below ₹ 1 crore on 6 occasions for want of sufficient funds in the account in a Financial year bank may consider to stop issuing cheque book and also considered closing of the account at its discretions.
- If the account will not be operated for 2 years and above it will become Inoperative and for debit transactions fresh KYC documents required to be submitted.

INDUSTRY CODES

01. AIRLINES / AVIATION	15. CASINOS	29. IMPORT / EXPORT	43. STEEL / HARDWARE
02. ADVERTISING AGENCY	16. CEMENTS / PAINTS	30. MANUFACTURING	44. STOCKS & SHARES
03. AGRICULTURE / ALLIED INDUSTRIES	17. CHIT FUNDS	31. MONEY LENDER	45. TECH STARTUPS
04. AUTOMOBILES	18. CONSUMER DURABLES	32. MEDIA / ENTERTAINMENT	46. TELECOMMUNICATION
05. AUTOPARTS	19. COURIER / CARGO	33. MEDICAL / HEALTHCARE	47. TEXTILES / GARMENTS
06. AUTO FINANCE	20. CONSTRUCTION / REAL ESTATE	34. MARBLE & GRAINITE	48. TRAVEL & TOURISM
07. ARMS DEALER	21. CONSULTANCY	35. OIL & GAS	49. TRANSPORTATION & LOGISTICS
08. BANKING / FINANCIAL SERVICES	22. ELECTRONICS	36. PETROL PUMPS	50. FOREX DEALERS / BULLION
09. ENGINEERING / CAPITAL GOODS	23. FURNITURE / TIMBER	37. PHARMACEUTICALS	51. PROFESSIONALS (DOCTOR, LAWYER, ENGG. CONSULTING, HR)
10. FERTILIZERS / CHEMICALS / SEEDS /	24. GOVERNMENT BODIES	38. POWER / ELECTRICITY	52. RETAIL CHAIN / FMCG
11. PESTICIDES	25. HOTELS / RESTAURANTS	39. PRINTING / PUBLISHING	53. TELECOM
12. FISHERIES / POULTRY	26. HOSPITALS / CLINICS/ NURSING HOME	40. RELIGIOUS INSTITUTIONS	54. TEXTILES
13. GEMS / JEWELLERY	27. INFRASTRUCTURE	41. SCIENCE & TECHNOLOGY	55. TRANSPORTATION
14. CALL CENTERS / BPO	28. INSURANCE	42. SCHOOL / COLLEGES / INSTITUTES	56. IT SERVICES
			57. MULTI LEVEL MARKETING

We declare and certify our entity status under Rules 114F to 114H of the Income tax Rules, 1962 notified vide CBDT Notification No. S.O. 2155(E) dated 7 August 2015 and RBI Circular Ref No. DBR.AML.BC.No.36/14.01.001/2015-16 dated 28 August 2015, as under:

Tick status of Financial Institution		Yes	No		
Name of Entity					
1.	a) Depository Institution				
	b) Custodial Institution				
	c) Investment Entity which is not a passive NFE				
	d) Specified Insurance Company				
2.	Owner-Documented FI with substantial US owner(s) – details of substantial US Owner to be captured as per Annexure-II				
3.	Reporting Financial Institution				
4.	If 2 OR 3 above is yes, please provide Global Intermediary Identification Number (GIIN)				
5.	Non-Participating Financial Institution				
6.	Non-Reporting Financial Entity (If Yes, Please Tick one of the category in the Table below)				
S No.	Category of NRFI	(√)	S No.	Category of NRFI	(√)
1.	Governmental Entity;		13.	Provident fund	
2.	International Organisation;		14.	An Indian investment entity which is wholly held by NRFI's referred to in (i) to (xiii) above and where any debt interest is held by a depository institution or NRFI's referred to in (i) to (xiii) above	
3.	Central Bank;		15.	Qualified credit card issuer;	
4.	Treaty Qualified Retirement Fund;		16.	Specified Investment entity as per CBDT rules (Rule 114F(5)(f));	
5.	Narrow Participation Retirement Fund;		17.	Exempt collective investment vehicle;	
6.	Broad Participation Retirement Fund;		18.	Trustee-documented Indian Trust;	
7.	Pension Fund of a Governmental Entity;		19.	Financial Institution with a local client base;	
8.	Pension Fund of an International Organisation;		20.	Local Bank (including Regional Rural Bank, Urban Cooperative Banks, State Cooperative Banks / District Central Cooperative Banks, Local Area Banks provided that the assets test as in Explanation (O) to Rule 114F(5);	
9.	Pension Fund of a Central Bank;		21.	Financial Institution with only low-value accounts;	
10.	Non-public fund of the armed forces;		22.	Sponsored investment entity and controlled foreign corporation (in case of any U.S. reportable account);	
11.	Employees' state insurance fund;		23.	Sponsored closely held investment vehicle (in case of any U.S. reportable account)	
12.	Gratuity Fund;		24.	An Indian investment entity which is wholly held by NRFI's referred to in (i) to (xiii) above and where any debt interest is held by a depository institution or NRFI's referred to in (i) to (xiii) above	
7.	Sponsored Investment Entity				
a)	GIIN of Sponsored entity				
b)	Name of entity				

We certify that we have the capacity to sign for the Financial Institution as per CBDT rules/RBI guidelines.

Date:

Place: _____

SIGNATURE(S)
NAME OF THE AUTHORIZED PERSON OF ENTITY

(SEPARATE FORM FOR EACH CONTROLLING PERSON /RELATED PERSON/BENEFICIAL OWNER TO BE FILLED IN)

<p style="text-align: center;">FOR OFFICE USE ONLY</p> <p>APPLICATION TYPE* <input type="checkbox"/> NEW <input type="checkbox"/> UPDATE</p> <p>APPLICANT (CP/RP) CIF NO.: <input style="width:150px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/></p> <p>CP/RP Account No.: <input style="width:200px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/></p>	<p>BRANCH TO AFFIX RUBBER STAMP OF NAME AND CODE NO.</p>	<p>PHOTOGRAPH OF THE CONTROLLING PERSON/ RELATED PERSON/ BENEFICIAL OWNER.</p>
<p>ENTITY NAME: <input style="width:100%; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/></p> <p><input style="width:100%; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/></p>		

1. DETAILS OF CONTROLLING PERSON / RELATED PERSON / BENEFICIAL OWNER *
(Please refer General Instruction) :

1. A DETAILS OF CONTROLLING PERSON (For Passive NFE Only) :

ADDITION OF CONTROLLING PERSON DELETION OF CONTROLLING PERSON UPDATE CONTROLLING PERSON DETAILS

CKYC NUMBER (IF AVAILABLE *) : (IF CKYC NUMBER IS AVAILABLE, ONLY 'CONTROLLING TYPE' & 'NAME' IS MANDATORY)

TYPE OF CONTROL*:

IN CASE OF LEGAL PERSON : OWNERSHIP OTHER MEANS SENIOR MANAGING OFFICIALS

IN CASE OF TRUST: SETTLOR TRUSTEE PROTECTOR BENEFICIARY OTHERS

IN CASE OF OTHER LEGAL ARRANGEMENT: SETTLOR-EQUIVALENT TRUSTEE-EQUIVALENT PROTECTOR-EQUIVALENT BENEFICIARY-EQUIVALENT OTHER-EQUIVALENT

IN CASE OF UNKNOWN

1. B DETAILS OF RELATED PERSON

ADDITION OF RELATED PERSON DELETION OF RELATED PERSON UPDATE RELATED PERSON DETAILS

CKYC NUMBER OF RELATED PERSON (IF AVAILABLE*): (IF CKYC NUMBER IS AVAILABLE, ONLY 'RELATED PERSON TYPE' & 'NAME' IS MANDATORY)

RELATED PERSON TYPE* : DIRECTOR PROMOTER KARTA TRUSTEE PARTNER AUTHORISED SIGNATORY PROPRIETOR

(MORE THAN ONE BOX CAN BE TICKED AS APPLICABLE) COURT APPOINTED OFFICIAL BENEFICIARY BENEFICIAL OWNER (SEE DEFINITION AT PAGE NO. 17) OTHERS POWER OF ATTORNEY HOLDER

2. PERSONAL DETAILS* (Please refer Instruction G II at the end)

	P R E F I X	F I R S T N A M E	M I D D L E N A M E	L A S T N A M E
NAME (SAME AS ID PROOF)*:	<input style="width:40px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width:150px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width:100px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width:100px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>
MAIDEN NAME (IF ANY*):	<input style="width:40px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width:150px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width:100px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width:100px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>
FATHER NAME:	<input style="width:40px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width:150px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width:100px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width:100px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>
MOTHER/SPOUSE NAME:	<input style="width:40px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width:150px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width:100px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width:100px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>
NAME OF MOTHER/FATHER/SPOUSE: (ANY ONE IS MANDATORY)	<input style="width:40px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width:150px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width:100px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width:100px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>
UID / AADHAAR NO.:	<input style="width:80px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	OR	AADHAAR ENROLMENT NO.:	<input style="width:80px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>
DIN (DIRECTOR IDENTIFICATION NUMBER):	<input style="width:40px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>			(MANDATORY IF RELATED PERSON TYPE IS DIRECTOR)
DATE OF BIRTH*:	<input style="width:40px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width:40px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width:40px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width:40px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>
GENDER:	<input type="checkbox"/> M - MALE <input type="checkbox"/> F - FEMALE <input type="checkbox"/> T- TRANSGENDER	NATIONALITY:	<input type="checkbox"/> IN-INDIAN <input type="checkbox"/> OTHERS	COUNTRY CODE (ISO 3166) <input style="width:20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>
MARITAL STATUS*:	<input type="checkbox"/> MARRIED <input type="checkbox"/> UNMARRIED <input type="checkbox"/> SINGLE <input type="checkbox"/> DIVORCED	<input type="checkbox"/> LIVING APART	<input type="checkbox"/> DEFACTO	
RESIDENTIAL STATUS*:	<input type="checkbox"/> RESIDENT INDIVIDUAL <input type="checkbox"/> NON RESIDENT INDIAN	<input type="checkbox"/> FOREIGN NATIONAL	<input type="checkbox"/> PERSON OF INDIAN ORIGIN	
CITIZENSHIP*:	<input type="checkbox"/> INDIAN <input type="checkbox"/> OTHERS			
OCCUPATION TYPE*:	<input type="checkbox"/> SERVICE (<input type="checkbox"/> STATE GOVT. <input type="checkbox"/> CENTRAL GOVT. <input type="checkbox"/> DEFENCE <input type="checkbox"/> PVT. SECTOR <input type="checkbox"/> PUBLIC SECTOR UNDERTAKING)	<input type="checkbox"/> BUSINESS (<input type="checkbox"/> INDUSTRIALIST <input type="checkbox"/> TRADE SECT. <input type="checkbox"/> SERV. SEC <input type="checkbox"/> MIGRANT LABOUR <input type="checkbox"/> CONTRACTOR	<input type="checkbox"/> JEWELLER/BULLION TRADER <input type="checkbox"/> PAWN SHOP	
	<input type="checkbox"/> OTHERS (<input type="checkbox"/> MEDICAL PROF. <input type="checkbox"/> LEGAL PROF. CA/ICWA /TAXATION/FINANCE <input type="checkbox"/> ENG/ARCHITECT/ TECH.CONSULTANT <input type="checkbox"/> RETIRED <input type="checkbox"/> JOURNALIST	<input type="checkbox"/> HOUSEWIFE <input type="checkbox"/> STUDENT <input type="checkbox"/> SHARE AND STOCK BROKER <input type="checkbox"/> PROFESSIONAL <input type="checkbox"/> AGRICULTURE	<input type="checkbox"/> POLITICAL/SOCIAL WORKER <input type="checkbox"/> OTHER	
POLITICALLY EXPOSED PERSON :	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO	Politically exposed person are individuals who are or have been entrusted with prominent public function in a foreign country, eg. Heads of States or of Governments, senior government / judicial / military officers, senior executives of state-owned corporations, important political party officials, etc.		
COUNTRY CODE OF TAX RESIDENCE*:	<input style="width:20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> (CODE FOR INDIA IS " IN ")			
COUNTRY OF TAX RESIDENCE IN INDIA ONLY AND NOT IN ANY OTHER COUNTRY OR TERRITORY OUTSIDE INDIA*	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO	(IF NO, PLEASE FILL THE DETAILS IN COLOUMN 6 & 7 IN PAGE 9)		

PAN / TAX IDENTIFICATION NUMBER OR EQUIVALENT* : (IF JURISDICTION OF RESIDENCE FOR 'TAX PURPOSE' IS INDIA ONLY, THE PAN IN THIS FIELD')

PLACE / CITY OF BIRTH* : COUNTRY CODE OF BIRTH* : (ISO 3166)

3. PROOF OF IDENTITY AND ADDRESS

I (ONE CERTIFIED COPY OF ANY ONE OF THE FOLLOWING OVD WITH CURRENT ADDRESS NEEDS TO BE SUBMITTED)

A- PASSPORT B- VOTER ID CARD C- DRIVING LICENCE D- NREGA JOB CARD IDENTITY NUMBER :

E- LETTER ISSUED BY NATIONAL POPULATION REGISTER CONTAINING F- PROOF OF POSSESSION OF AADHAAR Issued Date :

OR II E-KYC AUTHENTICATION III OFFLINE VERIFICATION OF AADHAAR Date of Expiry :

PROOF OF ADDRESS IN CASE OVD IN POINT NO 3 ALSO DOES NOT CONTAIN UPDATED ADDRESS.

ONE CERTIFIED COPY OF ANY ONE DEEMED OVD NEEDS TO BE SUBMITTED

ADDRESS TYPE* : RESIDENTIAL ADDRESS RESIDENTIAL BUSINESS REGISTERED OFFICE UNSPECIFIED

PROOF OF ADDRESS* : UTILITY BILLS MUNICIPAL TAX RECEIPT PENSION PAYMENT ORDER (PPO) LETTER OF ALLOTMENT OF ACCOMODATION FROM EMPLOYER ISSUED BY STATE/CENTRAL/GOVT/STATUTORY OR REGULATORY BODIES/PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS/SCHEDULED COMMERCIAL BANKS/FINANCIAL INSTITUTIONS/LISTED COMPANIES

4. ADDRESS DETAILS:

PERMANENT SAME AS CURRENT ADDRESS

DOCUMENT NO. / IDENTIFICATION NUMBER* :

ISSUED BY* : ISSUE DATE* :

ISSUED AT* : EXPIRY DATE (IF APPLICABLE)* :

LINE 1* :

LINE 2 :

LINE 3 : CITY / TOWN / VILLAGE* :

DISTRICT* : PIN / POST CODE* :

STATE / UT NAME CODE* : COUNTRY CODE* : (ISO 3166)

5. CONTACT DETAILS (All communications will be sent on provided Mobile no./ Email- ID) (Please refer Instruction 'F' at the end)

TEL. (OFF) : TEL. (RES) :

FAX :

MOBILE :

EMAIL ID :

6. MULTIPLE TAX RESIDENCY: Details of Country of Tax Residence (In addition to India) in US and/or in any other Country or Territory Outside India as Under:

COUNTRY OF TAX RESIDENCE#	TAX IDENTIFICATION NUMBER OR EQUIVALENT, IF ISSUED BY JURISDICTION	IDENTIFICATION TYPE (TIN OR OTHER, PLEASE SPECIFY)

In case, country of tax residence is India, PAN is treated as TIN.
 1. A citizen of US including individual born in US but resident in another country (who has not given up US citizenship).
 2. A person residing in US including US green card holder.
 3. Certain persons who spend more than 180 days in US each year.

7. ADDRESS IN OUTSIDE JURISDICTION/COUNTRY - WHERE THE APPLICANT IS RESIDENT OUTSIDE INDIA FOR TAX PURPOSES

ADDRESS TYPE* : RESIDENTIAL / BUSINESS RESIDENTIAL BUSINESS REGISTERED OFFICE UNSPECIFIED

LINE 1* :

LINE 2 :

LINE 3 : CITY / TOWN / VILLAGE* :

DISTRICT* : PIN / POST CODE* :

STATE / UT NAME CODE* : COUNTRY CODE* : (ISO 3166)

NAME:

(SAME AS ID PROOF)

IF APPLIED FOR PAN AND IT IS NOT YET GENERATED, ENTER DATE OF APPLICATION & THE ACKNOWLEDGEMENT NUMBER

IF PAN IS NOT APPLIED, FILL ESTIMATED TOTAL INCOME (INCLUDING INCOME OF SPOUSE, MINOR CHILD, ETC) AS PER SECTION 64 OF INCOME TAX ACT 1961 FOR FINANCIAL YEAR IN WHICH THE ABOVE TRANSACTION IS HELD

AGRICULTURE INCOME (RS) OTHER THAN AGRICULTURAL INCOME **VERIFICATION**

I..... do hereby declare that what is stated above is true to the best of my knowledge and belief. I further declare I do not have a permanent account number and my/our estimated total income (including income of spouse, minor child, etc.) as per section 64 of Income Tax Act 1961 computed in accordance with the provisions of Income Tax Act 1961 for the financial year in which the above transaction is held will be less than maximum amount not chargeable to tax.

Verified today, the day of 20.....

Place:

Signature of the Declarant

9. APPLICANT DECLARATION

- I/We hereby declare that the details furnished above are true and correct to the best of my/our knowledge and belief and I/We undertake to inform you of any changes therein, immediately. In case any of the information is found to be false or untrue or misleading or misrepresenting, I/we am/are aware that I/we may be held liable for it.
- My/Our personal KYC details may be shared with Central KYC Registry.
- I/We hereby consent to receiving information from central KYC Registry through SMS/Email on the above registered number/email address
- I/We hereby certify that I/We have declared my status as per the rules applicable under section 285BA of the Income Tax Act, 1961 as notified by Central Board of Direct Taxes (CBDT) vide Notification No. S.O. 2155(E) dated 7 August 2015 and RBI Circular Ref No.DBR.AML.BC.No.36/ 14.01.001/2015-16 dated 28 August 2015 in the matter including any subsequent modification/amendment thereof.
- I/We understand, acknowledge and authorize that as per the provisions of Income Tax Act, Rules made thereunder and the guidelines issued by the Government/RBI in the matter, depending upon the residential status and/or other criteria stipulated therein, the Bank may have to report the details in respect of my/our account(s) as per the prescribed format to the Central Board of Direct Taxes (CBDT) or other Government Agencies to comply with the obligations as per the Inter- Governmental Agreements (IGA) in respect of Foreign Accounts Tax Compliance Act (FATCA) and Common Reporting Standards (CRS) and / or any other similar arrangements.
- I/We certify & declare that the information provided by me/us for opening account and availing other services herein or through website/electronically as applicable to me/us and signed/authenticated by me/us as well as in the documentary evidence provided by me/us for opening account and availing other services are, to the best of my/our knowledge and belief, true, correct and complete and that I/We have not withheld any material information that may affect the assessment/categorization of my/our account as a U.S. Reportable Account or Other Reportable Account or otherwise. In case any of the information or details provided by me/us is found to be false or untrue or misleading or misrepresenting, I/We am/are aware that I/We may be held liable for it.
- I/We undertake the responsibility to declare and disclose immediately and in no case beyond 30 days from the date of change, any changes that may take place in the information provided herein/ or otherwise, as well as in the documentary evidence provided by me or if any certification becomes incorrect or undergoes a change. I further undertake to provide fresh and valid self-certification along with documentary evidence as and when so required; nevertheless all declaration and undertaking given herein will also be applicable to all such modified/amended documents/information provided by me unless revised self certification as above is provided to the Bank.
- I/We also agree that my/our failure to disclose any material fact/information known to me/us now or in future or my/our failure to remedy any deficiency in documents/ information/other details within the stipulated period, may invalidate me/us from transacting in the account and the Bank would be within its right to put restrictions in the operations of my account or to close it or to report to any regulator and/or any authority designated by the Government of India (GoI)/RBI for the said purpose or take any other action as may be deemed appropriate by the Bank under the guidelines issued by CBDT/RBI/GoI from time to time
- I/We also agree to furnish and intimate to the Bank any other particulars that are called upon me/us to provide on account of any change in law either in India or abroad in relating to the operation or maintenance of the account.
- I/We certify that I/we have the capacity to sign for the entity as per the CBDT rules/RBI guidelines.
- I/We shall indemnify the Bank from any loss/damage that may be caused to the Bank on account of any defect/mistake in the details provided herein or on account of providing incorrect or incomplete information by me/us.

DATE:

PLACE: _____

Signature(s)

Name of the Applicant

ATTESTATION / FOR OFFICE USE ONLYDOCUMENTS RECEIVED: CERTIFIED COPIES EQUIVALENT E-DOCUMENT **RISK CATEGORY:** HIGH MEDIUM LOWIN PERSON VERIFICATION CARRIED OUT BY IDENTITY VERIFICATION: DONE DATE:

EMP./OFFICIAL SIGNATURE _____ EMP./OFF. NAME: _____

S.S No. / E.C No.: _____ EMP./OFF. DESIGNATION: _____ EMP./OFF. BRANCH: _____

INSTRUCTIONS:

- **FIELDS MARKED WITH '**' ARE MANDATORY**
- **PLEASE FILL THE FORM IN ENGLISH AND IN BLOCK LETTERS**

APPLICATION TYPE*: NEW UPDATE

KYC NUMBER (TO BE FILLED BY FINANCIAL INSTITUTION):

(KYC NUMBER OF ENTITY IS MANDATORY FOR UPDATE REQUEST)

PROOF OF ADDRESS (POA)

CORRESPONDENCE / LOCAL ADDRESS DETAILS*

SAME AS CURRENT /PERMANENT ADDRESS DETAILS

ADDRESS TYPE*:

RESIDENTIAL OR BUSINESS RESIDENTIAL BUSINESS REGISTERED OFFICE UNSPECIFIED

LINE 1*:

LINE 2:

LINE 3: CITY / TOWN NAME*:

DISTRICT*: COUNTRY NAME:

STATE / UT NAME*: PIN / POST CODE*:

CONTACT DETAILS (If communication has to be done on Mobile/email the following Mobile No/Email ID will be used)

TEL. (OFF): TEL. (RES):

MOBILE NO.: FAX:

EMAIL ID:

APPLICANT DECLARATION

- I/We hereby declare that the details furnished above are true and correct to the best of my/our knowledge and belief and I/We undertake to inform you of any changes therein, immediately. In case any of the information is found to be false or untrue or misleading or misrepresenting, I/we am/are aware that I/we may be held liable for it.
- My/Our personal KYC details may be shared with Central KYC Registry.
- I/We hereby consent to receiving information from central KYC Registry through SMS/Email on the above registered number/email address

DATE:

PLACE: _____

SIGNATURE (S)
NAME OF THE AUTHORIZED PERSON OF ENTITY

ATTESTATION / FOR OFFICE USE ONLY

DOCUMENTS RECEIVED: CERTIFIED COPIES EQUIVALENT E-DOCUMENT **RISK CATEGORY:** HIGH MEDIUM LOW

IN PERSON VERIFICATION CARRIED OUT BY IDENTITY VERIFICATION: DONE **DATE:**

EMP./OFFICIAL SIGNATURE _____ EMP./OFF. NAME: _____

S.S No. / E.C No.: _____ EMP./OFF. DESIGNATION: _____ EMP./OFF. BRANCH: _____

(APPLICABLE TO COMPANY (EXCEPT THE COMPANY LISTED ON A STOCK EXCHANGE OR IN CASE OF A SUBSIDIARY OF SUCH A COMPANY), PARTNERSHIP FIRM, UNINCORPORATED ASSOCIATION OR BODY OF INDIVIDUALS AND TRUSTS).

1. NAME OF THE CUSTOMER : _____
(COMPANY, PARTNERSHIP FIRM, UNINCORPORATED ASSOCIATION ON BODY OF INDIVIDUALS AND TRUSTS)
2. REGISTERED NUMBER : _____
(IF AVAILABLE)
3. REGISTERED ADDRESS: _____

THE CUSTOMER AS STATED ABOVE HEREBY CONFIRMS AND DECLARES THAT AS ON DATE:

--	--	--	--	--	--	--

THE FOLLOWING **NATURAL PERSON(S)** (LISTED IN **TABLE BELOW**) EXERCISE CONTROL OR ULTIMATELY HAVE A CONTROLLING OWNERSHIP INTEREST I.E. HAVING OWNERSHIP /ENTITLEMENT OF **MORE THAN 25%** (COMPANY) / **MORE THAN 15%** (PARTNERSHIP FIRM, UNINCORPORATED ASSOCIATION OF INDIVIDUALS) / **MORE THAN OR EQUAL TO 15%** (TRUST) OF CAPITAL/PROFITS/PROPERTY OR CONTROLLING THROUGH VOTING RIGHTS, AGREEMENT, ARRANGEMENT ETC.

(FOR DEFINITION OF BENEFICIAL OWNER , SEE AT PAGE NO. 17)

SL NO.	FULL NAME OF BENEFICIAL OWNER / CONTROLLING NATURAL PERSON(S)	DATE OF BIRTH	NATIONALITY	ADDRESS	TYPE OF KYC DOCUMENTS	CONTROLLING OWNERSHIP INTEREST (%)

WE CERTIFY THAT THE FACTS STATED ABOVE ARE TRUE AND CORRECT. WE UNDERTAKE AND AGREE THAT WE WILL NOTIFY **BANK OF BARODA** WITHOUT DELAY OF ANY CHANGES IN THE CONTROLLING PERSONS, PERSON EXERCISING CONTROL OR HAVING CONTROLLING OWNERSHIP INTEREST IN THE COMPANY, PARTNERSHIP FIRM, UNINCORPORATED ASSOCIATION OR BODY OF INDIVIDUALS AND TRUSTS, AS DECLARED **IN THE TABLE ABOVE.**

FOR AND ON BEHALF OF [NAME OF COMPANY, PARTNERSHIP FIRM, UNINCORPORATED ASSOCIATION OR BODY OF INDIVIDUALS AND TRUSTS];

SIGNATURE OF THE AUTHORIZED OFFICIAL*: _____

FULL NAME OF THE AUTHORIZED OFFICIAL: _____

DESIGNATION / POSITION : _____

DATE :

PLACE :

(*The declaration should be signed by an active / designated partner in case of Partnership Firm, a trustee in case of Trust)

For Branch use Only

We certify that the beneficial owner (s) of the said firm has / have been determined on the basis of declaration made by the above mentioned Company / Firm / Trust and the details furnished above have been verified from information, whenever available, in public domain.

(Signature of the Branch Head / Branch Operation Head)

Name : _____

S.S No. / E.C. No.: _____

Date : _____

**Declaration cum Undertaking for Opening/Continuing Current Account
(Annexure to Current Account Opening Form)**

CURRENT ACCOUNT OPENING/CONTINUING ELIGIBILITY																	
1	Do you have any CC/OD(Cash Credit/Overdraft) facility (ies) with any bank including BOB?	<input type="checkbox"/> Yes or <input type="checkbox"/> No If yes, opening/continuance* of current account is not permissible as per RBI instructions. If No, please proceed to Sl.No.2.															
2	Have you availed any credit facility(ies) (other than CC/OD) with any Bank including BOB?	<input type="checkbox"/> Yes or <input type="checkbox"/> No If yes, than proceed to Sl.No.3 If No, you can open/continue* current account.															
3	If the answer to the question no. 2 is Yes, Please select the range of Amount availed under Credit Facility (ies) (Other than CC/OD) For Instance..... <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Bank</th> <th style="width: 35%;">Fund Based like TL/DL</th> <th style="width: 35%;">Non Fund based like LC/BG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BOB</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bank 1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bank 2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>T total</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Add additional rows if required	Bank	Fund Based like TL/DL	Non Fund based like LC/BG	BOB			Bank 1			Bank 2			T total			You can open/continue* current account, subject to the following undertaking. <input type="checkbox"/> I/We undertake to inform you immediately if and when the sum of my / our availed Credit Facility (ies) becomes Rs. 5 Crore or more. <input type="checkbox"/> I/We understand that if and when the sum of my/ our availed Credit Facility(ies) becomes Rs. 5 Crore or more, my / our Current account shall be governed by the provisions of Para 3 (B) or 3 (C) of this Declaration cum undertaking, as the case may be.
		Bank	Fund Based like TL/DL	Non Fund based like LC/BG													
BOB																	
Bank 1																	
Bank 2																	
T total																	
	A. <input type="checkbox"/> Credit Facility (ies) with any Bank including BOB Less than Rs. 5 Crore B. <input type="checkbox"/> Credit Facility (ies) with any Bank including BOB Rs. 5 Crore or more but Less than Rs. 50 Crore	Whether availed any of these Credit Facility (ies) from BOB? <input type="checkbox"/> Yes or <input type="checkbox"/> No If Yes, current account can be opened/continued* with BOB. If No, only a collection account can be opened/ now continued* with BOB. You can only open/ now continue with* a collection account with BOB. In such a collection account. . Only Credits will be allowed in these collection accounts and debits in these accounts shall be limited to the purpose of remitting the proceeds to the current account with the Lender Bank of the Credit Facility (ies), at agreed intervals\$. Thus, while there will be no prohibition on amount or number of credits, debits in this account shall be limited to the purpose of remitting the proceeds to the said Current account. . Balances cannot be used as margin for availing any non-fund based credit facilities,															
	C. <input type="checkbox"/> Credit Facility (ies) with any Bank including BOB Rs. 50 Crore or more	Whether availed any of these Credit Facility (ies) from BOB. <input type="checkbox"/> Yes or <input type="checkbox"/> No a. If No, current account cannot be opened/continued* with BOB. b. If Yes, BOB is either your Escrow managing Bank or the sole lender, for the Credit Facility (ies)? <input type="checkbox"/> Yes or <input type="checkbox"/> No If answer to question (b) is (Yes), then Current Account can be opened/continued* with BOB. If the answer to question (b) is (No), you can only open/now continue with* a collection account with BOB. In such a collection account. . Only Credit will be allowed and debits shall be limited to the purpose of remitting the proceeds to the escrow account with the Escrow Managing Bank of the Credit Facility (ies), at agreed intervals\$. Thus while there will be no prohibition on amount or number of the credit, debits in this account shall be limited to the purpose of remitting the proceeds to the said escrow account. . Balances cannot be used as margin for availing any non-fund based credit facilities.															

(Credit facility is sanctioned credit facility/limits)

I/We undertake to inform BOB in case of any changes in the above declaration cum undertaking regarding my/ our CC/OD Other credit facilities. I/We also understand that it will be my/our sole responsibility to inform BOB regarding any changes to the above facts/aspects stated by us, by medium of the above declaration cum undertaking. I/We also agree to provide fresh declaration cum undertaking in case of any changes to the above facts/aspects stated by us in the above declaration cum undertaking and/or in case a fresh declaration cum undertaking is warranted in view of applicable law/regulation. I/We also agree to close the current account as and when demanded by BOB.

Signature of Customer(s)/ Authorized Representative(s)

*Please strike off the inapplicable option.

\$\$Customer to advise the frequency (daily/weekly/monthly etc..) through a letter signed by authorized signatory(ies)

GENERAL INSTRUCTIONS:

A. Clarification /Guidelines for filling "For office use Only section

Account type: Simplified should be used for FPI Category I and Category II only.

Account Holder Type:

US Reportable (FATCA) F1-Owner –Documented FI with specified US owner(s) F2-Passive Non-Financial Entity with substantial US Owner(s) F3- Non-Participating FFI F4-Specified US person F5- Direct reporting NFFE XX- Not Applicable	Other Reportable FATCA C1-Passive Non-Financial Entity with one or more controlling person that is a Reportable person C2-Other reportable Person C3- Passive Non-Financial Entity that is a CRS Reportable XX-Not Applicable
---	---

In case of companies and partnerships, PAN of the entity is mandatory. In case of other entities, FORM 60 may be obtained (Companies Act, 2013)

c. Clarification /Guidelines for filling "Entity Details" section

1. For sole proprietorship concerns, In case of non-availability of PAN, Form 60 needs to be furnished.

2. Identification type: T-TIN, C-Company Identification Number, G-US GIIN, E-Global Entity identification Number (EIN) O- Others

3. "Date of Commencement of Business" is mandatory for companies and other entities may provide, if applicable.

D. Clarification /Guidelines for filling "Proof of identity (POI) section

1. Activity Proof-1 and Activity Proof-2 are applicable for accounts in case of sole proprietorship firms. Please refer to relevant instructions issued by the RBI in this regard.

2. Please refer to the relevant instructions issued by the regulator regarding applicable documents for the legal entity.

3. Certified copy of document or equivalent e- document or OVD obtained through Digital KYC process to be submitted.

4. Equivalent e- document means an electronic equivalent of a document, issued by the issuing authority of such document with its valid digital signature including documents issued to the digital locker account of the client as per rule 9 of the Information Technology (Preservation and Retention by Intermediaries Providing Digital Locker Facilities) Rules, 2016.

5. Digital KYC process has to be carried out as stipulated in the PML Rules, 2005.

6. Certified copies of all the relevant documents as applicable, needs to be submitted.

7. KYC requirements for Foreign Portfolio Investors (FPIs) will be as specified by the concerned regulator from time to time.

8. Details of the Required Documents for different Entity Constitution type are mentioned in page No. 17 (KYC Documents Required)

E. Clarification /Guideline for filling Proof of Address [PoA] SECTION

1. State /U.T Code and Pin/ Post Code will not be mandatory for overseas address.

2. Certified copy of document or equivalent e- document to be submitted.

3. In case of multiple correspondence /Local address, Please fill Annexure-III

F. Clarification / Guideline for filling Contact Details section

1. Please mention two-digit country code and 10 digit mobile number (e.g. for Indian mobile number mention 91-9999999999).

2. Do not add 0 in the beginning of Mobile number.

g. Clarification / Guideline for filling Related Person Details section

1. Personal Details

Name: Please state the name with prefix (Mr./Mrs/Ms/Dr. etc) The name should match the name as mentioned in the Proof of Identity submitted failing which the application is liable to be rejected.

B. Clarification /Guidelines for filling "Entity constitution type" section

Entity Constitution type.

A-Sole Proprietorship B-Partnership Firm C-HUF D-Private Limited Company E-Public Limited Company F-Society G-Association of Persons (AOP)/ Body of Individuals (BOI)	H-Trust I-Liquidator J-Limited Liability Partnership K-Artificial Liability Partnership L-Public Sector Banks M-Central/State Government Department or Agency	N-Section 8 Companies (Companies Act, 2013) O-Artificial Juridical Person P-International Organization or Agency / Foreign Embassy or Consular Office etc. Q-Not Categorized R-Others
---	--	---

2. Proof of Address [PoA]

• PoA to be submitted only if the submitted PoI does not have an address as per PoI is invalid or not in force.

• State /U.T. Code and Pin/Post Code will not be mandatory for overseas addresses.

• In case of deemed PoA such as utility bill, the document need not be uploaded on CKYCR

• REs may use the self Declaration check box where Aadhaar authentication has been carried out successfully for a client and client wants to provide a current address, different from the address as per identity information available in the Central Identities Data Repository.

3. If KYC number of Related Person is available, no other details except Person Type and Name of the Related Person are required.

4. Regulated Entity (RE) shall redact (First 8 digits) of the Aadhaar number from Aadhaar related data and documents such as proof of possession of Aadhaar, while uploading on CKYCR.

5. Fill separate Annexure (A II) for each Controlling/Related Person/Beneficial Owner:

6. Resident Outside India for tax purposes:

i. Provision for capturing multiple tax residency details is made available (Annexure III)

ii Tax Identification Number (TIN): TIN need not be reported if it has not been issued by the jurisdiction. However, if the said jurisdiction has issued a high integrity number with an equivalent level of identification (Functional equivalent) the same may be reported.

7. Proof of Identity:

i. If driving license number or passport is provided as POI then expiry date is to be mandatorily furnished.

ii. Mention identification/reference number if Z- Others (any document notified by the central government is ticked).

8. Section 1 A to be filed for Controlling person and section 1 B to be filed for related person

9. The details of Controlling Persons are required only if the Legal entity is passive NFE as defined in the Income tax rules.

"Controlling Person" means the natural person who exercises control over an entity and includes a beneficial owner as determined under sub-Rule (3) of Rule 9 of the Prevention of Money-Laundering (Maintenance of records) Rules, 2005.

Explanation 1 -In determining the beneficial owner, the purpose specified in the following circular as amended from time to time shall be applied namely:-

(i) DBOD.AML.BC.No.71/14.01.001/2012-13 dated 18.01.2013 issued by RBI.

(ii) CIR/MIRSD/2/2013 dated 24.01.2013 by Securities and Exchange Board of India or

(iii) IRDA/SDD/GDL/CIR/019/02/2013 issued on 04.02.2013 by the Insurance Regulatory and Development Authority.

Explanation 2:- In the case of a trust, the controlling person means the settlor, the trustees, the protector (if any), the beneficiaries or class of beneficiaries and any other natural person exercising ultimate effective control over the trust and in the case of a legal arrangement other than a trust, the said expression means the person in equivalent or similar position.

Type of legal entity	Type of controlling person (CP)	Permissible values
Sole proprietorship	Sole proprietor	CP not required
Hindu Undivided Family	• Karta	C09 – CP of legal arrangement - Other-settlor equivalent; or C10- CP of legal arrangement - Other-Trustee equivalent
	• Each Coparcener	C12 - CP of legal arrangement - Other-beneficiary equivalent
Partnership	• Ownership	C01- CP of legal person - ownership
	• Other means	C01 - CP of legal person – other means
	• Senior managing officials	C03 - CP of legal person – senior managing official
Company	• Ownership	C 01 -CP of legal person - ownership
	• Other means	C 02 -CP of legal person – other means
	• Senior managing official	C 03 - CP of legal person – senior managing official
Society	• Ownership	C 01 -CP of legal person - ownership
	• Other means	C 02 - CP of legal person – other means
	• Senior managing official	C 03 - CP of legal person – senior managing official
AOP/BOI	• Members (owners)	C 01 - CP of legal person - ownership
	• Settlor Equivalent	C 09 – CP of legal arrangement –Other-settlor equivalent
	• Trustee equivalent	C 10 – CP of legal arrangement –Other-trustee equivalent
	• Protector Equivalent	C 11 – CP of legal arrangement –Other-protector equivalent
	• Beneficiary Equivalent	C 12 – CP of legal arrangement –Other-beneficiary equivalent
Trust	• Others	C 13 – CP of legal arrangement –Other-Other equivalent
	• Settlor	C 04 – CP of legal arrangement –Trust-settlor
	• Trustee	C 05 – CP of legal arrangement –Trust-trustee
	• Protector	C 06 – CP of legal arrangement –Trust-protector
	• Beneficiary	C 07 – CP of legal arrangement –Trust-beneficiary
Liquidator		C 08 – CP of legal arrangement –Trust-Other
Limited Liability Partnership	• Partners(ownership)	CP not required
	• Other means	C 01 - CP of legal person - ownership
	• Senior Managing officials	C 02-CP of legal person – other means C 03 - CP of legal person – senior managing official
Artificial Juridical Person	• Equivalent of Settlor	C 09 – CP of legal arrangement –Other-settlor equivalent
	• Trustee	C 10 – CP of legal arrangement - Other - trustee equivalent
	• Protector	C 11 – CP of legal arrangement - Other - protector equivalent
	• Beneficiary	C 12 – CP of legal arrangement - Other - beneficiary equivalent
	• others	C 13 – CP of legal arrangement - Other - Other equivalent

H.	<p>Passive NFE : It means</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Any NFE which is not an Active NFE, or ii. An investment entity the gross income of which is primarily attributable to investing, reinvesting, or trading in financial assets, if the entity is managed by another entity that is a depository institution, a custodial institution, a specified insurance company, or an investment entity described in the note below. iii. Not a withholding foreign partnership or withholding foreign trust ("Withholding foreign partnership" means a foreign partnership that has entered into a withholding agreement with the United States of America in which it agrees to assume primary withholding responsibility for all payments which are made to it for its partners, beneficiaries or owners). <p>Note:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Any entity that primarily conducts as a business one or more of the following activities or operations for or on behalf of a customer, namely:- <ol style="list-style-type: none"> i. Trading in money market instruments (Cheques, bills, certificates of deposit, derivatives etc.); foreign exchange; exchange, interest rate and index instruments; transferable securities; or commodity futures trading; or ii. Individual and collective portfolio management; or iii. Otherwise investing, administering, or managing financial assets or money on behalf of other persons. <p>Explanation 1:- An entity is treated as primarily conducting as a business one or more of the activities described in 1 above, or an entity's gross income is primarily attributable to investing, reinvesting, or trading in financial assets for purposes of Investment Entity that is a Passive Entity, if the entity's gross income attributable to the relevant activities equals or exceeds 50 percent of the entity's gross income during the shorter of: (i) the three-year period ending on 31st march of the year preceding the year in which the determination is made; or (ii) the period during which the entity has been in existence.</p> <p>Explanation 2:- The term "investment entity" does not include an Entity that is an active non-financial entity because it meets any of the criteria in sub-clauses (iv), (v), (vi) or (vii) of clause (A) of Explanation to clause (6) of Rule 114F.</p> <p>Passive income - includes income by way of: (i) dividends; (ii) interest; (iii) income equivalent to interest; (iv) rents and royalties (other than rents and royalties derived in the active conduct of a business conducted, at least in part, by employees of the non-financial entity); (v) annuities; (vi) the excess of gains over losses from the sale or exchange of financial assets that gives rise to the passive income; (vii) the excess of gains over losses from transactions (including futures, forwards, options, and similar transactions) in any financial assets; (viii) the excess of foreign currency gains over foreign currency losses; (ix) net income from swaps; or (x) amounts received under cash value insurance contracts:</p> <p>Provided that passive income will not include, in the case of a non-financial entity that regularly acts as a dealer in financial assets, any income from any transaction entered into in the ordinary course of such dealer's business as such a dealer.</p> <p>Related Entity - an entity is a "related entity" of another entity if either entity controls the other entity, or the two entities are under common control.</p> <p>Explanation. - For the purpose of this clause control includes direct or indirect ownership of more than fifty per cent of the vote and value in an entity.</p>
I.	<p>Active NFE is any one of the following</p> <ol style="list-style-type: none"> i. less than fifty per cent of the entity's gross income for the preceding financial year is passive income and less than fifty per cent of the assets held by the entity during the preceding financial year are assets that producer are held for the production of passive income; OR ii. the stock of the entity is regularly traded on an established securities market or the non-financial entity is a related entity of an entity, the stock of which is regularly traded on an established securities market. Explanation. - For the purpose of this sub-clause, an established securities market means an exchange that is recognized and supervised by a Governmental authority in which the securities market is located and that has a meaningful annual value of shares traded on the exchange; OR iii. the entity is a Governmental Entity or an International Organization or a Central Bank or an entity wholly owned by one or more of the foregoing; OR iv. substantially all of the activities of the entity consist of holding (in whole or in part) the outstanding stock of, or providing financing and services to, one or more subsidiaries that engage in trades or businesses other than the business of a financial institution: Provided that an entity shall not qualify for this status if it functions as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund, or any investment vehicle whose purpose is to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes; OR v. the entity is not yet operating a business and has no prior operating history, but is investing capital into assets with the intent to operate a business other than that of a financial institution, provided that the entity shall not qualify for this exception after the date that is twenty four months after the date of the initial organization of the entity OR vi. the entity was not a financial institution in the past five years, and is in the process of liquidating its assets or is reorganizing with intent to continue or recommence operations in a business other than that of a financial institution; OR vii. the entity primarily engages in financing and hedging transactions with, or for, related entities which are not financial institutions, and does not provide financing or hedging services to any entity which is not a related entity, provided that the group of any such related entities is primarily engaged in a business other than that of a financial institution; OR viii. the entity meets all of the following requirements, namely:- <ol style="list-style-type: none"> a. It is established and operated in India exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, cultural, athletic, or educational purposes; or it is established and operated in India and it is a professional organization, business league, chamber of commerce, labour organization, agricultural or horticultural organization, civic league or an organization operated exclusively for the promotion of social welfare; b. It is exempt from income-tax in India; c. It has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets; d. The applicable laws of the entity's country or territory of residence or the entity's formation documents do not permit any income or assets of the entity to be distributed to, or applied for the benefit of, a private person or non-charitable entity other than pursuant to the conduct of the entity's charitable activities, or as payment of reasonable compensation for services rendered, or as payment representing the fair market value of property which the entity has purchased; and e. The applicable laws of the entity's country or territory of residence or the entity's formation documents require that, upon the entity's liquidation or dissolution, all of its assets be distributed to a Governmental Entity or other non-profit organization, or escheat to the government of the entity's jurisdiction of residence or any political subdivision thereof. <p>Explanation. - For the purpose of this sub-clause, the following shall be treated as fulfilling the criteria provided in the said sub-clause, namely:-</p> <ol style="list-style-type: none"> I. an Investor Protection Fund referred to in clause (23EA); II. a Credit Guarantee Fund Trust for Small Industries referred to in clause 23EB; and III. an Investor Protection Fund referred to in clause (23EC), of section 10 of the Act
J.	<p>A US Person is any of the following</p> <ol style="list-style-type: none"> a. A U. S. citizen or Tax Resident of US; OR b. A partnership or a corporation organized in the US or under the law of the US or any states thereof; OR c. A trust (i) where a court within the United States would have authority under applicable law to render orders or judgments concerning substantially all issues regarding administration of the trust, and (ii) one or more U. S. Persons have the authority to control all substantial decisions of the trust, OR d. an estate of the decedent that is a citizen or resident of the United States.
K.	<p>Specified US Person - A US Person other than the following</p> <ol style="list-style-type: none"> a. A corporation the stock of which is regularly traded on one or more established securities markets b. Any corporation that is a member of the same expanded affiliated group, as defined in section 1471(e)(2) of the U.S. Internal Revenue Code, as a corporation described in clause (a) c. The United States or any wholly owned agency or instrumentality thereof d. Any State of the United States, any U. S. Territory, any political subdivision of any of the foregoing, or any wholly owned agency or instrumentality of any one or more of the foregoing e. Any organization exempt from taxation under section 501(a) of the U.S. Internal Revenue Code or an individual retirement plan as defined in section 7701(a)(37) of the U.S. Internal Revenue Code f. Any bank as defined in section 581 of the U. S. Internal Revenue Code; g. Any real estate investment trust as defined in section 856 of the U. S. Internal Revenue Code h. Any regulated investment company as defined in section 851 of the U. S. Internal Revenue Code or any entity registered with the U.S. Securities and Exchange Commission under the Investment Company Act of 1940 (15 U. S.C. 80a-64) i. Any common trust fund as defined in section 584(a) of the U. S. Internal Revenue Code; j. Any trust that is exempt from tax under section 664(c) of the U. S. Internal Revenue Code or that is described in section 4947(a)(1) of the U.S. Internal Revenue Code k. A dealer in securities, commodities, or derivative financial instruments (including notional principal contracts, futures, forwards, and options) that is registered as such under the laws of the United States or any State; l. A broker as defined in section 6045(c) of the U.S. Internal Revenue Code m. Any tax-exempt trust under a plan that is described in section 403(b) or section 457(g) of the U.S. Internal Revenue Code
L.	<p>Direct Reporting NFFE</p> <p>A direct reporting NFFE will mean an NFFE that elects to report directly to the US IRS certain information about its direct or indirect substantial U.S. owners, in lieu of providing such information to FIs with which the NFFE holds a financial account. Direct Reporting NFFE registers with the US IRS to obtain GIIN. Such Direct Reporting NFFEs are required to be reported under Rules 114F to 114H</p>

KYC Documents Required for opening Current Accounts:

SI No	Type of Entity	KYC Documents
1	Proprietorship	<ol style="list-style-type: none"> Minimum 2 documents issued in the name of Proprietary Concern from the following list of documents along with and PAN or Form 60 of the proprietor as a Beneficial owner (Annexure II) must be taken or in case Permanent Account Number is not submitted an Officially Valid Document shall be submitted. Proof of the name, address and activity of the concern like registration certificate (in the case of a registered concern). Certificate/license issued by the Municipal Authorities under Shop & Establishment Act. Sales and Income Tax returns. GST/CST certificate, certificate/registration document issued by Sales Tax/Service Tax/Professional Tax authorities. License/ Certificate of practice issued in the name of the proprietary concern by any professional body incorporated under statute (e.g. Certificate of Practice issued by Institute of Chartered Accountants of India, Institute of Cost Accountants of India, Institute of Company Secretaries of India, etc.) IEC (Importer/Exporter Code) issued to the Proprietary Concern by the Office of Director General of Foreign Trade (DGFT) in the name of Proprietary Concern. The complete Income Tax Return (not just the acknowledgment) in the name of the sole proprietor where the firm's income is reflected duly authenticated/ acknowledged by the Income Tax authorities. Utility bills such as electricity, water and land line telephone bills in the name of the proprietary concern
2	Partnership Firms	<ol style="list-style-type: none"> Registration Certificate (in case of registered firms); Partnership deed dated.....; PAN of the Partnership Firm (a) Permanent Account Number or Form 60 issued to the person holding POA on its behalf or in case Permanent Account Number is not submitted an Officially Valid Document shall be submitted. <p>Other Documents:</p> <ol style="list-style-type: none"> A declaration containing the names of all the beneficial owners together with their share holding / controlling interest / stake duly signed by the authorized signatory. (Annexure IV) Mode of operation in case of Partnership to be indicated clearly in AOF (Viz. All Partners jointly/severally (singly), Partner 1 & 2 jointly/severally (singly) etc.) Partnership letter dated..... LDOC39. Signed by all partners. (To be compulsorily obtained in case of partnership firms) Addresses of the Power of Attorney holders PoA granted to a partner or employee of the firm to transact business on its behalf PAN of all partners & beneficial owners Separate Annexure II for each beneficial owner to be obtained.
3	Limited Companies	<ol style="list-style-type: none"> Certificate of Incorporation dated (for inspection and return). A copy of the same is Retained; Memorandum of Association registered on and Articles of Association dated obtained; A resolution from the Board of Directors and Power of Attorney granted to its managers, officers or employees to transact on its behalf; and (a) Pan or Form 60 issued to managers, officers or employees holding an attorney to transact on the company's behalf or in case Permanent Account Number is not submitted an Officially Valid Document shall be submitted. <p>Other Documents</p> <ol style="list-style-type: none"> A declaration containing the names of all the beneficial owners together with their share holding / controlling interest / stake duly signed by the authorized signatory. (Annexure IV) Certificate of commencement of business (in case of Public Limited Company) CIN No. Copy of PAN of Company Proof of Current Address Any officially valid document/ Identification of those who have authority as per POA granted to operate the account (as applicable to individual accounts) and KYC of all such persons operating the account and beneficial owners Certificate of Registrar of Joint Stock Companies dated That the Company is entitled to commence business (for inspection, entry in the Power of Attorney Register and return). A copy of the same is retained. (This certificated is not required when, <ol style="list-style-type: none"> The company is a private company The company was registered before 1913 and does not invite the public to subscribe for shares. The company is Limited by guarantee and does not have a share capital. Certified copy of a resolution dated, regulating the conduct of the account, obtained, some what on the following lines:- We hereby certify that the following resolution of the Board of Directors of the Company was passed of a meeting of the Board held on the And has been duly recorded in the Minute Book of the said Company :- "resolved :- that a bank account for the company be opened with the Bank of Baroda, and that the said Bank be and is hereby authorised to honour cheques, bills of exchange and promissory notes drawn, accepted or made on behalf of the company by and to act on any instructions so given relating to the account, whether the same be overdrawn or not, or relating to the transactions of the company." <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">sd/- Chairman</div> <div style="text-align: center;">sd/- Directors</div> <div style="text-align: center;">sd/- Secretary</div> </div> PAN of the Chairman / Managing Director / Chief Promoter etc of all Related persons or beneficial owners, Separate Annexure II for each beneficial owner to be obtained.
4	Societies/ Association/ Clubs	<p>KYC Documents as applicable to Accounts of unincorporated Associations or Body of Individuals. Copy of the PAN or Form 60 of the Entity.</p> <p>Other Documents</p> <ol style="list-style-type: none"> Copy of the Memorandum of Association registered on and Articles of Association dated Obtained. Resolution of managing body for opening the account Copy of the By Laws dated and resolution dated Of the Society, regarding the conduct of the account, obtained. Government / Military Order dated obtained (whichever applicable). PAN of Chairman/ MD/ Chief Promoter/ Secretary etc. of all Related persons or Beneficial owners, Separate Annexure II for each beneficial owner to be obtained.
5	Hindu Undivided Family (HUF)	<ol style="list-style-type: none"> Joint Hindu Family Letter dated, signed by all the adult coparceners Declaration from the Karta PAN of Karta PAN of adult coparceners PAN Card of Joint Hindu Family On death of a coparcener, birth of a coparcener and a minor coparcener attaining majority (18 years), a fresh JHF letter has to be executed Declaration that a) the depositor is the Karta of the Joint Family, b) the deposit belongs to JHF
6	Trusts	<p><u>KYC Documents</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Registration Certificate; Trust Deed; and PAN or Form 60 of the Trust; and (a) Permanent Account Number or Form 60 issued to the person holding POA on its behalf or in case Permanent Account Number is not submitted an Officially Valid Document shall be submitted. <p>Other Documents</p> <ol style="list-style-type: none"> A declaration containing the names of all the beneficial owners together with their share holding / controlling interest / stake duly signed by the authorized signatory. (Annexure IV) Copy of relevant extracts of trust deed dated obtained and perused, with special emphasis on the power of the trustees to sign cheques, delegation of authority, borrow money etc. The relevant portions are entered in the power of attorney register. A copy of the Resolution

KYC Documents Required for opening Current Accounts:

SI No	Type of Entity	KYC Documents
		8. Power of Attorney granted to transact business on its behalf (wherever applicable), 9. PAN of trustees, executors, administrators, etc. of all Related persons or Beneficial owners, Separate Annexure II for each beneficial owner to be obtained. 10. Proof of current address 11. All Trust Accounts to be invariably assigned "High Risk"
7	Unincorporated association or body of individuals	1. Resolution of the managing body of such association or body of individuals; 2. Power of attorney granted to transact on its behalf; 3. PAN or Form 60 of the entity. 4. (a) Permanent Account Number or Form 60 issued to the person holding POA on its behalf or in case Permanent Account Number is not submitted an Officially Valid Document shall be submitted. 5. Such information as may be required by the bank to collectively establish the legal existence of such an association or body of individuals. 6. PAN of all Related persons or Beneficial owners, Separate Annexure II for each beneficial owner to be obtained 7. A declaration containing the names of all the beneficial owners together with their share holding / controlling interest / stake duly signed by the authorized signatory. (Annexure IV) <ul style="list-style-type: none"> • In Case of Political Parties, along with above mentioned document these 4 other documents will also be attached: <ul style="list-style-type: none"> a. Certificate from the Election Commission confirming that "the political party is registered under section 29A of Representation of people Act, 1951 (43 of 1951) and secured not less than one percent of the votes polled in the last general election to the House of the People or the Legislative Assembly, as the case may be". b. Memorandum or Rules and regulations of the political party. c. Photograph of the person who has been authorised to transact the account, i.e. to whom Power of Attorney is granted. d. Documents in respect of proof of address of the political party.
8	Executors, Administrators and Liquidators	Proof of Identity for Executors, Administrators and Liquidators <ol style="list-style-type: none"> 1. Probate or letter of administration or authority under the Companies Act dated obtained (for inspection. Entry in miscellaneous documents register and return). A copy of the same is retained <ol style="list-style-type: none"> I. In case more than one executors / administrators / liquidators are appointed, letter of authority signed by all of them regulating the conduct of the account, must be obtained. II. Executors / administrators / liquidators cannot normally delegate their powers to third parties. III. PAN of all Related persons or Beneficial owners, Separate Annexure II for each beneficial owner to be obtained Proof of Residence for Tax purpose <ol style="list-style-type: none"> IV. With respect to an entity, any official document issued by an authorised Government body, including a Government agency or a municipality, which includes the name of the entity and either the address of its principal office in the country or territory in which it claims to be a resident or the country or territory in which the entity was incorporated or organised; V. TIN letter issued by the respective Government body/agency in case of entity resident in any country or territory outside India.
9	Govt. Authorities & Juridical Persons	<ol style="list-style-type: none"> a) Documents showing name of the person authorised to act on behalf of the entity b) Documents, as specified in section 16, of the person holding an attorney to transact on its behalf and c) Such Documents as may be required by the RE to establish the legal existence of such an entity / juridical person.

Officially Valid Documents:

The list of OVDs consist only the following Five:

1. Passport
2. Driving licence
3. Proof of possession of Aadhaar Number : Where the customer submit his proof of position of Aadhaar Number as on OVD, he may submitted in such form as are issued by the Unique Identification Authority of India.
4. Voter's Identity Card issued by Election Commission of India
5. Job card issued by NREGA duly signed by an officer of the State Government
6. Letter issued by the National Population Register containing details of name, address. (Aadhaar and PAN are MANDATORY and not part of OVDs)

Deemed Officially Valid Documents

The Following documents shall be deemed to be officially valid documents for the limited purpose of proof of address:

- (i) Utility bill which is not more than two months old of any service provider (electricity, Telephone, post-paid mobile phone, piped gas, water bill).
- (ii) Property or Municipal Tax Receipt (Latest)
- (iii) Pension or Family Pension Payment Orders (PPOs) issued to retired employees by Government Departments or Public Sector Undertakings, if they contain the address
- (iv) Letter of allotment of accommodation from employer issued by State Government or Central Government Departments, statutory or regulatory bodies, Public Sector Undertakings, Scheduled Commercial Banks, Financial Institutions and Listed Companies and leave and license agreements with such employers allotting official accommodation.

WHO IS A BENEFICIAL OWNER :

The beneficial owner, as per Rule 9 (3) of PML Amendment Rules 2013 is determined as under:

- (a) where the customer is a company, the beneficial owner is natural person(s), who, whether acting alone or together, or through one or more juridical person, has/have a controlling ownership interest or who exercises control through other means.
 Explanation.- For the purpose of this sub-clause-
 - i) "Controlling ownership interest" means ownership of or entitlement to more than twenty-five percent of shares or capital or profits of the company;
 - ii) "Control" shall include the right to appoint majority of directors or to control the management or policy decisions including by virtue of their shareholding or management rights or shareholders agreements or voting agreements.
- (b) Where the customer is a partnership firm, the beneficial owner is the natural person(s), who, whether acting alone or together, or through one or more juridical person, has/have ownership of / entitlement to more than 15% of capital or profits of partnership;
- (c) Where the customer is an unincorporated association or body of individuals, the

- beneficial owner is the natural person(s), who, whether acting alone or together, or through one or more juridical person, has/have ownership of or entitlement to more than 15 % of the property or capital or profits of such associations or body of individuals;
 Explanation: Term 'body of individuals' includes societies. Where no natural person is identified under (a), (b) or (c) above, the beneficial owner is the relevant natural person who holds the position of senior managing official.
- (d) Where the client is the trust, the identification of the beneficial owner(s) shall include identification of the author of the trust, the trustee, the beneficiaries with 15% or more interest in the trust and any other natural person exercising ultimate effective control over the trust through a chain of control or ownership.
 - (e) Where the client or the owner of the controlling interest is a company listed on a stock exchange or is a subsidiary of such a company, it is not necessary to identify and verify the identity of any share holder or beneficial owner of such companies.

..... TEAR FROM HERE (Please make sure the above machine readable code is not damaged while tearing off)

ACKNOWLEDGEMENT

1. NAME: _____ DATE: _____

2. DOCUMENTS DEPOSITED (I) _____

(II) _____ (III) _____

(IV) _____ (V) _____

BRANCH MANAGER

COUNTRY CODES (ISO 3166)

Country	Country Code	Country	Country Code	Country	Country Code	Country	Country Code
Afghanistan	AF	Dominican Republic	DO	Libya	LY	Saint Pierre and Miquelon	PM
Aland Islands	AX	Ecuador	EC	Liechtenstein	LI	Saint Vincent and the Grenadines	VC
Albania	AL	Egypt	EG	Lithuania	LT	Samoa	WS
Algeria	DZ	El Salvador	SV	Luxembourg	LU	San Marino	SM
American Samoa	AS	Equatorial Guinea	GQ	Macao	MO	Sao Tome and Principe	ST
Andorra	AD	Eritrea	ER	Macedonia, the former Yugoslav Republic of	MK	Saudi Arabia	SA
Angola	AO	Estonia	EE	Madagascar	MG	Senegal	SN
Anguilla	AI	Ethiopia	ET	Malawi	MW	Serbia	RS
Antarctica	AQ	Falkland Islands (Malvinas)	FK	Malaysia	MY	Seychelles	SC
Antigua and Barbuda	AG	Faroe Islands	FO	Maldives	MV	Sierra Leone	SL
Argentina	AR	Fiji	FJ	Mali	ML	Singapore	SG
Armenia	AM	Finland	FI	Malta	MT	Sint Maarten (Dutch part)	SX
Aruba	AW	France	FR	Marshall Islands	MH	Slovakia	SK
Australia	AU	French Guiana	GF	Martinique	MQ	Slovenia	SI
Austria	AT	French Polynesia	PF	Mauritania	MR	Solomon Islands	SB
Azerbaijan	AZ	French Southern Territories	TF	Mauritius	MU	Somalia	SO
Bahamas	BS	Gabon	GA	Mayotte	YT	South Africa	ZA
Bahrain	BH	Gambia	GM	Mexico	MX	South Georgia and the South Sandwich Islands	GS
Bangladesh	BD	Georgia	GE	Micronesia, Federated States of	FM	South Sudan	SS
Barbados	BB	Germany	DE	Moldova, Republic of	MD	Spain	ES
Belarus	BY	Ghana	GH	Monaco	MC	Sri Lanka	LK
Belgium	BE	Gibraltar	GI	Mongolia	MN	Sudan	SD
Belize	BZ	Greece	GR	Montenegro	ME	Suriname	SR
Benin	BJ	Greenland	GL	Montserrat	MS	Svalbard and Jan Mayen	SJ
Bermuda	BM	Grenada	GD	Morocco	MA	Swaziland	SZ
Bhutan	BT	Guadeloupe	GP	Mozambique	MZ	Sweden	SE
Bolivia, Plurinational State of	BO	Guam	GU	Myanmar	MM	Switzerland	CH
Bonaire, Sint Eustatius and Saba	BQ	Guatemala	GT	Namibia	NA	Syrian Arab Republic	SY
Bosnia and Herzegovina	BA	Guernsey	GG	Nauru	NR	Taiwan, Province of China	TW
Botswana	BW	Guinea	GN	Nepal	NP	Tajikistan	TJ
Bouvet Island	BV	Guinea-Bissau	GW	Netherlands	NL	Tanzania, United Republic of	TZ
Brazil	BR	Guyana	GY	New Caledonia	NC	Thailand	TH
British Indian Ocean Territory	IO	Haiti	HT	New Zealand	NZ	Timor-Leste	TL
Brunei Darussalam	BN	Heard Island and McDonald Islands	HM	Nicaragua	NI	Togo	TG
Bulgaria	BG	Holy See (Vatican City State)	VA	Niger	NE	Tokelau	TK
Burkina Faso	BF	Honduras	HN	Nigeria	NG	Tonga	TO
Burundi	BI	Hong Kong	HK	Niue	NU	Trinidad and Tobago	TT
Cabo Verde	CV	Hungary	HU	Norfolk Island	NF	Tunisia	TN
Cambodia	KH	Iceland	IS	Northern Mariana Islands	MP	Turkey	TR
Cameroun	CM	India	IN	Norway	NO	Turkmenistan	TM
Canada	CA	Indonesia	ID	Oman	OM	Turks and Caicos Islands	TC
Cayman Islands	KY	Iran, Islamic Republic of	IR	Pakistan	PK	Tuvalu	TV
Central African Republic	CF	Iraq	IQ	Palau	PW	Uganda	UG
Chad	TD	Ireland	IE	Palestine, State of	PS	Ukraine	UA
Chile	CL	Isle of Man	IM	Panama	PA	United Arab Emirates	AE
China	CN	Israel	IL	Papua New Guinea	PG	United Kingdom	GB
Christmas Island	CX	Italy	IT	Paraguay	PY	United States	US
Cocos (Keeling) Islands	CC	Jamaica	JM	Peru	PE	United States Minor Outlying Islands	UM
Colombia	CO	Japan	JP	Philippines	PH	Uruguay	UY
Comoros	KM	Jersey	JE	Pitcairn	PN	Uzbekistan	UZ
Congo	CG	Jordan	JO	Poland	PL	Vanuatu	VU
Congo, the Democratic Republic of the	CD	Kazakhstan	KZ	Portugal	PT	Venezuela, Bolivarian Republic of	VE
Cook Islands	CK	Kenya	KE	Puerto Rico	PR	Viet Nam	VN
Costa Rica	CR	Kiribati	KI	Qatar	QA	Virgin Islands, British	VG
Cote d'Ivoire ICôte d'Ivoire	CI	Korea, Democratic People's Republic of	KP	Reunion IRéunion	RE	Virgin Islands, U.S.	VI
Croatia	HR	Korea, Republic of	KR	Romania	RO	Wallis and Futuna	WF
Cuba	CU	Kuwait	KW	Russian Federation	RU	Western Sahara	EH
Curacao ICuraçao	CW	Kyrgyzstan	KG	Rwanda	RW	Yemen	YE
Cyprus	CY	Lao People's Democratic Republic	LA	Saint Barthelemy ISaint Barthélemy	BL	Zambia	ZM
Czech Republic	CZ	Latvia	LV	Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha	SH	Zimbabwe	ZW
Denmark	DK	Lebanon	LB	Saint Kitts and Nevis	KN		
Djibouti	DJ	Lesotho	LS	Saint Lucia	LC		
Dominica	DM	Liberia	LR	Saint Martin (French part)	MF		

STATE CODES

LIST OF TWO- DIGIT STATE / U.T CODES AS PER INDIAN MOTOR VEHICLE ACT, 1988 I

State/U.T	Code	State/U.T	Code	State/U.T	Code
Andaman & Nicobar	AN	Himachal Pradesh	HP	Pondicherry	PY
Andhra Pradesh	AP	Jammu& Kashmir	JK	Punjab	PB
Arunachal Pradesh	AR	Jharkhand	JH	Rajasthan	RJ
Assam	AS	Karnataka	KA	Sikkim	SK
Bihar	BR	Kerala	KL	Tamil Nadu	TN
Chandigarh	CH	Lakshadweep	LD	Telengana	TS
Chattisgarh	CG	Madhya Pradesh	MP	Tripura	TR
Dadra and Nagar Haveli	DN	Maharashtra	MH	Uttar Pradesh	UP
Daman & DILI	DD	Manipur	MM	Uttarakhand	UA
Delhi	DL	Meghalaya	ML	West Bengal	WB
Goa	GA	Mizoram	MZ	Other	XX
Gujarat	GJ	Nagaland	NL		
Haryana	HR	Orissa	OR		

